राजस्थान विधान सभा

७३वीं बैठक, बृहस्पतिवार, दिनांक १६ सितम्बर, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८-८ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १८०६

महाराणा प्रताप का स्मारक हल्दी घाटी क्षेत्र में बनाना

श्री जगतसिंह झाला—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजस्थान सरकार महाराणा प्रताप का स्मारक नाथद्वारा तहसील के इतिहास प्रसिद्ध हल्दीघाटी के क्षेत्र में बनाने का विचार करती है ?

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उपमंत्री)— (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री जगतसिंह झाला—क्या यह सही है कि इस विषय में एक लाख रुपया महाराणा साहब, उदयपुर, ने प्रदान किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—वह जो महाराणा साहब ने दान दिया है वह स्टेच्यू के लिए इमारत के तौर पर उदयपुर में खड़ी करने के लिए दिया है ।

प्रश्न संख्या १८१०

सिंचाई विभाग में मुहाफिजों की संख्या किशनगढ़ में भी

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई विभाग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री चांदमल मेहता]

(क) सिंचाई विभाग में मुहाफिजों की संख्या कितनी है ?

(ख) उक्त मुहाफिजों को किस ग्रेड में तनख्वाह दी जाती है ?

(ग) किशनगढ़ सब डिविजन में मुहाफिजों की संख्या कितनी है और उन्हें क्या २ तनख्वाह मिल रही है ?

श्री **चन्दनमल** वैद(उपमन्त्री, सिंचाई मन्त्री की अनुपस्थिति में)—(क) कुल १८६ मुहाफिज हैं।

(ख) अभी तक इनको २५) रू० माहवार और उचित महंगाई मिलती थी। इनका कोई ग्रेड नहीं थी। हाल ही में ५० । १ । ५५ का ग्रेड अलावा महंगाई स्वीकार हुआ है जो उनको दिया जायगा जो कि परीक्षा पास कर लेंगे।

(ग) किशनगढ़ सब डिवीजन में १६ मुहाफिज हैं और उनका वेतन भी वही है जो कि प्रश्न के उत्तर में दिया गया है।

श्री चांदमल मेहता—इन मुहाफिजों के जिम्मे काम क्या है ?

श्री चन्दनमल वैद—तालाब की रखवाली करना।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या इनके जिम्मे सिचाई चार्जेज़ वसूल करने और पेड़ों को बेचने का काम भी है ?

श्री **चन्दनमल** वैद—सारी ड्युटीज़ तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन शायद सिंचाई चार्ज करने का काम भी हो सकता है। लेकिन मैं बहुत गारन्टी के साथ नहीं कह सकता हूँ।

श्री **चान्दमल मेहता**—क्या यह सही है कि मुहाफिजों के जिम्मे सिंचाई की रकम वसूल करना भी है और इनको इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि जिसकी वजह से इस रकम की वसूली में गड़बड़ हुआ करती है।

श्री चन्दनमल वैद—अभी सूचना मिली है कि रकम वसूल करना रेवेन्यु डिपार्टमेंट के आधीन है। मुहाफिजों के आधीन नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—किशनगढ़ सब डिवीजन में १६ मुहाफिज बतलाये गये हैं लेकिन वे कहां कहां है ?

Page No.3

श्री चन्दनमल वैद—माफ करियेगा, इतनी जानकारी लेकर तो मैं नहीं आया हूं। अलग से प्रश्न पूछियेगा तो बताया जा सकेगा। यह सम्भव नहीं है क्योंकि फिर आप यह पूछेंगे कि १८६ मुहाफिज हैं वे कहां कहां हैं? इतनी जानकारी तो मेरे पास नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—यह मुहाफिज किस आधार पर नियुक्त किये गये हैं? एक लाख की आबादी पर किशनगढ़ सब डिवीजन में १६ मुहाफिज हैं तो राजस्थान के लिए डेढ़ करोड़ की जनसंख्या के लिए १८६ संख्या जो माननीय मन्त्री महोदय ने बताई है क्या वह ठीक है ?

श्री चन्दनमल वैद—यह आबादी के आधार पर नहीं होते हैं। वे तालाब की रखवाली के लिए होते हैं।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या यह समझा जाय कि किशनगढ़ सब डिविजन में १६ तालाब जो बताये गये हैं उनके मुकाबले में सारे राजस्थान में १८६ की संख्या गलत है या १६ की संख्या गलत है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या १८११

रूपनगर तहसील में सिंचाई के साधनों की वृद्धि के हेतु बन्ध बन्धवाना

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि रूपनगर तहसील में सिंचाई के साधनों की बहुत कमी है ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त तहसील में कई बंध बनाने की योजना किशनगढ़ स्टेट के वक्त से विचाराधीन है ?

(ग) यदि हां, तो उक्त बंध कहां कहां बनाने की योजना है और उनसे कितनी २ भूमि की सिंचाई हो सकती है ?

(घ) सरकार उन बंधों के बनाने का काम कब तक हाथ में लेने का विचार रखती है ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(क) हां।

[कु ०श्री जसवन्तसिंह]

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ग) यह सवाल पैदा नहीं होता।

(घ) यह सवाल पैदा नहीं होता

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार इस तरह की सूचना इस प्रश्न के पहुँचने के बाद संबंधित अधिकारियों से प्राप्त नहीं कर सकी ?

श्री चन्दनमल वैद—इस संबंध में कोई सूचना है ही नहीं। प्रश्न यह है कि किशनगढ़ स्टेट के समय बंध बनाने के लिये कोई योजना बनी थी या नहीं; ऐसी सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह आपकी जानकारी में है या जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि रूपनगर तहसील के पास होकर, जो नदी निकलती है उसको एक जगह बांधा गया है और और भी बड़ा बांध बनाने की योजना थी ?

श्री चन्दनमल वैद—ऐसी कोई योजना थी या नहीं, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस सम्बन्ध में फिर से जांच कराने की कोशिश करेंगे ?

श्री चन्दनमल वैद—इस नदी को बांधा जा सकता है या नहीं, इसकी जांच की जायगी, लेकिन ऐसी कोई योजना बनी थी उसकी जानकारी नहीं की जायगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या जो बांध बने हैं उनकी कोई विशेष मरम्मत नहीं कराई जाती है और सब खराब हो गये हैं ?

श्री चन्दनमल वैद—यह अलग प्रश्न है।

प्रश्न संख्या १८१२
जयपुर जिले के कलेक्टर द्वारा उनके स्थानान्तर के समय अनेक कर्मचारियों के स्थानान्तरण

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर की कृपा करेंगे :

Page No.5

[श्री ईश्वरीसिंह]

(क) क्या यह सही है कि भूतपूर्व कलेक्टर जयपुर डिस्ट्रिक्ट ने अपना चार्ज देने के पहिले बहुत बड़ी तादाद में कर्मचारियों के तबादले किये हैं ?

(ख) मौजूदा कलेक्टर जयपुर के चार्ज सम्भालने के १ माह पहिले पहिले किस किस कर्मचारी का तबादला उक्त कलेक्टर द्वारा किया गया ?

(ग) क्या यह सही है कि कलेक्टर्स कॉन्फ्रेन्स द्वारा यह तय किया जा चुका है कि बिना किसी शिकायत के किसी कर्मचारी का तबादला नहीं किया जावेगा ?

(घ) यदि हां, तो यह बतलाने की कृपा करें कि जिन कर्मचारियों का तबादला किया गया उनके खिलाफ क्या क्या शिकायतें हैं ?

श्री **मोहनलाल** सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—(क) भूतपूर्व कलेक्टर ने कुछ कर्मचारियों के तबादले किये थे।

(ख) मौजूदा कलेक्टर जयपुर के चार्ज संभालने के १ माह पहले किसी कर्मचारी का तबादला नहीं किया गया।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री **चांदमल मेहता**—जो तबादले होना माननीय मंत्रीजी ने बताया है वे चार्ज देने से कितने दिन पहले हुए थे।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—तबादले होते ही रहते हैं। एक एक की जानकारी प्राप्त करना मुश्किल है और आवश्यक भी नहीं है।

श्री **चांदमल मेहता**—आपने अपने उत्तर के पहले खंड में बताया कि ट्रान्सफार से पहले तबादले किये है और दूसरे खंड में बताया कि ट्रान्सफर से १ महीने पहले कोई तबादले नहीं किये गये। जो किये गये वे कब किये गये और १ महीने की अवधि से कितने पहले किये गये ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—मैं समझता हूं यह प्रश्न नहीं था। प्रश्न यह था कि मौजूदा कलेक्टर जयपुर के चार्ज सम्भालने के १ माह पहले किस किस कर्मचारी का तबादला उक्त कलेक्टर द्वारा किया गया। इसका उत्तर मैं पहले दे चुका हूं. जो निश्चित सूचना थी प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्री चांदमल मेहता—जो तबादले पहले किये गये वे किन किन के किये गये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसकी कोई जानकारी नहीं है इसके साथ और इसकी आवश्यकता ही थी।

श्री चांदमल मेहता—क्या कलेक्टर ने जो ट्रान्सफर्स किए उनके सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया ?

श्री मोहन लाल सुखाड़िया—नहीं !

श्री जसवन्तसिंह—क्या ये ट्रान्सफर्स नोर्मल रूप से हुए हैं या एब्नोर्मल रूप में !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—बिल्कुल नोर्मलरूप से, एबनोर्मल रूप का कोई सवाल नहीं था।

श्री हिम्मतसिंह—क्या इन कलेक्टर साहब की ऐसी ही आदत हमेशा से रही है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह बात मुझसे अधिक आप जानते हैं।

श्री चांदमल मेहता—छोटे छोटे आदमियों के तबादले करने का कारण क्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न्स।

श्री चांदमल मेहता—इससे एडमिनिस्ट्रेटिव फायदा क्या सोचा गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है और न उचित ही है।

श्री संतोषसिंह—क्या छोटे छोटे कर्मचारियों के तबादले इस डिविजन में ही हुए हैं या दूसरे डिविजन में भी।

श्री अध्यक्ष—नेक्सट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या १८१३

राजस्थान के कुछ भागों में लगान के अतिरिक्त लाग दस्तूर लगाना

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान के भिन्न भिन्न हिस्सों में अलावा लगान के लाग-दस्तूर लगती है।

[श्री चांदमल मेहता]

(ख) क्या यह सही है कि उक्त लाग-दस्तूर के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया था ?

(ग) यदि हां, तो उक्त कमेटी का निर्माण कब हुआ और उसके कौन कौन सदस्य हैं ?

(घ) क्या उक्त कमेटी ने अपनी रिपोर्ट इस सम्बन्ध में प्रेषित कर दी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—[राजस्व मंत्री] [क] और [ख] जी हां, राजस्थान में प्रचलित लाग-दस्तूर की जांच के लिये एक कमेटी का निर्माण किया गया है और उसकी रिपोर्ट सरकार के समक्ष पेश हो चुकी है और विचाराधीन है।

[ग] इस कमेटी के निर्माण की डेट तो नहीं दे सकता, लेकिन उसके सदस्य रेवेन्यु सेक्रेटरी, जागीर कमिश्नर और सैटलमेंट कमिश्नर हैं।

श्री चांदमल मेहता—जो रिपोर्ट सरकार के समक्ष पेश हुई है उसके ऊपर सरकार अपनी आज्ञा कब तक जारी करेगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उसके लिए एक बिल इस सदन के समक्ष लाना होगा और मैं समझता हूं कि अगले अधिवेशन में यह पेश हो जायगा।

प्रश्न संख्या १८१४

तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण ग्रेजुएट्स के लिए अत्यधिक बेकारी समस्या

श्री हिम्मतसिंह अटरू—Will the Chief Minister be pleased to state:

(a) Is it a fact that Third Division Graduates have been suffering most due to Unemployment nowa-days in Rajasthan ?

(b) Is it also a fact that these graduates are pouring forth from the Unviersity of Rajputana in a hwge number every year, and are thus increasing the number of unemployment day by day.

(c) Is it also a fact that these graduates are not given employment as "Lower Division Clerks "because of being too much qualified and as uppe Division Clerks' because of being too low Standard in regard to qualifications.

(d) Is the Government creating a separate grade of Clerks between 'Lower Division' and 'Upper Division 'for these Third Division Graduates so that they may be absorbed somehow in service and the problem of unemployment be solved to a great extent.

Page No.8

श्री नरसिंह कछवाहा (उप मन्त्री)—(क ख) जी नहीं। राजस्थान में शिक्षित लोग काफी संख्या में रोजगार मे लगे हुए हैं। बेरोजगार कितने ग्रेजुएट्स हैं, उनकी संख्या का पता नहीं है।

(सी) और (डी)—जी नहीं।

श्री हिम्मतसिंह—इन थर्ड क्लास ग्रेजुएट्स को गवर्नमेन्ट किस तरह से एब्ज़ोर्ब करना चाहती है?

श्री नरसिंह कछवाहा—जिस तरह से दूसरे लोग होते हैं उसी तरह से ये लोग भी होंगे।

कुं श्री जसवन्तसिंह—थर्ड क्लास के अलावा दूसरे ग्रेजुएट्स किस तरह से एब्ज़ोर्ब किये जाते हैं?

श्री नरसिंह कछवाहा—जैसी मांग होती है वैसी एप्लीकेशन्स इन्वाइट की जाती हैं। उनमें से जो योग्य होते हैं उनका नम्बर आ जाता है।

कुं श्री जसवन्तसिंह—जब मांग होती है उस वक्त फर्स्ट और सेकिन्ड डिवीज़न के होते हुए थर्ड डिवीजनर्स को कैसे लिया जायगा?

श्री नरसिंह कछवाहा—यह जरूरी नहीं है कि हमेशा फर्स्ट और सेकन्ड क्लास वालों को ही लिया जायगा। थर्ड क्लास वाले भी लिये जा सकते हैं।

श्री जसवन्तसिंह—क्या यह समझा जाय कि थर्ड क्लास के लिये सीट्स रिजर्व रखी हुई हैं।

श्री नरसिंह कछवाहा—यह आपके समझने की बात है।

श्री सोहनलाल—राजस्थान में जितने ग्रेजुएट्स निकलते हैं उनमें से कितने परसेन्ट एज़ोर्ब होते हैं।

श्री नरसिंह कछवाहा—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

प्रश्न संख्या १८१५

किशनगढ़ सब डिवीजन के कुछ तालाबों के विस्तार से सिंचाई में वृद्धि

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

[श्री चान्दमल मेहता]

(क) किशनगढ़ सब डिवीजन में ऐसे कितने तालाब हैं जिन्हें एक्सटेंड कराने से सिचाई की भूमि का एरिया बढ़ सकता है ?

(ख) यह तालाब कहां कहां हैं, उनके एक्सटेंड कराने से किस किस से कितनी कितनी अधिक भूमि सिंचाई के लिये उपलब्ध हो सकती है ?

(ग) उनके लिये कितना रुपया आवश्यक है ?

(घ) उक्त कामों को सरकार अपने हाथ में कब तक लेने का विचार रखती है ?

श्री चंदनमल वैद (उप मंत्री)—(क) इसकी जांच की जा रही है। कुछ तालाबों को एक्सटेंड किया जा चुका है और बाकी के तालाबों को बढ़ाये जाने की सम्भावना देखी जा रही है।

(ख), (ग) और (घ) जांच पूरी होने पर ही खर्चा या अधिक सिंचाई आदि का पता लग सकता है। जो काम जांच के बाद ठीक पाये जावेंगे तो उन पर आगामी दो साल में कार्य आरम्भ कर दिया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—यह जांच कब से हो रही है ?

श्री चंदनमल वैद—मैंने बताया कि जांच की जा रही है और कुछ की जा चुकी है। पूरी जांच होने के बाद पता लगेगा कि खर्चा आदि कितना आयगा, तब आगे विचार किया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जांच कब शुरू की गई और प्रगति कैसी हो रही है ?

श्री चंदनमल वैद—कोई निश्चित तारीख मेरे पास नहीं है। कुछ एक्स्टेन्ड किये जा चुके हैं।

श्री चांदमल मेहता—किन किन को एक्सटेन्ड किया जा चुका है।

श्री चंदनमल वैद—इनके नाम और उन पर जो खर्च हुआ है वह इस प्रकार है :

१.	एन्लार्जमेंट ऑफ बन्ध गोकुलसागर, सरवाड़	२७,६४६ रू०
२	एन्लार्जमेंट ऑफ बंकेसागर, सरवाड़	२१,१५४ रू०

Page No.10

[श्री चंदनमल वैद]

३.	एन्लार्जमेंट ऑफ बंध गजसागर, सरवाड़	१४,६८० रू०
४.	एन्लार्जमेंट ऑफ विजेसागर, सरवाड़	२७,१८६ रू०
५.	एन्लार्जमेंट ऑफ बंध मदनसरोवर, सरवाड़	६६,०८८ रू०
६.	रेजिंग बंध ताज सरोवर	२४,३७३ रू०
७.	रेजिंग बंध परबतसागर, सरगांव	६,३४७ रू०
८.	रेजिंग बंध करनसागर, सरगांव	७,५१५ रू०
९.	रेजिंग किशनगर एट डडिया	४,७७६ रू०
१०.	रेजिंग बंध हनुमानसागर	२,५३३ रू०
११.	रेजिंग बंध केरिया सागर	४,०६० रू०

श्री चांदमल मेहता—जो सूचना मंत्री महोदय दे रहे हैं उसके अन्दर एन्लार्ज करने के बजाय रिपेअर्स की सूचना भी शामिल है ?

श्री चंदनमल वैद—नहीं, यह एन्लार्जमेंट की सूचना है, रिपेअर्स की नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या मन्त्रीजी को जानकारी है कि हनुमानसागर के पीछे १०० बीघा जमीन है उसमें क्या एन्लार्जमेंट जरूरी था जो किया गया ?

श्री चंदनमल वैद—जो जरूरी था वह किया गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इसका एन्लार्जमेन्ट न किया जाकर मिट्टी डलाई गई है ?

श्री चंदनमल वैद—यह गलत है। मिट्टी डलवाना भी एन्लोर्जमेन्ट होता है।

(हंसी)

श्री चांदमल मेहता—एक्सटेंड करने का सवाल था। कितने ज्यादा एरिया की सिंचाई हो सकती है ?

श्री चन्दनमल वैद—अलग अलग जगह की सिंचाई के बारे में अलग अलग प्रश्न पूछिये तो जवाब दूंगा। सवाल यह था कि क्या एक्सटेंशन किया गया तो किसमें से कितनी कितनी मिट्टी निकाली गई, कितनी सिंचाई बढ़ी; ये सारी बातें एक प्रश्न में लाना चाहें तो उत्तर देना संभव नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—यदि आप (क) और (ख) देखेंगे तो उनमें इनका समावेश हो जाता है। खैर जाने दीजिये आप जवाब नहीं देना चाहते है तो मत दीजिये, क्या आप यह बतायेंगें कि मदन सरोवर में पैसा कब खर्च किया गया?

श्री चन्दनमल वैद—आज से पहले।

श्री चांदमल मेहता—क्या मंत्रीजी के ध्यान में है कि इसी बारे में पहले प्रश्न पूछा गया था तब यह जवाब दिया गया था कि इसका सर्वे किया जा रहा है?

श्री चंदनमल वैद—फिर से फरमाइये।

श्री चांदमल मेहता—मदन सरोवर तालाब को एक्सटेन्ड करने में खर्चे की रकम बताई है; क्या आपकी जानकारी में है कि पहले इस सदन में एक प्रश्न के जवाब में कहा गया था कि उसका सर्वे करा रहे हैं?

श्री चंदनमल वैद—मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसको एक्सटेन्ड कराने में ६६, ०८८ रू. लगे हैं।

श्री चांदमल मेहता—जो तालाब एक्सटेन्ड किये जा सकते हैं, उनमें से किन किन की सर्वे की जा चुकी है?

श्री चंदनमल वैद—मेरे पास कुछ तालाबों की लिस्टें हैं जिनको एक्सटेन्ड किया जा सकता है, परन्तु अभी तक उनकी सर्वे नहीं हुई है।

श्री चांदमल मेहता—अभी आपने फरमाया कि जिन जिन को एक्सटेन्ड किया जा सका है उनके लिये कार्यवाही चालू कर दी गई है। तो वह क्या कार्यवाही चालू कर दो गई है जब कि सर्वे ही नहीं हुई है?

श्री चन्दनमल वैद—कार्यवाही यह चालू की गई है कि जो अभी मैंने लिस्ट पढ़ कर सुनाई उन तालाबों को तो एक्सटेन्ड किया गया है, बाकी की जरूरत समझी जायगी तो एक्सटेन्ड किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—श्री हनवन्तसिंह।

प्रश्न संख्या १८१६

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत जैसलमेर जिले में किये जाने वाले कार्य

श्री हनवन्तसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

[श्री हनवन्त सिंह]

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला जैसलमेर में कौन कौन से कार्य होंगे ?

श्री चन्दनमल वैद (उपमंत्री)—द्वितीय पंच वर्षीय योजना अभी बन नहीं पाई है, इसके बनने पर ही कौन कौन कार्य होंगे यह बताया जायगा।

श्री हनवन्तसिंह—यह कब तक बन जायगी ?

श्री चन्दनमल वैद—यह भारत सरकार बना रही है।

श्री हनवन्तसिंह—भारत सरकार को क्या पता चले जब तक कि आप यहां से सजेशन नहीं भेजेंगे ?

श्री चंदनमल वैद—यहां से सुझाव भेजे गये हैं, पर जब तक कि योजना बन नहीं जाय पहले क्या कहा जा सकता है कि किन किन कामों को शुरू किया जायगा।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १८१७

जिला जैसलमेर तथा सब डिविजन फलौदी में पञ्चवर्षीय योजना के अंतर्गत किए गए कार्य

श्री हनवन्त सिंह—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला जैसलमेर व सब डिविजन फलौदी (जिला जोधपुर) में पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन कौन सी सडकें, बिल्डिंग्ज़, कूए, बांध, तालाब या और कोई ग्राम सुधार के कार्य हुए हैं ?

(ख) जो हुए हैं उनके नाम बताने की कृपा करें ?

श्री चन्दन मल वैद (उपमंत्री)—(क, व ख) उनके नाम निम्नलिखित हैं :

(i) भवन निर्माण तथा सड़क सम्बन्धी कार्य :

(१) जैसलमेर डाकबंगले की पूर्णता।

(२ जैसलमेर कारागार भवन में परिवर्तन।

[श्री चन्दनमल वैद]

(३) आप कोष में परिवर्तन ।

(४) गढीसर द्वार से गडीसर तालाब तक सीमेन्ट रोड ।

(५) पोकरण जेसलमेर रोड पर इन्सपेक्शन हाउस का निर्माण ।

(६) पोकरण शिव के समीप नदी पर रपट निर्माण ।

(७) पोकरण से जैसलमेर रोड ७३ मील ।

(८) बाढमेर की सरहद से जैसलमेर तक ग्रेवल रोड ४५ मील ।

(ii) सिचाई सम्बन्धी कोई कार्य नहीं हुए ।

(iii) कुओं, तालाबों तथा ग्राम सुधार के कार्यों के लिये अन्य सम्बन्धीत विभागों से पूछा जाय ।

श्री हनवन्त सिंह—आपने यह नहीं बताया कि फलोदी तहसील में क्या हुआ ?

श्री चन्दन मल वैद—यह मैंने फलोदी और जैसलमेर दोनों तहसीलों का बता दिया है।

श्री हनवन्तसिंह—इसमें कहीं नहीं आया है, जो आपने उत्तर दिया है उसमें कहीं नहीं आया है ।

श्री चन्दन मल वैद—नहीं आया तो इसमें कोई काम नहीं आया होगा ।

प्रश्न संख्या १८१८

जैसलमेर जिले की पांचों तहसीलों में तहसीलदारों तथा उनके स्टाफ तथा पटवारियों की कमी

श्री हनवन्त सिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जैसलमेर जिले की पांचों तहसीलों में तहसीलदार पहुंच गये हैं ?

(ख) क्या तहसील का स्टाफ अब तक पूरा नहीं है ?

(ग) क्या पटवारियों की भी अभी तक कोई नियुक्ति नहीं की गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—(क) जी हां । जैसलमेर की सब तहसीलों में तहसीलदार कार्य कर रहे हैं ।

(ख) सब तहसीलों में स्टाफ पूरा है ।

(ग) पटवारी वहां पर पूर्व से ही कार्य कर रहे हैं जिलाधीश ने चार और ट्रेन्ड पटवारियों की मांग की है, जो विचाराधीन है ।

श्री हनवन्त सिंह—क्या सब तहसीलों में सिर्फ कागजों पर ही तहसीलदार हैं, वहां तहसीलों में तो नहीं पहुचे ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अभी में जो वह सूचना देता हूं अब उसमें यह मानी हुई बात है कि कागजों पर रवानगी की सूचना पक्की है, वैसे जैसलमेर एक ऐसी जगह है जहां शायद वे अभी तक नहीं पहुचे हों ।

श्री जसवन्तसिंह—वे लोग कहीं पाकिस्तान तो नहीं पहुँच गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ऐसा खतरा तो कम है ।

श्री खेतसिंह—क्या यह सही है कि जैसलमेर में उन्हीं तहसीलदारों को भेजा जाता है जिनकी कि राजस्थान में सब जगह शिकायत है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह गलत है ।

श्री खेतसिंह—नहीं, यह बिल्कुल सच है कि जिनको सजा देनी होती है उनको जैसलमेर भेजा जाता है ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—नहीं, ऐसी बात नहीं है । आप जानते हैं कि अच्छे से अच्छे अधिकारियों को, लोगों को आराम देने के लिये वहां भेजा जाता है ।

श्री जसवन्तसिंह—यह रियायत खास तौर से जैसलमेर के लिये ही है या और दूसरी जगहों के लिये भी ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—खास तौर से जैसलमेर के लिये है और कुछ बीकानेर के इलाकों के लिये भी हैं ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—श्री हनवन्तसिंह ।

प्रश्न संख्या १८१६

जैसलमेर जिले में पशु-चिकित्सालयों का प्रबन्ध

श्री हनवन्तसिंह—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जिला जैसलमेर में कितने पशु चिकित्सालय हैं ?

(ख) क्या सरकार उन्हें काफी समझती है ?

Page No.15

[श्री हनवन्त सिंह]

(ग) क्या सरकार हर तहसील में एक चिकित्सालय खोलने के बारे में सोच रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मन्त्री)—(क) एक।

(ख) नहीं।

(ग) हां।

श्री खेतसिंह-आपने 'हां' कहा; यह 'हां' कब पूरा हो जायगा। इस 'हां' के लिये कब कार्यवाही की जायगी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं समझता हूं कि यह अगले वर्ष हो सकती है।

प्रश्न संख्या १८२० एवं १८२१

श्री अध्यक्ष—श्री भोपालसिंह।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

श्री जवानसिंह—मुझे आज्ञा हो तो मैं पेश करदूं।

I hope I submitted once a report on behalf of shri Bhopal Singh.

श्री अध्यक्ष—That was not for good.

श्री जवानसिंह—I hope that stands for the whole of the session.

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member was present yesterday.

श्री जवानसिंह—I hope it was for the who l e of the session.

श्री अध्यक्ष—Let us see.

(ये प्रश्नोत्तर बाद में लिये गये)

प्रश्न संख्या १८२२

धौलपुर के तालाब व बांधों में मछलियों का ठेका

श्री हंसराज जटिया--क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री हंसराज जड़िया]

(क) धौलपुर में ऐसे कौन कौन से तालाब व बांध हैं जिनमें मछलियां पैदा होती हैं, जिनका ठेका होता है और उनके द्वारा सिंचाई भी होती है ? ठेका स्वीकृति देने का किसको अधिकार है ?

(ख) ऐसे कौन कौन से तालाब हैं जिनमें मछलियों का ठेका हुआ है। प्रत्येक तालाब के ठेके की रकम बतलाई जावे कि कुल रकम ठेका कितनी है, उसमें कितनी रकम वसूल हो चुकी है और यदि बकाया है तो किस किस तालाब की और क्यों ?

(ग) रकम ठेका वसूली होने की क्या गारन्टी है ? यदि नहीं है, तो क्यों नहीं ?

(घ) वे कौन से तालाब हैं जिनका ठेका समय पर नहीं दिया गया और मछलियां सड़ने लगी तब ठेका दिया गया ?

(अ) देर से ठेका देने का क्या कारण है ?

(ब) सरकारी नुकसान का कौन जिम्मेदार था ?

(स) गलती करने वाले अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—(क) धौलपुर यूनिट में १७ बन्ध और तालाब हैं जिनमें मछलियां पैदा होती हैं। जिनकी सूची मेज पर रख दी गई है।

(१) केवल निम्बी और रामसागर बांध से सिंचाई होती है।

(२) ठेकों की स्वीकृति ५००० रुपये तक कृषि विभाग, और ५,००० रुपये से अधिक की राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।

(ख) तालाबों और बन्धों की सूची जिनसे ठेका मछली की रकम गत तीन वर्षों में वसूल हुई है मेज पर रख दी गई है। पूरी रकम ठेकेजात वसूल हो चुकी है, कोई बकाया नहीं है।

(ग) ठेका बोली समाप्त होते ही ५,००० रुपये तक ठेके की रकम का ५० प्रतिशत रुपया और ५,००० रुपये से अधिक रकम पर २५ प्रतिशत रुपया उसी समय जमा करा ली जाती है। बाकी रकम ठेके का अधिकार-पत्र प्राप्त करने से पहिले ही जमा कर ली जाती है।

(घ) कृषि विभाग द्वारा कोई ठेका मछलियों के सड़ने पर नहीं दिया गया।

(अ)
(ब)
(स) } ये प्रश्न नहीं उठते।

प्रश्न संख्या १८२३

श्री अध्यक्ष—श्री ऋद्धिचन्द पालीवाल।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित, कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या १८२४

श्री चन्दनमल वैद (उप मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, यह प्रश्न स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्धित है इसलिये स्वायत्त शासन मंत्री ही अगली टर्न पर इसका उत्तर दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १८२५

देवस्थान विभाग के अधीन विभिन्न मन्दिरों की आय के व्याज

श्री चांदमल मेहता—क्या देवस्थान मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ;

(क) देवस्थान विभाग के मातहत कितने मन्दिर हैं ?

(ख) उक्त मंदिरों की कितनी कितनी धन-राशि कहां कहां जमा है ?

(ग) धन-राशि से किस किस मन्दिर को पिछले पांच साल में कितनी कितनी व्याज के रूप में आमदनी हुई ?

श्री भोगीलाल पंड्या (देवस्थान मंत्री)—(क) देवस्थान विभाग के अन्तर्गत कुल १०,३४६ मन्दिर हैं जिनमें से ३६६ सीधे देवस्थान विभाग के अन्तर्गत, ३८ आत्मनिर्भर हैं, ४८ कोर्ट ऑफ वार्ड्स के निरीक्षण में तथा ८,८६४ मन्दिर सरकार से वार्षिक आर्थिक सहायता (ग्रान्ट इन एड) प्राप्त हैं।

(ख) उक्त मन्दिरों की कितनी कितनी धन-राशि कहां कहां जमा है, इसका नक्शा संलग्न है।

(ग) नक्शा संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री चांदमल मेहता—जो रकमें व्याज पर जमा हैं उनके व्याज की रकम क्या ५३ व ५४ की सब की वसूल हो चुकी है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जिन जिन सलन की व हो गई है उनका नक्शा दिया गया है।

श्री चांदमल मेहता—जिनके व्याज की रकमें वसूल नहीं हुई हैं उनका नक्शा नहीं दिया गया है, वसूल हुई हैं उनका नक्शा दिया गया है।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने कहा कि जिनके नाम नक्शे में नहीं दिये गये हैं उनके नाम समझ लिये जांय कि उनके व्याज की रकम वसूल नहीं हुई हैं ?

श्री चांदमल मेहता—ऐसे कितने है जिनके व्याज की रकम वसूल नही हुई है।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने बताया कि नक्शे में सब कुछ दे दिया गया है। उसे पढ़ लेंगे तो सब पता चल जायगा।

श्री चांदमल मेहता—नक्शे में सिर्फ यह दिया हुआ है कि किन किन देवस्थानों की कितनी कितनी रकम जमा हुई। कितनी कितनी रकम पहले जमा थी, इसका नहीं दिया गया है।

श्री भोगीलाल पंड्या—आपने लम्बा प्रश्न पूछा है, उसका लम्बा ही उत्तर दिया गया है, अगर अध्यक्ष महोदय आज्ञा दें तो मैं पढ़ कर सुना सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष—आपने नक्शे की कापी सबको दे दी है।

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां।

श्री चांदमल मेहता—व्याज की रकम वसूल नहीं हुई हैं वह कुल कितनी है ?

श्री अध्यक्ष—आपका प्रश्न (ग) तो यों हैं—

"उक्त धन राशि से किस किस मंदिर को पिछले पांच साल कितनी कितनी व्याज के रूप में आमदनी हुई।" इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री चांदमल मेहता—जिन जिन व्यक्तियों के नाम रकम उधार दी गई है उनको रकम उधार किन शर्तों पर दी गई है और क्या कोई सिक्योरिटी रखी गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसके नियम बने हुए हैं, अगर सारा पढ़ने लगूं तो बहुत लम्बा चौड़ा विषय हो जावेगा। उनसे जमानत ली जाती है और जमानत देने वाले की भी स्थिति देखी जाती है कि आया इसके अचल सम्पत्ति है या नहीं। इसके अलावा अचल सम्पत्ति जिसको रुपया उधार दिया जाता है वह रहती है।

श्री चांदमल मेहता—जो रकम उद्योगों और कारखानों में बताई उसके लिए क्या ज़िम्मेवारी है।

श्री भोगीलाल पंड्या—अधिकांश जो हैं वे गिरवे सरीखे हैं। अगर वे रुपया नहीं दें तो सरकार उन पर अपना कब्जा कर सकती है।

श्री चांदमल मेहता—इस तरह से कितने कारखाने हैं जिन पर सरकार ने अपना कब्जा किया है?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार को ऐसी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कारखाने चलते हैं और वे सरकार को रुपया देते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या ऐसा कोई कारखाना है जिससे सरकार को रुपया नहीं मिला है?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार की धन-राशि बैंकों में भी जमा है।

श्री भोगीलाल पंड्या—हां, कुछ है।

श्री चांदमल मेहता—बैंक में जो रकम जमा है वह फिक्स डिपोजिट है या करेन्ट डिपोजिट है।

श्री भोगीलाल पंड्या—आप कृपया नक्शा देख लें तो आपको सब मालूम हो जावेगा।

श्री अध्यक्ष—पुनः प्रश्न संख्या १८२०, श्री भोपालसिंह।

प्रश्न संख्या १८२०

भीनमाल के दक्षिण में बहने वाली सागी नदी पर बांध बांधना

श्री भोपालसिंह—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या भीनमाल के दक्षिण में करीब बारह माह बहने वाली सागी नदी पर बाँध बनाने की योजना विचाराधीन है।

(ख) अगर हां, तो क्या यह बांध सन् १९५५-५६ में बन सकेगा? इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(क) कोई बड़े बांध का विचार नहीं है। इस नदी के बहाव को उपयोग में लाने की योजना पर विचार किया जा रहा है।

[श्री चन्दनमल वैद]

(ख) इसकी जांच की जा रही है और जांच पूरी हो जाने पर नक्शे और तखमीने बनाये जायेंगे। यह काम इस पंचवर्षीय योजना में नहीं लिया है और दूसरी पंचवर्षीय योजना में रखा जायगा, ऐसी सम्भावना है ।

श्री भोपालसिंह—यही एक ऐसी मारवाड़ की तरफ की नदी है जो बारह मास बहती है, फिर भी अभी तक सरकार ने इस पर बांध बनाने की योजना के लिये जांच नहीं की । क्या सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान देना चाहती हैं या नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद—मैंने बताया कि इस नदी का उपयोग पहले पंचवर्षीय योजना में नहीं हो सका और यह स्कीम पहली पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं हुई । इसलिये अब तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही शामिल होगी ।

श्री भोपालसिंह—सरकार इस पर कब से विचार कर रही है ?

श्री चन्दनमल वैद—सरकार इस पर जल्दी भी विचार करे तो भी यह दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही हो सकती है ।

श्री संतोषसिंह—क्या इसका सर्वे कर लिया गया है ?

श्री चंदनमल वैद—मैंने मुकम्मिल रूप से बताया कि जांच पूरी होने पर नक्शे और तखमीने बनाये जावेंगे ।

श्री संतोषसिंह—किस प्रकार जांच की गई ?

श्री चंदनमल वैद—प्रारंभिक जांच के लिये मैंने कहा है ।

श्री सन्तोषसिंह—किस प्रकार जांच कराई गई, कितना पानी आ सकता है ? वगैर सर्वे कराये आप यह नहीं जान सकते ?

श्री संतोषसिंह—क्या आप बतावेंगे कि सर्वे और जांच में क्या फर्क है ?

श्री चन्दनमल वैद—जितना हिन्दी और अंग्रेजी में होता है ।

श्री अध्यक्ष—प्रारंभिक इन्क्वायरी हो रही है ।

श्री सन्तोषसिंह—जब साइट ही नहीं देखा गया तो क्या जांच हुई ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १८२१

सागी नदी के निकट आर्टिजन वेल होने की सम्भावना

श्री भोपालसिंह—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सागी नदी के आस-पास आर्टीजन वेल होने की सम्भावना है ?

(ख) अगर हां, तो क्या सरकार इसकी कोई योजना बनाने की सोच रही है ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(क) और (ख) नहीं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—आर्टीजन वेल का मतलब आप क्या समझते हैं, क्या बतलाने की कृपा करेंगे।

श्री चन्दनमल वैद—हमारे यहां लाइब्रेरी में अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद करने की डिक्शनेरी है, आप उसमें इसका अर्थ देख सकते हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यों तो हर एक प्रश्न का जवाब फाइलों में मिल जावेगा लेकिन मन्त्रीजी को इसका मतलब बताना चाहिये जब किसी के समझ में नहीं आवे।

श्री चन्दनमल वैद—हर एक टेक्निकल टर्म का मतलब बताना सम्भव नहीं होता। कल आप यह कहेंगे कि डी. एम. एच का C. S. Class I तथा C. S. Class II क्या मतलब होता है तो......

कुं० श्री जसवन्तसिंह—जो मन्त्री होते हैं उनके लिए तो इस प्रकार के अर्थ बतलाना सम्भव हो सकता है और जो मन्त्री नहीं होते उनके लिये सम्भव नहीं हो सकता।

श्री भोपालसिंह—क्या सरकार मेरे विश्वास दिलाने पर भी वहां इसके लिए प्रबन्ध करेगी ?

श्री चन्दनमल वैद—इसकी सम्भावना नहीं है।

श्री भोपालसिंह—मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसकी सम्भावना है।

श्री चन्दनमल वैद—टेक्नीकल एक्सपर्ट की राय ली गई जो आपकी राय से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

श्री भोपालसिंह—क्या आप उन एक्सपर्ट के नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्दनमल वैद—इर्रिगेशन डिपार्टमेंट ।

(श्री शम्भूसिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !!

श्री भोपालसिंह—क्या आप उन व्यक्तियों के नाम बतावेंगे जिन्होंने अपनी राय द है ?

श्री चन्दनमल वैद—मैंने बताया कि इर्रिगेशन डिपार्टमेंट ।

श्री भोपालसिंह—क्या आप उन व्यक्तियों के नाम बतावेंगे ?

श्री चन्दनमल वैद—इर्रिगेशन वालों ने भी एक्सपर्ट्स की राय ली होगी।

श्री भोपालसिंह—क्या उन्होंने वहां जाकर जांच की है !

श्री चन्दमल वैद—यह जानकारी अभी मेरे पास नहीं है । जानकारी हासिल कर बताया जा सकता है ।

श्री जवानसिंह—क्या यह इसी जगह सम्भव नहीं है या राजस्थान के किसी भी हिस्से में सम्भव नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—इसी जगह के लिए.।

श्री संतोषसिंह—एक्सपर्ट्स ने अपनी राय किस आधार पर दी है ? क्या उन्होंने सर्वे किया है !

श्री चन्दनमल वैद—उन्होंने अपनी बुद्धि के आधार पर राय दी है ।

श्री सन्तोषसिंह—क्या उन्होंने वहां खुद जाकर देखा है !

श्री चन्दनमल वैद—जिन तरीकों से देखा जाना चाहिये सभी तरह से देखा होगा ।

श्री जवानसिंह—क्या यह जियोलोजिस्ट्स का काम है या इर्रिगेशन डिपार्टमेंट का काम है !

श्री चन्दनमल वैद—उन्होंने जियोलोजिस्ट्स से भी राय ली होगी । इसके अलावा उन्होंने यह भी जानकारी हासिल की होगी कि कितनी रेनफाल होती होगी । यह रेनफाल तथा Geological Conditions दोनों पर निर्भर करती है ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Where ignorance is bliss, it is better to be silent?

श्री हिम्मतसिंह—क्या पानी वाले महाराज से भी राय ली गई थी ?

श्री जवानसिंह—क्या सरकार इस टेक्निशियनों की राय को सदन की मेज पर रखने के लिए तैयार है ?

श्री चन्दनमल वैद—अगर आवश्यकता समझी जावेगी तो।

श्री जवानसिंह—राय है भी या नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद—है।

श्री भोपालसिंह—क्या सरकार उस राय को सदन की टेबल पर रखने को तैयार है ?

श्री चन्दनमल वैद—अगर जरूरत हो तो रखने के लिए तैयार है।

श्री अध्यक्ष—If the Hon'ble Member wants the Govrnment can take him into confidence. We should expect that the replies which are given on the floor of the House are based cn facts and it would be very unjust on the part of the members to disbllieve the statements which are given by the Treasury Benches on the floor of the House.

श्री भोपालसिंह—क्या मैं आपके पास हाजिर होऊं तो आप उसको मुझे बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्दनमल वैद—Yes.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—From the replies that we are receiving...

श्री अध्यक्ष—It is only a question of the report of expert and when the Hon'ble Minister makes a statement on the floor of the House, I think it is not just to disbelieve that.

श्री संतोषसिंह कछवाहा—कई दफा चैलेन्ज किया गया है।

श्री अध्यक्ष—No. May be. The statement from the Treasury Benches was to this effect that there is a report and I should rather expect from tne Hon'ble Members that they should believe it.

Page No.24

कुं० श्री जसवन्तसिंह—I would also like to make one submis-sion in regard to...

(दो-तीन सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—One Hon'ble Member at a time.

श्री भोपालसिंह—नदी के किनारे बेरों में पानी निकलता है। ट्यूब वेलस...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ट्यूब वेलस में पानी आ सकता है, मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यह संभव हो या नहीं मगर अन्डरग्राउन्ड वॉटर है या नहीं, यह तो बोरिंग या जिओलॉजिकल सर्वे से ही जाना जा सकता है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Exactly that is what my contention is.
यह तो ट्यूब वेलस का प्रश्न नहीं है। यह तो आर्टीजन वेल का प्रश्न है। यह बिल्कुल दूसरी चीज़ होती है।

श्री अध्यक्ष—That is a different matter. But when the Treasury Benches make a statement on the floor of the House, I do not think they give a bluff to the whole House. It is unthinkable for me.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—आपकी आज्ञा से तो अगर सरकार गलत जवाब दे चाहे सही जवाब दे, हमें सही मान लेना चाहिये। लेकिन जब रिपोर्ट का प्रश्न आ जाता है तो उसको हाउस के समक्ष रखने के लिये यह कहा जाता है कि अगर उसकी आवश्यकता समझी जावे तो we proceed on this assumption.

श्री अध्यक्ष—But then the very existence of this House will be uselees.

कु० श्री जवन्तसिंह—(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष—Now we come to the questions of the 2nd September. 1954.
Shri Chandmal Mehta.

प्रश्न संख्या १६७८

किशनगढ़ सब डिविजन का कंकर को रोयल्टी कलेक्शन का वर्तमान वर्ष का ठेका

श्री चांदमल मेहता—क्या खनिज विभाग मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.25

[श्री चांदमल मेहता]

(क) किशनगढ सब डिविजन का कंकर की रायल्टी कलेक्शन का वर्तमान वर्ष का ठेका कितने रुपयों में दिया गया ?

(ख) किशनगढ से सिलौरा और किशनगढ़ से अरांई तक की सड़क पर जो कंकर डाले गये हैं उसकी रायल्टी ठेकेदार को नहीं दिलाने के क्या कारण हैं ?

(ग) इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री व डिप्टी डाईरेक्टर ऑफ माइन्स के समक्ष कितने प्रार्थना पत्र पेश हुए हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चंदनमल बैद (उप मंत्री)—(क) ६०१ रुपये में ता० ३१. ३. ५५ तक दिया गया है।

(ख) रॉयल्टी वसूल करना ठेकेदार की जिम्मेदारी है।

(ग) एक ही तरह के कई प्रार्थना-पत्र असिस्टेन्ट डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर तथा चीफ मिनिस्टर के नाम आये थे। असिस्टेन्ट डाइरेक्टर द्वारा जवाब दिया जा चुका है।

श्री चांदमल मेहता—क्या जवाब दिया गया ?

श्री चंदनमल बैद—मौरम्ड रॉयल्टी वसूल करने और ठेके में शामिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्री चांदमल मेहता—कंकड डाले गये या नहीं ? कंकड की रायल्टी दी गई या नहीं ? मैंने यह सवाल पूछा था कि अरांई से किशनगढ तक की सड़क पर रॉयल्टी कितनी कलेक्ट करके दिलाई गई है ?

श्री चंदनमल बैद—कंकड डाले गये या नहीं, यह तो मैं नहीं कह सकता। अगर उन्होंने मूरड डाली है तो नहीं मिल सकता।

श्री चांदमल मेहता—मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि कंकड के बारे में जो शर्त थी उसके अनुसार रॉयल्टी दिलाई गई या नहीं। आप जवाब दे रहे हैं मोरन्ड के बारे में। सवाल यह है कि उसके ऊपर कंकड डाले गये या नहीं ?

श्री चंदनमल बैद—मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह कैसे पूछा जा रहा है कि सड़क पर कंकड डाले गये या नहीं। मेरा कहना यह है कि कंकड डाले गये हैं, तो उसको रॉयल्टी

[श्री चन्दनमल वैद]

मिलना चाहिए, उसको लेने का हक है। लेकिन कंकड के बजाय मोरंड की रॉयल्टी लेना चाहते हैं तो नहीं मिल सकती है। इसके बारे में पत्र व्यवहार हुआ है और उसको जवाब बार बार लिख दिया गया है। छोटे २ अधिकारियों को रॉयल्टी देने के लिए धमकियां दी जाती हैं। इस तरह से रॉयल्टी नहीं मिल सकती है।

श्री चांदमल मेहता—कंकड के बारे में जब ठेका दिया गया था और जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने बताया तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कंकड डालने की उसको रॉयल्टी दी गई थी या नहीं? मोरंड के बारे में मैंने नहीं पूछा था।

श्री चन्दनमल वैद—मैं साफ कर चुका हूं कि रोयल्टी मिलनी चाहिए और उसको वसूल करने का ठेकेदार को अधिकार हैं। दिक्कतें आती हैं तो दिक्कतों क्यों सॉल्व करने के लिए इमदाद मांगी जा सकती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या मन्त्री महोदय की जानकारी में है कि ठेकेदार ने मांग की है कि कन्कडों की रोयल्टी दिलाई जाय?

श्री चंदनमल वैद—ठेकेदार ने मांग की है कि मोरन्ड जिसको वे कन्कड़ समझते हैं उसको रॉयल्टी दिलाये। जिसको आप कन्कड़ समझते हैं वह मोरन्ड़ है।

श्री चांदमल मेहता—जिसको कन्कड़ समझती है उसकी रोयल्टी दिला दी गई है?

श्री चंदनमल वैद—सरकार की ओर से जवाब दिया जा चुका है कि जिसको आप कंकड़ समझते हैं वह मोरन्ड है।

श्री चांदमल मेहता—क्या आप समझते हैं कि उस सड़क पर कन्कड नहीं डाले गये थे?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १६७६

ग्राम बांधरसीधरी (त० किशनगढ़) के तलाब उम्मेदसागर के पेटे में गूजरों द्वारा अपनी भूमि में काश्त

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री चांदमल मेहता]

(क) क्या यह सही है कि ग्राम बांधरसींधरी, तहसील, किशनगढ़ के तालाब उम्मेदसगर के पेटे में गूजर कई वर्षों से अपनी अपनी जमीनें काश्त करते आ रहे हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि उनसे लगान मुकर्रर लगान से सवाया वसूल किया जाता है ?

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(क) उम्मेदसागर तालाब ग्राम बांदरसीधरी में नहीं है बल्कि ग्राम नोहरिया में है। इसके पेटे में कुछ बापी की और बिला नाम की जमीन भी है। बिला नाम की जमीन पर गैर मुस्तकिल कांश्तकार काश्त करते हैं जिसमें गोवर्धन गूजर व धन्ना गूजर की इस वर्ष कोई काश्त नहीं है। हरजी व रोड गुजरान वगैरह ने इस तालाब के पेटे की बिला नाम की भूमि पर काश्त की है।

(क) बिला नाम की भूमि पर गैर मुस्तकिल काश्तकारों से सवाया लगान लिया जाता है।

(ग बिला नाम की जमीनों को जो काश्तकार एक वर्ष के लिए ही काश्त गैर बापी पर लेते हैं उसका सवाया लगान लिया जाता है।

श्री चांदमल मेहता—जिन काश्तकारों के नाम बताये गये हैं उन्हें गैर मुस्तकिल किन कारणों से माना गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—क्योंकि उन्हें परमानेन्ट राइट्स नहीं दिये गये।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि वे वर्षों से काश्त करते आ रहे हैं और उनको पर्चे नहीं दिये गये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आम तौर पर तालाब की जमीन पर गैर मुस्तकिल काश्तकार ही रखे जाते हैं और उनको खातेदारी राइट्स नहीं दिये जाते।

श्री चांदमल मेहता—दूसरे आदमियों को तो पर्चे दिये गये हैं फिर उनको पर्चे क्यों नहीं दिये गये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—डिटेल्स तो मुझे मालूम नहीं है। इयर टू इयर रेन्ट-रियलाइज़ होता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जागिरदारों के नाम जितनी जमीन हैं उनके पर्चे दिये गये हैं फिर किसानों को पर्चे न दिये जाकर उनसे सवाया लगान क्यों वसूल किया जा रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरी ऐसी जानकारी नहीं है। अगर एक ही किस्म के काश्तकार हों और उनमें पर्चे बांटे गये हों और उनको न दिये गये हों तो आवश्यक जांच करके कार्यवाही की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १६८०

सरवाड़ ग्राम में पुलिस चौकी मुसाफिरों के ठहरने की धर्मशाला में होने सम्बन्धी

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि सरवाड़ ग्राम में पुलिस चोकी मुसाफिरों के ठहरने की धर्मशाला में है ?

(ख) क्या उक्त धर्मशाला पर पुलिस द्वारा कब्जा कर लेने से मुसाफिरों को बड़ी असुविधा होती है ?

(ग) सरवाड़ ग्राम में और कितनी धर्मशालायें हैं जिन पर पुलिस ने कब्जा कर रखा है ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उप मंत्री)—(क) जी नहीं। वहां पर कोई पुलिस चौकी नहीं है, केवल एक कॉन्स्टेबल मोटर स्टेन्ड के पास वाले तिबारे में रहता है।

(ख) उस तिबारे में एक कान्स्टेबल के रहने की वजह से किसी को असुविधा हुई हो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है।

(ग) एक भी नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या जिस तिबारे में कॉन्स्टेबल रहता है उसमें दूसरे मुसाफिरों को भी ठहरने की छूट है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—मैंने बताया कि यह उनको नहीं मालूम है कि धर्मशाला है या नहीं, तिबारे के अन्दर एक कॉन्स्टेबल रहता है जिसकी सूचना मेरे पास है।

श्री चांदमल मेहता—क्या वह तिबारा सरकार की तरफ से बनाया हुआ है?

श्री नरसिंह कछवाहा—वह शायद खाली पड़ा है इसलिए कॉन्स्टेबल रहता है।

श्री चांदमल मोहता—क्या यह सही है कि सरवाड़ की जनता ने बार बार यह मांग की है कि मुसाफिरों के ठहरने की जो जगह है उस पर पुलिस ने कब्जा कर रखा है इसलिए उसको खाली करवाया जाय ?

श्री नरसिंह कछवाहा—ऐसी सूचना मेरे पास नहीं आई है।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री महोदय अपने विभाग से जांच करेंगे कि कितने प्रार्थना-पत्र आये हैं और क्या जवाब दिया है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—कोई सूचना मेरे पास नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या आप जांच करने के लिए तैयार हैं कि कितने प्रार्थना पत्र आये ?

श्री नरसिंह कछवाहा—जांच करने के लिए तैयार हूँ।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री जांच करेंगे कि सरवाड़ा ग्राम में दूसरी धर्मशाला है वहां पर भी पुलिस ने कब्जा कर रखा है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—यह बात सही नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या धर्मशाला पर कब्जा करने का हक मान लिया गया है आपकी ओर से ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १६८१

किशनगढ़ तहसील के किसानों के रुपये कूए खुदवाने की मशीन के लिए सरकार में जमा

श्री चांदमल मेहता—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे

(क) किशनगढ़ तहसील के किसानों के कितने रुपये कूए खुदवाने की मशीन के लिए सरकार में जमा हैं ?

(ख) उक्त किसानों की रकम कब से सरकार में जमा है ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त किसानों के बार बार मांग करने पर भी उनकी जमा शुदा रकम नहीं लौटाई जा रही है ?

(घ) यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (कृषि मंत्री)—(क) और (ख) तहसील किशनगढ़ में निम्न कृषकों ने कूए खुदवाने के लिए रुपये जमा कराये हैं।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

लम्बी लिस्ट है। आप चाहें तो पढ़ कर सुना दूं। इसका टोटल है १२३७०)।

(ग) दो काश्तकारों के हिसाब तय हो गये हैं। बाकी काश्तकारों के हिसाब भी शीघ्र ही तय कर दिये जावेंगे।

(घ) सन् १६५२-५३ में इस काम पर कुछ व्यक्ति रखे गये थे, जिन्होंने कुछ गड़बड़ी की, जिनके हिसाब की जांच की जा रही है। इसलिए काश्तकारों के हिसाब साफ करके रकम लौटाने में देर हो रही है।

श्री चांदमल मेहता—उनके खिलाफ जांच कब से शुरू की गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सन् १६५३ में की गई थी। उसके बाद उनको सस्पेन्ड किया गया।

श्री चांदमल मेहता—जो रकम किसानों की जमा है उसको नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं कह चुका हूं कि उनको सस्पेन्ड किया गया था। जितनी रकम उनको लौटने की है उसका एडजस्टमेन्ट किया गया है और जल्दी से जल्दी लौटाने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १६८२

किशनगढ़ तहसील के विभिन्न ग्रामों में गोचर भूमि की घोषणा

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्वमंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) किशनगढ़ तहसील के किन किन गांवों में गोचर भूमि की घोषणा की जा चुकी है ?

(ख) ऐसे कौन कौन गांव हैं जहां अभी घोषणा नहीं की गई है ?

(ग) क्या यह सही है कि पट्टेदार किसानों की वर्षों से काश्त में आने वाली जमीनों को भी चारागाह घोषित किया जा चुका है ?

(घ) यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—(राजस्व मंत्री) (क) किशनगढ़ तहसील के ५७ ग्रामों में से ५५ में गोचर भूमि छोडी गई है। इनकी सूची स्टेटमेंन्ट में दी गई है।

(ग) जी नहीं, बिला काश्त की जमीनों को ही छोडा गया है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—वे दो गांव कौन कौन से हैं जहां गोचर भूमिनहीं छोड़ी गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—(१) बृजपुरा और (२) रामपुरा

श्री चांदमल मेहता—इन दो गांवों में गोचर भूमि नहीं छोडने का क्या कारण हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इसकी जानकारी प्राप्त की जारही है, जानकार प्राप्त हो जाने के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही कर दी जायगी।

श्री चांदमल मेहता—जिन गांवों में गोचर भूमि की घोषणा की गई, क्या इस प्रश्न के आने के बाद की गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यदि प्रश्न आने के बाद ही ५५ गावों में गोचर भूमि की घोषणा हो जाती हो तो एड्मिनिस्ट्रेशन की एफीशियेन्सी को दाद देना चाहिये।

श्री चांदमल मेहता—खास किशनगढ़ में गोचर भूमि की घोषणा क्यों नहीं की गई है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ऐसी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री चान्द मल मेहता—क्या इस संबन्ध में जानकारी करने के पश्चात् किशनगढ़ में गोचर भूमि की घोषणा करने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—किशनगढ़ ऐसा क्षेत्र हो गया है जिसका सारे का सारा एन्साइक्लोपीडिया तैयार करना पड़ेगा। आपका क्या किशनगढ़ से मतलब है ?

श्री चान्दमल मेहता—मेरा मतलब खास किशनगढ़ शहर से है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—किशनगढ़ के जवाब देते देते हम थक गये।

Page No.32

श्री कपिलदेव अग्रवाल—एक सवाल हमारी कॉन्स्टीटूएन्सी का भी पूछा होता ।

श्री अध्यक्ष—श्री धर्मपाल ।

(प्रश्न पूछने को खड़े नहीं होने पर)

एक माननीय सदस्य—He is there.

श्री अध्यक्ष—He is bodily present but mentally absent.

कु० श्री जसवन्तसिंह—If the Deputy Minister is not capable of replying it is a different matter. But how can it be tolerated that a Member is sitting and is not asking the question. If he does not want to ask the question he should go out but if he sits here and does not ask......

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—वे प्रश्न पूछना ही नहीं चाहते ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—Mr. Speaker, Sir, I want to have a ruling whether Member who is sitting here can say that he does not want to ask the question. If he is absent, it is all right......

श्री चन्दनमल वैद—एब्सेन्ट होने का सवाल ही नहीं । वे हैं तो भी पूछना नहीं चाहते ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—You (Shri Vaid) are not here to advise the Speaker. I am addresisng the Speaker who should authoritatively say whether an Hon'ble Member who is sitting here can say that he will not ask the question.

श्री अध्यक्ष—मैं नहीं समझता कि इतनी छोटी छोटी बातों पर माननीय सदस्यों को उत्तेजित हो जाना चाहिये । मैंने उनका नाम कॉल किया था और वे उस समय उपस्थित नहीं थे, सदन में प्रवेश कर रहे थे । अब मैं उनका नाम फिर कॉल कर रहा हूं । वे अपनी सीट पर खडे होकर क्वेश्चन कॉल करें । अगर वे खडे नहीं होंगे तो मैं यह मानूंगा कि वे पूछना नहीं चाहते ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—We also assure that we will not ask supplemenaries.

श्री अध्यक्ष—Shri Dharampal Panwar.

(प्रश्न नहीं पूछने पर)

कु० श्री जसवन्तसिंह—हमारे यहां एक कहावत है कि बकरे की मां कितने दिन खैर मनावेगी ? हम अच्छी परम्पराएं डाल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—These are the rules. It is a different thing that a particular member is under the influence of Treasury Benche.

(हंसी)

नेक्स्ट, श्री हंसराज जटिया ।

प्रश्न संख्या १६८४

तहसील राजाखेड़ा, धौलपुर में सिंचाई के लिये विचाराधीन योजना

श्री हंसराज जटिया—क्या राजस्व मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तहसील राजाखेड़ा, धौलपुर में सिंचाई के लिये सरकार के विचाराधीन कोई योजना है ?

(ख) क्या पार्वती बांध से इस तहसील में नहर जा सकेगी ?

(ग) क्या वहां ट्यूब वेल बनाने की कोई स्कीम सरकार के विचाराधीन है ?

(घ) क्या इस क्षेत्र की जमीन गेहूं और कपास के लिये बहुत उपयुक्त है ? यदि हां, तो इसकी उन्नति के लिये सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री चन्दनमल वेद (उप मंत्री)—(क) नहीं ।

(ख) नहर नहीं जा सकती ।

(ग) और (घ) भाग का सम्बन्ध राजस्व मन्त्री से है । वे अपनी अगली टर्न पर इसका जवाब देंगे ।

श्री अध्यक्ष—यह दूसरी टर्न तो निकल गई ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं इसके बारे में अभी स्पष्ट कर दूं । (ग) में पूछा गया है कि क्या वहां ट्यूब वेल बनाने की कोई स्कीम सरकार के विचाराधीन है । इस संबन्ध में मेरा यह निवेदन है कि ट्यूब वेल बनाने के संबन्ध में निश्चित तौर से कोई योजना गवर्नमेन्ट के पास तैयार नहीं है । इस संबन्ध में भारत सरकार से बातचीत चल रही है । भारत सरकार का जियोलोजिकल विभाग इस संबन्ध में जांच कर रहा है कि राजस्थान में ट्यूब वेल की कहां कहां संभावना है; उसकी रिपोर्ट के बाद आगे की कार्यवाही की जायगी । इस समय किन किन जगहों

[श्री मोहन लाल सुखाड़िया]

पर ट्यूब वेल बनाये जायेंगे उस संबन्ध में निश्चित तौर से योजना नहीं है। इस संबन्ध में भारत सरकार के एक्सपर्टस, जियोलाजिकल विभाग, इस ओर कार्य कर रहा है।

श्री हंसराज जटिया—क्या राज खेड़ा धौलपुर गेहूं और कपास के लिये उपयुक्त स्थान है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हां, गेहूं और कपास के लिये ठीक जमीन मानी जाती है।

श्री जवान सिंह—एक्सपेरिमेन्ट के लिये कहां कहां पर पिट्स खोदे जायेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—भारत सरकार का जियोलॉजिकल विभाग अलग अलग जगहों को ट्राइ कर रहा है। यह भी उसका ख्याल है कि बीकानेर का हिस्सा जो पंजाब से लगा हुआ है वहां भी ट्यूब वेल की सफलता हो सकती है, वहां भी अन्डर ग्रउन्ड वाटर पोसिबल है। इस तरह से ट्राइ किया जाकर धीरे धीरे अलग अलग एरियाज़ के अन्दर निश्चित तौर से गवर्मेन्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जांच हो रही है। उसमें भरतपुर, अलवर और कुछ बीकानेर का इलाका भी शामिल हो सकता है।

श्री हंसराज जटिया—क्या आप राजाखेड़ा तहसील की जांच करवाने के लिये तैयार हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं निश्चित तौर से कुछ नहीं कह सकता किन्तु भारत सरकार का जिओलोजिकल विभाग ही इस बारे में तय करेगा।

श्री घीसीसिंह—क्या सर्वे इस बात की करेंगे कि किस किस जगह ट्यूब वेल कामयाब हो सकते हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—एक्सपेरिमेंटल ट्यूब वेल का मतलब ही यह है। भारत सरकार के जियोलोजिकल विभाग द्वारा सर्वे करने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जायगी।

प्रश्न सं० १६८५

ग्लास वेयर्स लिमिटेड भरतपुर की बिल्डिंग तथा सामान का नीलाम इत्यादि

श्री तेजपाल—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि कुछ अर्से पूर्व ग्लास वेयर्स लिमिटेड भरतपुर की बिल्डिंग तथा मेटीरियल नीलाम किया जा चुका है?

[श्री तेजपाल]

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अपनी बड़ी धनराशियों को वसूल करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

(ग) चेम्बर ऑफ कॉमर्स, भरतपुर से सरकार ने कितने कितने रुपये के कितने शेयर खरीदे हैं ?

(घ) कितने शेयर की रकम सरकार उक्त चेम्बर ऑफ कॉमर्स को भुगतान कर चुकी है ?

श्री **चन्दनमल वैद** (उप मन्त्री)—(क) यह सही है कि कुछ अर्से पूर्व ग्लास वेयर्स लि० भरतपुर की बिल्डिंग तथा मेटीरियल नीलाम किया जा चुका है।

(ख) कम्पनी की बिल्डिंग तथा मेटीरियल बैंक व अन्य व्यक्तियों के यहां रहन थी और कानूनी उनका हक बिल्डिंग व मेटीरियल पर पहले था। इसी कारण अदालत की डिक्री द्वारा यह बिल्डिंग व मेटीरियल नीलाम किये गये। सरकार को शेयर्स होल्डर्स की हैसियत से अपने हिस्से का रुपया कम्पनी के लिक्विडेशन में जाने के बाद ही मिल सकता है। क्योंकि कम्पनी लिक्वीडिशन में अभी नहीं गई है अतः रुपया वसूल नहीं हुआ है।

(ग) चेम्बर ऑफ कॉमर्स, भरतपुर में सरकार द्वारा १०० शेयर्स १०० रु० प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे हैं।

(घ) प्रत्येक शेयर के प्रति ५० रुपये सरकार की ओर से भुगतान हो चुके हैं।

श्री **तेजपाल**—क्या यह ग्लास फेक्ट्री नीलाम हो चुकी है ?

श्री **चन्दनमल वैद**—यह तो दूसरे प्रश्न में आपने पूछा है, उसका आपको जवाब मिल जायगा।

श्री **अध्यक्ष**—जब आपके पास जवाब है तो दे दीजिये।

श्री **चन्दनमल वैद**—जी हां, नीलाम हो चुकी है। उसकी बिल्डिंग तथा मेटीरियल भी नीलाम हो चुका है।

श्री **तेजपाल**—जो उसमें गवर्नमेंट का रुपया था उसका क्या होगा ?

श्री **चन्दनमल वैद**—वह वसूल नहीं हो पायगा।

Page No.36

श्री तेजपाल— क्या सरकार अपनी रकम इस प्रकार ऐसे मदों में ही खराब करती जायगी ?

श्री चन्दनमल—माननीय सदस्य जो मैंने जवाब दिया उसको समझने की कोशिश करें। हम उसमें भागीदार हैं, पावनेदार नहीं। ७५ हजार रुपया हमने जो लगाया है वह एक लिमिट है। उतनी लिमिट में यदि नुक्सान होगा तो हमें भुगतना पड़ेगा, हम उस नुक्सान में भागीदार हैं।

श्री तेजपाल— क्या इसके नीलाम होने की सूचना गवर्नमेंट को मिल चुकी थी ?

श्री चन्दनमल वैद—हां, मालूम था कि यह फेक्ट्री नीलाम हो रही है।

श्री तेजपाल—यह किस तारीख को नीलाम हुई ?

श्री चन्दनमल वैद—इसकी नीलामी की तारीख का तो मुझे पता नहीं, किन्तु जब इस पर मुकदमा चल रहा था तभी तक हम जान रहे थे कि इसनें बैंक का पावना है। मुकदमे की डिक्री होने के बाद ऐसा अन्दाज है, सन् ५१-५२ के आर्थिक वर्ष में यह नीलाम हुई थी।

श्री सन्तोषसिंह—इस नीलामी की ऊंचे से ऊंची रकम क्या थी ?

श्री चन्दनमल वैद— यह नीलाम की गई, ऐसा मुझे पता है। कितने में की गई, इसकी जानकारी नहीं।

श्री सन्तोषसिंह—सबसे ऊंची बोली कितने रुपयों की आई ?

श्री चन्दनमल वैद—सुनाई नहीं दिया, क्या कहा आपने ?

श्री अध्यक्ष—हाइएस्ट बिड कितने की थी ?

श्री चन्दनमल वैद— यह दीवानी अदालत से नीलामी हुई है और जितना रुपया पावना था उससे कम ही थो।

श्री सन्तोषसिंह—कितने रुपये मिले, यह बतलाइये।

श्री अध्यक्ष—कोर्ट सेल है यह। अदालत से नीलाम हुआ है।

श्री सन्तोषसिंह—दो साल हो गये इसको सेल हुए। पर इसकी इत्तला तो सरकार के पास होनी चाहिये कि कितने रुपये में सेल हुई ?

श्री अध्यक्ष— What's the use ? What purpose will it serve ?

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—यूज तो बहुत है। कितने रुपयों की सम्पत्ति कितने रुपयों में नीलाम हुई, यह जानना है। क्या वह पांच ही हजार में नीलाम कर दी गई? आखिर कितनी रकम में नीलाम हुई, यह जानना तो जरूरी ही है।

श्री अध्यक्ष—वह बतला रहे हैं, जवाब दे रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद—चालीस हजार में नीलाम हुआ है जब कि लेना एक लाख पचास हजार का था।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १६८६

श्री गंगामन्दिर, हरिद्वार के सदावर्त के लिये पूर्व बीकानेर राज्य द्वारा कुछ रकम रखना

कु० श्री जसवन्तसिंह—Will the Minister Incharge, Devasthan be pleased to state:—

(1) Whether any money is earmarked on behalf of the former Bikaner State for Sadabarat at Sri Ganga Mandir, Hardwar?

(2) If so, what is the amount?

(3) Has the Government received any complaint that this Sadabarat money is being swallowed in the form of food by:

(a) Nigranidar;

(b) Telhwa;

(c) Bhandari, and

(d) Pujari.

(4) Are these employees in receipt of pay and dearness allowance from Government? If so, how Government employees are allowed to appropriate Sadabarat funds?

(5) Is it a fact that the Nigrnnidar had opened a shop in Ganga Mandir for selling Charcoal and firewcod to the Pilgrims, staying at Gange Mandir?

(6) Is it a fact that the pay of the Pujari since 7½ months of the working period in 1952 was not paid inspite of several reminders?

[कु' श्री जसवन्तसिंह]

(7) Is it a fact that the Telhwa is not cleaning the temple and the Yatris are being forced to do so ?

(8) Is it a fact that Blankets received last winter for distribution to the poor were distributed amongst the Ganga Mandir employees ?

श्री भोगीलाल पंड्या (देवस्थान मंत्री)—(क) हां।

(ख) २३१२)

(ग) हां।

(घ) हां।

(ङ) वेतन कम होने से सदावर्त से खाना दिया जाता है।

(च) हां।

(छ) नहीं।

(ज) नहीं

(झ) हां।

कु' श्री जसवन्तसिंह—क्या थोड़े दिन पहले देवस्थान कमिश्नर वहां गये थे और उन्होंने उन कर्मचारियों की गलती महसूस की और बहुत सों को निकाला भी ? क्या यह सही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी,सही है। मैं भी वहां गया था और वहां जब गड़बड़ी की बात ठीक पाई, इसलिये कमिश्नर को भेजा गया था।

कु' श्री जसवन्तसिंह—अब क्या किया जा रहा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—लोगों की ठीक ढंग से व्यवस्था हो, पैसे का सदुपयोग हो और लोगों को सदावर्त मिले, यह व्यवस्था की गई है।

श्री कु' जसवन्तसिंह—क्या वह शिकायत ठीक थी ? अब क्या व्यवस्था की गई है, जिसमें दुबारा शिकायत न हो ?

श्री भोगीलाल पंड्या—शिकायत ठीक थी तभी तो कुछ लोगों को हटाया गया वहां से। व्यवस्था के लिए जो नियमानुसार कार्यवाही होती है वह की गई है, श्रवणनाथ मठ के महाराज को भी कहा गया है कि वे भी इसका ध्यान रक्खें और गवर्नमेंट भी देखेगी।

कु० श्री सवन्तसिंह—इस काम की वहां पर देख भाल करने के लिये किस को जिम्मेदारी सौंपी गई है जो इस काम की देख भाल करता रहे।

श्री भोगीलाल पंड्या—वैसे तो निगरानी निगरानीदार रखता है। समय समय पर निगरानी, यहां से भी अधिकारी जाते हैं वे भी करते हैं और जो यात्री होते हैं वे भी शिकायत करते हैं तो सरकार उनकी शिकायत पर भी पूरी तरह से गौर करके जांच करने का पूरा इरादा रखती है और फिर श्रवणनाथ मठ के मठाधीश भी निगरानी रखते रहते है और यहां पर हमें भी सूचना देते रहते हैं। फिर आप लोग भी ध्यान तो रखते ही हैं। आप लोगों से भी सूचना पाने की उम्मीद हम करते रहते हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—जब नम्बरदार के खिलाफ शिकायत थी तो उसी को रखने से। क्या मतलब ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जिन जिन के खिलाफ शिकायत थी उनको तो हटा दिया।

श्री खेतसिंह—क्या हमारे लीडर ऑफ ऑपोजीशन जो इसमें इतनी दिलचस्पी ले रहें हैं उनको सुपरविजन के लिए सरकार नियत करने के बारे में सोच सकती है ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—मैं हरिद्वार जिन्दा नहीं जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !!

श्री कपिलदेव—हमें तो इसके बाद में भी आशा नहीं है कि वहां जावेंगा आप।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। १६८७।

ग्लास वेयर्स फेक्ट्री के संचालन निमित्त शेयर्स खरीदे जाना

श्री तेजपाल—मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे;

(क) क्या सरकार द्वारा दी ग्लास वेयर्स लिमिटेड भरतपुर के संचालन निमित्त कोई शेयर्स खरीदे गये थे ?

(ख) यदि हां, तो कितने शेयर्स कितने कितने रुपये के ?

(ग) सरकार को अब तक उक्त खरीदे हुये शेयर्स से कितना रुपया शेयर्स व प्रॉफिट में उक्त फर्म से वसूल हो चुका है ?

Page No.40

श्री चन्दनमल वैद —(क) सरकार द्वारा दी ग्लास वेयर्स भरतपुर के संचालन निमित्त शेयर्स खरीदे गये थे।

(ख) ७५,००० रु० के शेयर्स खरीदे गये थे। १०००० आडनेरी शेयर्स : शेयर २५) का अ ५०० प्रिफेरेन्शल शेयर्स : शेयर १००) का।

(ग) सरकार को उक्त खरीदे हुए शेयर्स से कोई रुपया शेयर्स या प्रोफिट में वसूल होना प्रतीत नहीं होता।

श्री तेजपाल—चेम्बर ऑफ कॉमर्स जो चल रहा है वह कितने स्केल पर चल रहा है।

श्री चन्दनमल वैद—अभी इसकी कोई प्रगति नहीं है।

श्री तेजपाल—क्या यह बिलकुल ठप्प हो रहा है?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं है। आप तो ग्लास कम्पनी के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री तेजपाल—मेरा मतलब यह है कि यह फैक्टरी कितने अर्से से ठप्प है?

श्री चन्दनमल वैद—मुझे जहां तक मालूम है, मैं यही कह सकता हूं कि वह ठप्प पड़ी है।

श्री तेजपाल—तो सरकारी रकम का क्या होगा?

श्री चन्दनमल वैद—हम भागीदार हैं उसमें ? जितना नुकसान होगा हिसाब से भुग- पड़ेगा।

श्री तेजपाल—क्या इसका मतलब यह लिया जाय कि सरकार इसी तरह से नुकसान बर्दाश्त करती रहेगी?

श्री चन्दनमल वैद— पुरानी रियासत का यह किया हुआ पाप है, उसका फल हमें भुगतना तो पड़ेगा ही।

श्री तेजपाल —इसके लिए कोई नियम आगे के लिए बनाने को तैयार है सरकार?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—नियम तो हैं ही, पर सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि अगर पुरानी रियासतों ने कम्पनी के शेयर खरीद लिये हैं और अब कम्पनी के नुकसान में चले जाने पर अगर हमें उस शेयर का कोई कुछ नहीं मिल रहा है तो इसके लिये हमारे पास कोई इलाज नहीं है।

Page No.41

[श्री चन्दनमल वैद]

हमने कुछ शेयर खरीदे। अगर उनसे फायदा नहीं होता है तो इसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता। जितने शेयर खरीदे हैं उनमें अगर नुकसान होता है तो देना पड़ेगा।

श्री **तेजपाल**—क्या राजस्थान बनने के बाद में भी सरकार ने इसमें कोई रुपया दिया है?

श्री **चन्दनमल वैद**—ऐसी कोई रकम राजस्थान बनने के बाद नहीं दी गई।

श्री **खेतसिंह**—ऐसी कितनी दिवालिया कम्पनियां हैं कि जिनमें सरकार भागीदार है और कितने में उसको कुछ मिला है?

श्री अध्यक्ष—The Question does not arise.

प्रश्न संख्या १६८८

श्री अध्यक्ष—श्रीमती यशोदा देवी।

(अनुपस्थित)

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १६८६

टोकड़े व हमीर की आव को पक्का बांधना

श्री **चांदमल मेहता**—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि टोकड़े की आव एवं हमीर की आव जो गूंदोलाव में जाती है पक्की बंधी हुई नहीं है?

(ख) क्या यह सही है कि इस आव के पक्के नहीं होने की वजह से किसानों की काश्त की जमीनें कट जाती हैं एवं खात बह जाता है?

(ग) क्या इसके पक्के बनाने की शीघ्र कार्यवाही की जा रही है?

श्री **चन्दनमल वैद** (उप मंत्री)—(क) जी हां।

(ख) इस बात की सरकार को कोई सूचना नहीं है।

(ग) नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय के पास इस तरफ के किसानों के प्रार्थना-पत्र रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा प्राप्त हुए हैं ?

श्री चन्दनमल वैद—सुनाई नहीं दिया, क्या कहा आपने ?

श्री अध्यक्ष—वे यह पूछते हैं कि क्या रजिस्टर्ड पोस्ट से इस तरह के किसानों के प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुए हैं कि गांवों में इस स्राव से किसानों की काश्त की जमीनें कट जाती हैं और खात बह जाता है ?

श्री चन्दनमल वैद—मैं अपने जवाब में इसका उत्तर दे चुका हूँ।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या उन लोगों के पास में रजिस्टर्ड पोस्ट से रसीदें पहुंची हैं उनको सरकार की रसीदें नहीं माना जावे ? क्या आप की यह मन्शा है कहने की ?

श्री चन्दनमल वैद—अगर ऐसा है तो उन रसीदों को मैं जरूर देखना चाहूँगा और अगर ऐसी सूचना आपने भेजी है और हमारे तक नहीं पहुंचाई गई है तो इस पर जरूर कार्यवाही की जावेगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री सोहनलाल भटनागर।

प्रश्न संख्या १६९०

चम्बल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से राजस्थान को विद्युत-लाभ

श्री सोहनलाल भटनागर—Will the P.W.D. Minister be pleased to state:--

(a) How many Tehsils of Rajasthan will have the benefit of electricity from Chambal Hydroelectric Project during the first stage ?

(b) How many Tehsils of Rajasthan will have the benefit of electricity from Chambal Hydro-electric Project during the second stage ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(a) 16 Tehsils of Rajasthan will have the benefit of electricity from the Chambal Hydro-Electric Project during the first stage.

(b) 14 Tehsils of Rajasthan will have the benefit of electricity from the Chambal Hydro-electric projet during the second stage.

श्री सोहनलाल भटनागर—फर्स्ट स्टेज कब समाप्त हुई-इस साल में ?

श्री चन्दनमल वैद—इसकी पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह—यह चम्बल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से बिजली मिलने की बात कही गई है वह गांधीसागर बन्ध से मिलेगी या प्रतापसागर बन्ध से मिलेगी, किससे मिलेगी ?

श्री चन्दनमल वैद—पहले गांधीसागर बंध से, दूसरे प्रतापसागर बन्ध से।

श्री हिम्मतसिंह—यह बिजली कोटा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से कब मिलने लग जावेगी ?

श्री चन्दनमल वेद—अभी इस बारे में कोई निश्चय नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष—Now the question hour is over. Legislative Bussiness.

राजस्थान सामान्य विक्रय-कर विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष—श्री भोलानाथ।

श्री भोलानाथ—Sir, I beg to move for leave to withdraw the Bill to provide for the levy of general sales tax on the sale of goods in Rajasthan.

कु० श्री जसवन्तसिंह—इसको वापिस लेने के कारण भी बतायेंगे। क्या सरकार का इसे हमेशा के लिये स्थगित करने का विचार है ?

श्री जवानसिंह—अगर सदन के सम्मुख यह जो आज्ञा मांगी गई है कि यह बिल विदड्रा किया जावे तो सदन को इसमें खुशी होना चाहिये कि राजस्थान की जनता पर जो अन्यायपूर्ण दबाव डाला जा रहा था उसको यह वापिस ले रहे हैं। सरकार को सुमति आई है और सदन को अवश्य अनुमति देनी चाहिये, ताकि अगर कोई दूसरा दबाव भविष्य में पल्ले पटकने की वे सोचते हैं तो न रखें।

श्री अध्यक्ष—Motion moved. (श्री भोलानाथ से) जवाब देंगे ?

श्री भोलानाथ—जवाब की आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती है। उन्होंने एजेन्डा को आगे पढ़ने की कोशिश नहीं की।

श्री अध्यक्ष—इस स्टेज पर वह एजेन्डा नहीं पढ़ें, तभी ज्यादा अच्छा है।

(हंसी)

क्या सदन की अनुमति है कि इस बिल को वापिस लेने को आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

Page No.44

श्री अध्यक्ष (जारी):

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भोलानाथ--I withdraw the Bill.

राजस्थान उपनिवेशक विधेयक, १९५४

(प्रवर समिति के प्रतिवेदन की उपस्थिति के लिए समय की वृद्धि)

श्री अध्यक्ष—Yes, Revenue Minister.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Sir, I beg to move that the time appointed for the presentation of the Report of the Select Committee on the Bill to make better provision for the colonisation and admiestration of lands in Rajasthan be extended upto the 30th September, 1954.

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि यह आज्ञा प्रदान की जाय एक्सेटेन्शन की।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

राजस्थान विक्रय-कर विधेयक, १९५४—(पुरःस्थापन)

श्री अध्यक्ष—Yes, Separate Revenue Minister.

श्री भोलानाथ—Sir, I beg leave to introduce a Bill to provide for the lavy for a tax on the sale of goods in the State of Rajasthan.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यह सुमति सिर्फ ५ मिनट के लिए ही थी क्या ?

श्री अध्यक्ष—Motion moved. एक मिनिट के लिये भी आ जाय तो वह कल्याणकारी होती है।

(विराम

प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स टेक्स बिल, १९५४ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

Page No.45

श्री भोलानाथ—Sir, I introduce the Bill.

राजस्थान कृषि भू-धारण विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष—राजस्थान टिनेन्सी बिल, १९५३ पर अग्रेतर विचार हो।

क्लॉज़ १२२ बी

क्लॉज़ १२२ बी। और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें या (राजस्व मंत्री महोदय से) आप जवाब देंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, जहां तक १२२ बी का सवाल है कल काफी चर्चा इस क्लॉज़ पर हो चुकी है और सिलेक्ट कमेटी ने जो पहले की भाषा है उसमें अन्तर करके इस क्लॉज़ को क्यों स्वीकार किया? उसके सम्बन्ध में भी सारे विचार सदन के समक्ष आ गये थे। मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर और ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां की परिस्थिति को देखते हुए किसानों का ज्यादा से ज्यादा हित हो सकता है, इसी ख्याल से इस क्लॉज़ को रखा गया है। और मैं सदन से निवेदन करूंगा कि जो संशोधन इसमें नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्य ने स्वीकार किया उसके साथ में इस क्लॉज़ को स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—(श्री जसवन्तसिंह से) शायद आप कुछ उत्तर देंगे। आपने भी एक संशोधन मूव किया है १२२ बी में। (श्री सुखाड़िया से) एक्सेप्टेड। दोनों को एक्सेप्ट करते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष, नीम के थाने से आने वाले माननी सदस्य ने इसके हेडिंग के लिए एक अमेंडमेंट मूव किया था उसके बजाय बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने दूसरा अमेंडमेंट मूव किया है जो कि उसको रिप्लेस करता है तो दोनों को स्वीकार करने का प्रश्न नहीं आता है। "Immunity from ejectment from residential houses."

श्री अध्यक्ष— This is accepted and that is not accepted. (श्री कपिलदेव से) आप विद्ड्रा करते हैं।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मैंने खुद ने इसको मंजूर कर लिया है।

श्री अध्यक्ष—No. But it is necessary that the Hon'ble Member should withdraw

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मैं इजाजत चाहता हूँ। यह अमेंडमेंट जो मैंने पेश किया है उसको वापिस लेने की।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मैं इसको वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जसवन्तसिंह जी ने क्लॉज़ १२२ बी. में रखा है वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२२ बी. संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२२ बी. संशोधित रूप से विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १२३, श्री कपिलदेव अग्रवाल।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि जिन ३५-३६ औ ३७ क्लॉजेज़ को छोड़ दिया था वे सबलेटिंग पर हैं। उन क्लॉजेज़ को आपसी चर्चा के ऊपर छोड़ा था। अब कुछ अमेंडमेंट्स आये हैं उनके साथ इन क्लॉजेज़ पर विचार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—नये एमेंडमेंट्स आये हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जी हां, सर्क्युलेट किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—इनके ऊपर डिसकशन होगा या एग्रीड हो गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—सदन को एग्रीड कैसे कहा जा सकता है। यहां पर चर्चा हो जाय।

श्री अध्यक्ष—यहां पर उनके ऊपर चर्चा हो गई थी और चर्चा होने के बाद में इस अन्डरस्टेंडिंग पर वे पेंडिंग रखे गये थे कि जो एमेंडमेंट्स आये हैं और जो सजेसन्स हैं उनको रिज़ोल्व करके फिर एग्रीड आधार पर लिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी हां वे इसी तरह से हैं।

श्री अध्यक्ष—जैसा भी हो We should go back on these clauses.

क्लॉज़ १६ बी, सी, डी।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—क्लॉज़ ३५ से...

श्री अध्यक्ष—नहीं सब क्लॉजेज़ हैं, १६ बी, १६ सी, १६ सी सी, १६ डी...

कु० श्री जसवन्तसिंह—वे अभी नहीं ले रहे हैं।

खण्ड ३३

श्री अध्यक्ष—Clause 33. Restriction on transfer by sale.

श्री मोहनलाल सुखाडिया—क्लॉज़ ३३ पर चर्चा हो चुकी थी और उसे डिलीट करने के बारे में सुझाव आया था। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि मेल्स और फीमेल्स में कोई भेद नहीं रहा है, अतः क्लॉज़ नं० ३३ को डिलीट कर दिया जाय?

श्री जवानसिंह—यह नया रुल कब से अपनाया गया है?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जहां तक टिनेन्सी बिल का सवाल है वहां तक यह रुल कायम है। (हंसी)

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—हमारे कान्स्टीट्यूशन में यह रूप दे दिया है, समान अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—श्री मथुरादास माथुर और श्री वेदपाल त्यागी दोनों के अमेंडमेंट्स थे।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय अध्यक्ष, मैंने इसमें एमेन्डमेन्ट मूव किया है।

श्री अध्यक्ष—क्लॉज़ ३३ में १ (श्री सुखाड़िया से) वह विद्ड्रा करते हैं या वोट पर रखू।

श्री मथुरादास माथुर—मैं विद्ड्रा करने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि श्री माथुर को विद्ड्रा करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(प्रस्ताव स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री मथुरादास माथुर—मैं अपना संशोधन विद्ड्रा करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३३ में जो संशोधन श्री वेदपाल त्यागी ने रखा है वह स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह कैसे ?

श्री अध्यक्ष—I put it again to avoid प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ३३ में वेदपाल त्यागी ने रखा है, जो यह है :

"Delete the words 'or gift's"

श्री मोहनलाल सुखाडिया—This is consequentlial change and it is not necessary

श्री अध्यक्ष—But formally there should be an amendment properly moved.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Somebody should move the amendment.

श्री मोहनलाल सुखाडिया—अभी जबानी मूव करदें फिर लिखकर दे देंगे ।

श्री अध्यक्ष—I can allow it at the twelth hour. We take that Shri Kapildeo has moved this amendment that clause 33 be deleted. Is there any hon'ble Member desirous of speaking over this ?

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—When difference between male and female has been removed, Sir, why should anybody speak.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३३ को डिलीट करने का प्रस्ताव श्री कपिलदेव ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

इससे श्री वेदपाल त्यागी का संशोधन अपने आप गिर जाता है।

क्लॉज ३४

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि क्लॉज़ ३४ डिलीट किया जाय।

श्री अध्यक्ष—क्लॉज़ ३४ इस प्रकार है :

"Registration of documents:—No transfer made under section 31 or section 32 or section 33 shall be deemed to be valid unlil the deed effecting it has been duly registered in accordance with the Indian Registration Act, 1908."

कोई अन्य माननीय सदस्य इस पर कुछ बोलना चाहें तो उन्हें अनुमति है।

(चुप्पी)

माननीय अध्यक्ष, यह क्लॉज़ करीब करीब रिडेन्डेन्ट है क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट की तहत जो भी डोकुमेंट्स, एग्रीमेंट्स वगैरह होंगे वे बिना रजिस्ट्रेशन के इफेक्टिव नहीं होंगे। ये सारी बातें रजिस्ट्रेशन एक्ट में लिखी हुई हैं। यदि क्लॉज़ ३४ रखा जाय तो भी वही बात है और यदि न रक्खा जाय तो भी वही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी हालत में यह रिडन्डेन्ट है इसलिये यह प्रस्ताव रखा गया है जिसे मंजूर फरमावें।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूँ कि यह सदन को स्वीकार है। प्रश्न यह है कि क्लॉज ३४ में जो प्रस्ताव श्री कपिलदेव अग्रवाल ने रखा है वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

हां, क्लॉज़ ३४ को डिलिट करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। परिणमतः श्री नाथूराम मिर्धा का अमेंडमेंट स्वतः ही गिर जाता है।

श्री अध्यक्ष—क्लॉज़ ३५ में श्री सोहन लाल भटनागर का संशोधन आया है और उसके बाद श्री कपिलदेव का संशोधन है, जो मैं समझता हूं माननीय सदस्यों को प्राप्त हो चुका है।

कुछ माननीय सदस्य—जी हां।

श्री कपिलदेव—मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि मौजूदा क्लॉज़ ३५ डिलीट कर दिया जाय और उसकी जगह क्लॉज़ इस तरह रखया जाय "Right to let or sublet-A holder of Khudkasht may let and a tenant may sub-let the whole or any part of his holding subject to such restricetions as are imposed by this Act.

Provided that no such sub-letting shall in any way relieve the tenant of any of his liabilities to his land-holder."

जो पुराना क्लॉज़ है उसमें खुदकाश्त के बारे में कोई चीज नहीं है। खुदकाश्त होल्डर भी सब-लेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते और यदि कर सकते हैं तो उन पर क्या रेसट्रिक्सन्स होंगे, क्या लाइबेलिटीज होंगी, यह आवश्यक चीज है। पुराने क्लॉज़ में सिर्फ यह लिखा हुआ था;

"Right to sub-let-A tenant may sub-let the whole or any part of his holding under such restrictions as are imposed by this Act.

Provided that-(i) no such sub-letting shall in any way relieve the tenant of any of his liabilities to his land-holder, and

(ii) No sub-tenant or tenant of Khudkasht shall sub-let the whole or any part of his holding."

इसमें जो प्रोविजो क्लॉज़ (२) में था वह भी एक किस्म से बेकार था, क्योंकि खुदकाश्त होल्डर सब-लेट कर सकता है या नहीं, पर टिनेन्ट सब-लेट कर सकता है या नहीं कर सकता इसको आगे ३६ में लिख दिया गया है कि खुदकाश्त होल्डर सब-लेट कर सकता है। यह इस दफा में प्रोवाइड कर दिया गया है। ऐसी हालत में कोई फन्डामेन्टल डिफरेन्स पुराने क्लॉज़ ३५ और नये क्लॉज़ ३५ में नहीं है, सिवाय इसके कि खुदकाश्त होल्डर को सब लेट करने का अधिकार दिया जाय। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाय।

श्री श्यामलाल गोयल—इस सिलसिले में जो कॉपीज़ अभी सरकुलेट हुई हैं उनमें 'रेस्ट्रिक्शन' शब्द लिखा हुआ है जब कि श्री कपिलदेव ने जो अमेन्डमेन्ट पढ़ा उसमें 'रेस्ट्रिक्शन्स' शब्द है। इसमें "एस" रह गया है; अतः इस "एस" को बढ़ा दिया जाय।

श्री श्रीभानसिंह—Mr. Speaker, Sir, this general amendment proposed deals with the principle of sub-letting. I am rather surprised that the fate of the tenants is being decided by discussion either by lawyers or vested interests. On the o??

[श्री श्रीमानसिंह]

hand the lawyers are interested in maintaining loop-holes in laws so that their pockets may get money and that is by litigation. On the other hand vested interests are interested in maintaining their hold over the tenants. We have abolished feudalism but gradually economic landlordism is creeping in by the back door in tenancy. It is here that we confer rights on the tenants; the fixity of tenure, fair rent and freedom of transfer. This was the necessity with which we brought about this Bill. Not only this, our aim was also to relieve the tenants from the feudal bondage so that they may play their free parts in the construction of national economy. With this view this legislation was brought. I was rather surprised that after liberal decisions on personal cultivation and after keeping our aim and slogan of land to the tiller, still there is a problem that is facing us-the problem of sub-letting. On what principles, on what grounds do we base this principle of sub-letting ? It is very difficult to comprehend. However, let us see as to what will be its effect on the future pattern of agrarian reforms or agrarian set up. We have by admitting sub-letting once for all rejected cooperative farming. We have a limit at the higher as well as lower level of the number of individual farmers. Now the question comes as to whether the holder of khudkasht or a tenant can sub-let. We have conferred khatedari rights on sub-tenants and tenants of khudkasht Thus there is only one class that remains and thatis the class of land less labourers. That class can come only when one person can sub - let. Those people are in fact poor and illiterate. We have brought this legislation to put an end to absentee landlordism and exploitation. But those poor and ill equipped labourers will be coming up as sub-tenants who will give them land ? Those who have more. The present landlords or the present feudals ? They will sublet land to another. Thus, we started with the principle that those have land must personally cultivate but by accepting sub-letting we are again encouraging absenteeism. we are again encouraging exploitation, rack-renting. Thus sub-letting has wider effects. Few take these effects into the wider field of agriculture. These ill equipped tenants will be poore They will not be able to invest into the land. They will not be able to increase the productivity of the soil. Thus again from this food self-sufficient position we wil revert to starvation. Therefore, before we accept the principle of sub-letting we ar to see what are the principles behind it? There is no principle. I said that fate of the tenants is being decided by one interested in exploitation and the other interested in litigation. What is the principie of sub—letting? There is nothing. you cannot tell, after giving all the rights to the tenants-there are sub-tenants becoming khatedar tenants. Then there are tenants of khudkasht. Now we are encouraging the same thing. Thus we are undoin all that we have done. Therefore, I request that once weccept this yrinciple of sub letting, it will be vearp dengerous to our

श्री श्रीमानसिंह]

economy, it will be dangerons to the productiou of high standrds that we claim. Is it not dangerous when we want to raise their standards of lvinig that we are reducing their purchasing power? For increasing their purchasing power we have to place more into the pockets of tenants. Thus for all times it is dangerous in agrarian economy and capital for mation. By this sub-letting we will prevent capital formation with the agriculturest. Thus we will prevent the industrial development of our country which is based on agricultnrsl develodment. Therefore, whatever steps we take, whatever we do ina griculture, we must move cautiously and with a view to making the tillers of the soil its owners. we don't want to create fresh landlordism, we don't want to create fresh capitaism. It may open up avenues of employment but it will not feed everybody.

Therefore, I repuest this House that the principle of sub-letting should once for all be rejected.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्षजी, इस लेटिंग और सब लेटिंग के विषय पर इस सदन में बहुत अर्से से वाद-विवाद हो चुका है और इसमें दो प्रकार की विचार-धाराएं चल रही हैं। इस पर मुझे ज्यादा कहना आवश्यक है भी नहीं, पर इस समय प्रेक्टिकल पोलिटिक्स यह होगी कि काश्तकार के फायदे के लिये लेटिंग और सब लेटिंग खुला रखा जाय। अभी मेरे मित्र जो भरतपुर से आये हैं, उन्होंने जो कुछ फरमाया उसे सुना, पर आइडियोलॉजी के रूप से यह ठीक हो सकता है पर आज की स्थिति में यह नहीं हो सकता है कि फौरन लेटिंग और सब-लेटिंग को बन्द कर दिया जाय। अगर ऐसा किया जायगा तो जिन काश्तकारों के फायदे के लिये बातें कही जा रही हैं उन्हीं का इससे अहित होगा, नुकसान होगा।

अब इस पर और कुछ न कह कर क्लॉज़ ३५ के मुतल्लिक जो रिवाइज्ड क्लॉज़ माननीय श्री कपिलदेवजी ने पढ़ा है उसके मुतल्लिक सफाई कराना चाहता हूँ। यह जो प्रोविजन है उसमें मैं थोड़ी सफाई चाहता हूं। कल मैं आपकी बातों में शामिल था, पर इस वक्त मुझे यह बात स्ट्राइक हुई है। आपने इसमें यह रखा है:

"Provided that no such sub-letting shall in any way relieve the tenant of any of his liabilities to his landholder"

लेकिन जो मेन क्लॉज़ है वह टिनेन्ट या सब टिनेन्ट द्वारा अपने खुद काश्त के होल्डिंग को सब लेट न करने के बारे में है, उसमें यह नहीं है:

"holder of khudkasht may let and the tenant may sub-let provided that no such letting or sub-letting shall......" यहां जरा इसका खुलासा कर दें।

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय अध्यक्ष, सेक्शन ३५ इस कानून के अन्दर एक नया अध्याय पैदा करती है। हम यह मान कर चले हैं और बार बार यह कह गये हैं कि जमीन किसानों को मिलेगी जो उसको जोतते हैं, बोते हैं और इस प्रिन्सिपल को मान कर आज राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान के सब हिस्सों में या यों कहिये दुनियां के सब हिस्सों में यह आवाज चल रही है कि जमीन उसी की रहेगी जो स्वयं उसे जोतता है।

इसी प्रिन्सिपल को मानते हुए हम राजस्थान से फ्युडेलिज्म को खत्म कर चुके हैं और जागीरदारी एवं जमींदारी का खात्मा कर रहे हैं। राजस्थान में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान के प्रान्तों में भी जागीरदारी और जमींदारी को खत्म किया जा चुका है, यह इसलिए नहीं किया गया है कि हमें जागीरदारों, जमींदारों या फ्यूडल्स से दुश्मनी हो, यह तो इसलिए किया गया है कि जो इन्टरमीजियेरीज़ हैं वे जमीन जोतने वालों की गाढ़ी कमाई का मुनाफा बैठे बैठे बिना मिहनत किए ही ले लिया करते हैं। उस प्रथा से हमें विरोध था। इसको तोड़ने के लिए फ्युडेलिज्म, जागीरदारी और जमींदारी को तोड़ा। पर इस क्लॉज़ में उसी प्रथा को फिर से पुनर्जिवित करने जा रहे हैं। जिस प्रिन्सीपल को मान कर इस प्रथा को खत्म किया; उस प्रथा को, जागीरदारी को, इन्टरमीजियरी को फिर से जीवित किया जा रहा है। इससे आगे सेक्शन ३६ और ३७ में भी प्रिविलेज क्लॉज़ बना रहे हैं। उसमें साफ जाहिर है कि आपका जो मेनिफेस्टो है, आपका जो प्रिन्सिपल है कि : "Land should go to the tiller" वह इसके विपरीत कर रहे हैं। इससे जो खुदकाश्त का टिनेन्ट है वह सब टिनेन्ट बन जायगा। तो मेरी समझ में नहीं आता कि किस जमीन में सब टिनेन्सी रखेंगे। जो बीच वाले फायदा उठाते हैं वे सब लेटिंग में फायदा उठाते हैं, इसमें सबलेटिंग का फायदा उठा लेते हैं। फिर कौन सी ऐसी जमीन बचेगी कि जिसमें सब लेटिंग करेंगे? दुहाई देते हैं किसानों के हित की और हक की! माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा यह कहूँगा कि आज नहीं हजारों साल तक लोग किसानों के हित की दुहाई देकर राज्य करते आये हैं और वास्तव में वे अपना हित करते आये हैं। अब उनकी यह चाल मजदूर और किसानों की दुहाई देकर बहुत दिन तक चल नहीं सकती। यह कहा जाता है कि किसानों के हित के लिए यह क्लॉज़ रखा जाता है। यदि किसान के घर में बैल मर जावे या वह खुद बीमार हो जावे, मगर आप यह न समझें कि किसान के घर में वह अकेला हो काम करने वाला होता है। किसान के घर में एक दो आदमी काम नहीं करते। अगर बैलों की जोड़ी मर जाती है तो किसान के घर वाले खुद लेबर करते हैं और बैलों की जगह खुद काम करते हैं और किराये से बैल लाकर खेती करते हैं, अगर मिल सकते हों तो। लेकिन जो आदमी खुद खेती नहीं करता, मौज करता है और शहरों में रहकर मौज करना चाहता है और अपना फायदा उठाना चाहता है उसके लिए ही यह सब लेट का तरीका रखा गया है। सब-लेटिंग करते हैं वे लोग जो खुद मौज करते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान के बाहर दूसरी स्टेटों में सब-लेटिंग बिलकुल बन्द कर दिया है। यू. पी. आदि ने भी सब लेटिंग को बन्द कर दिया

[श्री मोतीलाल चौधरी]

है। कांग्रेस एग्रेरियन कमेटी की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें यह कहा गया है कि सब-लेटिंग कतई नहीं किया जावे। मैं उसका कुछ हिस्सा आपको पढ़कर सुनाता हूँ। यह रिपोर्ट किसी एक व्यक्ति की नहीं, वह रिपोर्ट कांग्रेस एग्रेरियन कमेटी की है जिसमें सब किसानों के बड़े बड़े व्यक्ति और नेता और कांग्रेस के दूसरे बड़े बड़े नेता शामिल थे। उस रिपोर्ट में पेज ३९ में दिया गया है: "Non-cultivating owner in agriculture has no place in our scheme." आगे और जाकर कहते हैं:

"In our country the main programme is to find full employment and it will be sheer injustice to maintain a class whose primary function is non-agriculture."

माननीय अध्यक्ष, इस रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में यह कहा गया है:

"It has been found by experience that only in the land which is borne by the tiller, the incentive to production is optimum."

इसी दृष्टिकोण से मैंने इसका विरोध किया है और लेन्ड-रिफोर्म इस नाम से करते हैं कि गरीब किसानों को फेसिलिटीज़ देंगे। अगर आप वास्तव में किसानों को जमीन देना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि जमीन उनके पास रहनी चाहिये, जो जमीन को जोतते हैं तो उसके साथ साथ आपको क्लॉज़ ३५ और क्लॉज ३६ को समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि जमीन जोतने वालों की है और दूसरी तरफ इस प्रकार के सिद्धान्तों को आप यहां पर लाते हैं और वास्तव में जो किसानों के हित के सिद्धान्त हैं उनको नहीं लाते। आप जानते हैं कि किसान अनपढ़ हैं। उनकी परिस्थिति को देखकर आपको कानून बनाना चाहिये। कोई भी कानून बने वह अनपढ़ किसानों के फायदे के लिए बने वरना आप इस तरह के कानून बना कर किसानों को दुख दे रहे हैं।

मैं आपको बताऊं कि एक जगह आप कहते हैं कि सब टिनेन्ट बना देंगे और एक जगह कहते हैं कि खातेदारी को डिस्करेज किया जावे। एक जगह आप कहते हैं कि यदि कोई सब-टिनेन्ट रखता है तो उसको ५ साल तक रखना होगा और अगर ५ साल के बाद वह उसको छुड़ाना चाहे तो वह उस जमीन पर दो साल तक बराबर खेती खुद करे तो, उसको छुड़ा सकता है और दो साल के बाद फिर वह किसी दूसरे को दे सकता है। मगर ऐसा करने के लिए वह झूठा किसी से लिखवा लेगा कि उसके यहां वह दो साल तक हाली का काम करता था और नौकर था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्लाज़ ४ में पर्सनल कल्टीवेशन में आपने अधिकार दिये हैं। एक आदमी खेती नहीं करता

[श्री मोतीलाल चौधरी]

और न यहां रहता है, उसकी जमीन पर एजेन्ट या मैनेजर के जरिये जो बिना पेमेन्ट लिये काम करता है, करा सकता है। उस व्यक्ति की उसके जरिये खेती होती रहेगी और आपने उसको जायज माना है। वह शख्स कह देगा कि वह मिलिटरी में नौकर था। वास्तव में जमीन उनकी होनी चाहिये जो उसको जोतता है और उसकी प्रोड्यूस से अपना गुजर करता है। लेकिन इससे यह होगा कि जो कोई व्यक्ति गवर्नमेंट पर अपना इन्फ्लुएन्स डाल देता है वो नेतागिरी करे और उस खेत की प्रोड्यूस पैदा करना नहीं चाहता है वह तो फिक्स रेन्ट कलेक्ट करना चाहता है। वह फिक्स रेन्ट लेकर शहरों में रहना और नेतागिरी करना पसन्द करता है। यह बात पर्सनल कल्टीवेशन में साफ है।

माननीय अध्यक्ष, यह प्रोविजन में साफ दिया है : "by ones' own labour, or by the labour of any member of one's family," आगे दिया है, "or by servants on wages payable in cash or in kind" फिर आगे जाकर लिखते हैं, "or by hired labour under one's personal supervision or the personal supervision of any member of one's family or one's manager or agent."

इसके बाद में क्या दुनिया में बच रहता है। अगर कोई व्यक्ति खेती नहीं करते, दूसरों से कराते हैं और वे यह कह सकते हैं कि मैं मिलिट्री में सर्विस करता था, मेरा एजेन्ट या मेनेजर काम करता था और वह सब बात पर्सनल कल्टीवेशन में आ जाती है। इससे आगे चल कर कहते हैं माननवी अध्यक्ष, "Provided that in the case of a person who is a widow or a minor..."

श्री अध्यक्ष—आप कौनसे क्लॉज़ेज़ यहां कोट कर रहे हैं ?

क्लॉज़ ४ सब क्लॉज़ (२५) ।

पर्सनल कल्टीवेशन की डेफिनेशन में साफ दिया है कि पर्सनल खेती करना और उसकी प्रोड्यूस पर निर्भर रहना। जिनके पास जमीन ज्यादा है वे दूसरों को लगान पर जमीन दे देते हैं और उनको रुपया मिलता रहता है। प्रोड्यूस हो या न हो उसका रिस्क उनको नहीं रहता। बैल मर गये या बरसात नहीं हुई और फसल खराब हो गई, या पाला पड़ गया; ये सारी की सारी बातें आती हैं। इससे बचने के लिए वे ऐसा करते हैं। उनके पास एक हजार बीघा जमीन है, बीज हमारा होता है और वे लोग शहर में बैठकर मिडिल मैन की तरह से फायदा उठाते हैं। हमने जागीरी प्रथा को समाप्त कर दिया ताकि कोई मिडिल क्लास किसी तरह का फायदा नहीं उठाये। माननीय अध्यक्ष, दुनिया के सभी हिस्सों में अब रेन्ट लेने के लिये कोई मिडिल क्लास नहीं रही, फिर यहां पर यह क्यों ऐसा हो रहा है। माननीय अध्यक्ष, मैं यह भी आपकी मारफत सदन को बता देना चाहता हूं कि.........

Page No.56

श्री अध्यक्ष—यह जनरल डिस्कशन नहीं हो रहा है।

श्री कपिलदेव—(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष—Do you oppose it ? If so on what grounds.

आप क्या इसका विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी—I oppose it on principles. it is against the economic principles in India at presnt. क्लॉज़ १२८ में कहते हैं सब-लेटिंग इस तरह से रखेंगे। कन्ट्रोल रखते हुए इस तरह से सब-लेटिंग को डिस्करेज करेंगे। सब-लेटिंग इसलिए रखा है कि "Provided that the Government shall be entitled to realise 25%of the compensation payable to the tenant."

श्री अध्यक्ष—मैं यह चाहता हूं कि आप कोन्क्रीटली बतायें, I will advise the Hon' ble member not to jump from one clause. to another.

श्री मोतीराम चौधरी—तो एक तरफ आप क्लॉज़ १३५ में कहते हैं कि सब-लेटिंग को कन्ट्रोल कर दिया गया है। इसलिए कर दिया गया है कि इसको डिस्करेज़ करना चाहते हैं। १३८ में आप इसको कन्टीन्यु रखना चाहते हैं और इस तरह से एक्स्ट्रा पीनेल्टी लेते हैं।

"Land is to go to the tiller."

श्री अध्यक्ष—अभी क्लॉज़ ३५ चल रहा है।

श्री मोतीलाल चौधरी—मैं क्लॉज़ ३५ के सम्बन्ध में ही रेफरेंस दे रहा हूं। क्लॉज १२८ में हम कहते हैं कि हम सब-लेटिंग को डिस्करेज कर रहे है।

श्री अध्यक्ष—इस पर आयें तब बोलिये।

श्री मोतीलाल चौधरी—क्लॉज ४,३५,३६,३७,१२८ व १३८ इन्टर रिलेटेड हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रिन्सिपल्स का डिस्कशन हो तब करें। यदि आप पर्टिक्युलर क्लॉज़ का विरोध करते हों तो उसके बारे में कहिये।

श्री मोतीलाल चौधरी—मैं क्लॉज़ ३५ के सम्बन्ध में उदाहरण दे रहा था कि किस तरह गड़बड़ कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम सब-लेटिंग को डिस्करेज कर रहे है लेकिन हो यह रहा

[श्री मोतीलाल चौधरी]

हैं कि एक्चुअली डिस्करेज नहीं कर रहे है। यहां क्लॉज़ ३५ में सबलेटिंग को अलाऊ करते है और यह कहते है कि एनकरेज़ नहीं कर रहे है और १२८ में एन्करेज़मेन्ट दिया जा रहा है। मै यही बताना चाहता था।

माननीय अध्यक्ष, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रिन्सिपल को लेकर हम चलते है और चलते आ रहे हैं उसके अधार पर हमने जागीर रिजम्प्शन एक्ट बनाया, जमींनें लेकर टिलर्स को दीं और खुदकाश्त के जो टिनेन्ट्स हैं या खातेदार को या जो सब टिनेन्ट्स है उनको भी खातेदारी राइट्स हम दे रहे है तो फिर हमारे सामने ऐसी कोई जमीन नहीं रहती है। इसका मकसद यह है कि भूमि देकर खातेदारी राइट्स दें। लेकिन वास्तव में हम खातेदार नहीं बनावेंगे। रेकर्ड्स में गड़बड़ी करके खुदकाश्त की जो जमीन है या जो ज्यादा जमीनें लीज़ पर हैं उनके अन्दर सब-लेटिंग रखेंगे। और जिस तरह से जिस क्लास को डिस्करेज करना है उसको वापिस उठावेंगे। इस प्रकार से लैंड रिफोर्म्स के बारे में कोई कानून नहीं रहता है। इन शब्दों के साथ हाउस के सभी सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि वे सब टिनेन्टसी को कतई एनकरेज न करें और क्लॉज़ ३५ को पास न करें। लैंड प्रोटेक्शन लागू है। इस सम्बन्ध में प्रोटेक्शन देने के लिए कानून बनायेंगे उनमें उनको भी उसी तरह से प्रोटेक्शन देंगे। नया कानून बन जायगा।

कई साथी यह समझ रहे हैं कि अगर वास्तविक रूप से इसको नहीं रखा गया तो किसानों को जमीन नहीं मिलेगी और इस प्रकार का प्रिन्सिपल एडोप्ट करने से जिन किसानों के पास जमीन नहीं है उनको जमीनें मिल जायगी। किन्तु जिस प्रिन्सिपल को लेकर कि 'लैंड शुड गो टु टिलर्स,' जो जमीन को बोता है, उस पर खेती करता है, उसके 'पास ही जमीन रहनी चहिए, कि इन्टर-मिजियेरीज के पास रहनी चाहिए। यह चीज़ साफ है। 'लेन्ड शुड गो टु टिलर्स,' के लिए हम नया कानून बनायें सबलेटिंग का प्रोविजन करके तो उनका गला घोटने का प्रोविजन कर रहे हैं।

श्री बलवीरसिंह—क्लॉज़ ३५ में जो अमेन्डमेन्ट नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है मुझे उसका विरोध करना है। यह जो अमेन्डमेन्ट रखा गया है वह किन प्रिन्सिपल्स के आधार पर रखा गया है यह मैं समझ नहीं पाया हूं। ये प्रिन्सिपल्स सिलेक्ट कमेटी में भी अच्छी तरह से सामने आ चुके थे। सब-लेटिंग का जो असर होने वाला है वह बहुत बुरा होगा। सब-लेटिंग के लिए जो दलीलें दी गई और आज जो दी जा रही हैं उनमें कहा गया है कि अगर सब-लेटिंग अलाऊ नहीं किया जायगा तो जिन लोगों के पास जमीने हैं वे सब-टिनेन्ट्स को या लेन्डलेस लेबरर्स को नहीं देंगे तो इस तरह से जमीनें पड़ी रह जायेंगी और प्रोडक्शन कम होगा।

(श्री राज हिम्मतसिंह, सभापति, पदासीन)

लेकिन माननीय चेयरमेन महोदय, इस तरह की दलीलें कोरी दलीलें ही हैं, थोथी दलीलें हैं, इनमें वजन नहीं है। हो सकता है कि उनको अधिकार दे दें कि जमीन पड़ी रखें, जमीन पर कोई

[श्री मोतीलाल चौधरी]

रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाये तो जुदा बात नहीं। तो जिन टिनेन्ट्स के पास अपनी खातेदारी में दस दस हजार बीघा जमीन है उन्हें क्या अधिकार है कि वे जमीनों को पड़ी रखें और लेन्ड लेस लेबरर्स और सब टिनेन्ट्स को जमीन न दें और महज इस वजह से नहीं दें कि सरकार ने अधिकार नहीं दिया है कि सब लेटिंग करे? यह तो जमीन को खराब करना है। इसका यह नतीजा निकल सकता है और यह कहा जा सकता है कि हिन्दुस्तान के सारे राजा महाराजा यह कह सकते थे कि हमारा अपना अधिकार है, हम अपने राज्य को नहीं देना चाहते। हम जमीन नहीं देना चाहते। अंग्रेज भी यह कह सकते थे, हर कोई आदमी यह कह सकता है कि मेरा अधिकार है, मैं नहीं समझ सकता कि क्यों इस प्रकार की थोथी दलीलें दी जा रही हैं।

श्री सभापति (राज श्री हिम्मतसिंह)—यहां तो सब-लेटिंग का मामला है, राजा और महाराजाओं का मामला नहीं है।

श्री बलबीरसिंह—यह इसीलिए है कि जमीन पड़ी रहेगी और लेन्ड लेस लेबरर्स को नहीं दी जायगी। इस तरह की बातें तो पहले कही जा चुकी थीं और यह उन्हीं का उत्तर है।

माननीय चेयरमेन महोदय, मैं आपको बताऊं, अगर इस तरह की बातें की गई और इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो जो थोड़े लोग हैं और काश्त नहीं कर सकते हैं वे उन जमीनों को एक साल पड़ी रख सकते हैं किन्तु वे जिन्दगी भर तो उनको पड़ी नहीं रख सकते और वे जमीनें जिन्दगी भर पड़ी भी नहीं रह सकतीं और उन जमीनों की एक साल की बरबादी के बाद वे लेन्डलेस लोगों को देना होगा, उनमें वे आबाद होंगे और यह सही है कि बर्बादी के बाद आबादी होती है। एक साल टरकाने के बाद में उनको लाजमी तौर से उनको जमीनें देना पड़ेगा और इसलिए देना पड़ेगा कि लोगों के पास में दस-दस हजार बीघा जमीनें हैं, जो सौ दौ सौ बीघा भी काश्त नहीं कर सकते, जो शहरों में बैठे रहने वाले हैं, पूंजीपति हैं और पूंजीपति बनिये हैं और जिनके नाम बीस हजार-तीस हजार बीघा जमीन खातों में लिखी हुई है; माननीय चेयरमेन, नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्य शायद इस तरह के लोगों से इन्फ्लुएन्स्ड हो गये हों और उन्होंने इस तरह का अमेन्डमेन्ट इसीलिए रखा है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि सीकर के अन्दर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके नाम पर पांच हजार और दस हजार बीघा जमीन लिखी पड़ी हैं और वे इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शन से प्रोटेक्शन सरकार से चाहते हैं ताकि वे सब-लेटिंग करके लगान वसूल करें। उन मजदूरों को जमीन दें जिनके पास जमीन नहीं है जो भूखे मरते आये हैं ताकि वे आयन्दा भी भूखे मरते रहें, जो आज एक्स्प्लोइटेशन करते हैं और जो दूसरों के खून से जिन्दा हैं वे आगे भी इसी तरह से जिन्दा रहें और गरीब उसी तरह से भूखा मरता रहे, पिसता रहे। आज की सरकार उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अगर इस तरह की भावना है और सरकार ऐसा ही चाहती है तो यह जुदा बात है। माननीय चेयरमेन महोदय, मैं आपके जरिये सदन से निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह से सब-लेटिंग का अधिकार

[श्री बलवीर सिंह]

देना कि जिससे गरीब मजदूरों का एक्सप्लोइटेशन होता हो एवं गरीब और शिकमी काश्तकारों का एक्सप्लोइटेशन होता हो तो इससे तो लोग बरबाद होते हैं। इस बरबादी से बचाने के लिए यह उचित ही नहीं किन्तु अत्यन्त आवश्यक है कि सब-लेटिंग की जो प्रथा है उसको कतई बन्द कर दिया जाय। तो आगे आने वाले समय में गरीब काश्तकार और गरीब मजदूर और कम से कम शिकमी काश्तकार बच सकते हैं, इसी से गरीब लोगों का हित हो सकता है।

इसलिये मैं अन्त में यह निवेदन करूंगा कि अगर सब-लेटिंग को लागू किया जाता है तो इसके परिणाम, उसका नतीजा क्या होगा ? इन सारी चीजों को सोच-समझ कर इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिये। मैं समझता हूँ कि राजस्थान के गरीब से गरीबखेतिहर मजदूर, शिकमी काश्तकार का इससे बड़ा अहित होगा। उसका नतीजा, उसका इफेक्ट जो होगा वह बहुत बुरा होगा। इसके परिणाम इतने बुरे हो सकते हैं कि जिसको संभालना आज की सरकार के बलबूते को बाहर की बात हो। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस सब लेटिंग को कतई बन्द कर दिया जाय।

श्री भीमसिंह— माननीय चेयरमेन महोदय, अभी जो कपिलदेवजी ने प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में कुछ अर्ज करने से पहले जो हमारे डीडवाना और परबतसर से आने वाले माननीय सदस्यों ने विरोध स्वरूप जो सदन के सामने बातें रखी हैं वे भ्रमात्मक थी। उन्हें सब से ज्यादा सिर दर्द इस बात का था कि यह सब-लेटिंग किया किसको जायगा। वे यह फरमा रहे थे कि जितने भी काश्तकार हैं उनको यह एक्ट खातेदार बना देता है, फिर रही जमीन कौन सी जिसका सब-लेटिंग करना पड़ेगा। जमीन तो कोई रहने वाली नहीं, फिर इतना सिरदर्द उनको क्यों है ? उनकी जानकारी के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह वह जमीन होगी जो शिकमी काश्तकार हैं वे इस एक्ट के पास होने पर टिनेन्ट बन जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत आ जाती है; जैसे उनका जानवर मर जाता है या आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण खुद अपनी खेती को जोत नहीं पाता, उस हालत में खेत जुतवाने के लिये अमुक आदमी को बताना पड़ेगा कि यह वह जमीन होगी। पहाड़ों से निकाल कर या जंगल साफ करके आने वाली जमीन नहीं है इसलिये उनको इस विषय में चिन्तित और आतुर होने की आवश्यकता नहीं है।

इस सम्बन्ध में कुछ नारे भी लगाये गये लेन्ड टिलर ऑफ दी सोइल की होनी चाहिए इसी तरह से यह भी स्लोगन हो सकते हैं। जैसे होस्टल में जो खाना बनाता है वही खाना खाने का अधिकारी है, उसी प्रकार दर्जी भी यह कहने लगेगा कि कपड़े वह सीता है इसलिये कपड़े पहिनने का अधिकारी वही होना चाहिये। तो ऐसी स्थिति में उनको ज्यादा चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में खास तौर से अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने इस चीज की ओर आगाह किया कि आज जो शिकमी काश्तकार हैं उन लोगों को इससे दिक्कत होगी। यह तो शिकमी काश्तकार को

[श्री भीम सिंह]

बरबाद करने का ढांचा बनाया जा रहा है। मेरा उनसे निवेदन यह है कि आज जो सब-टिनेन्ट्स हैं वे सब खातेदार होने जा रहे हैं। इस एक्ट के पास हो जाने के बाद वे खातेदार हो जायेंगे। वेसी सूरत में इन लोगों को क्या दिक्कतें रहेंगी। जो आज टिनेन्ट या सब टिनेन्ट हैं उन लोगों को सब लेटिंग अलाउ नहीं करते हैं तो उनको कभी भी काश्त करने का मौका नहीं मिलेगा। जो खातेदार होंगे या काश्तकार होंगे वे सब लेटिंग रखने की वजह से, जिनके पास जमीन नहीं वे किसी आदमी से जो परेशानी के कारण काश्त नहीं कर सकता, उनसे उनको महरूम रख देगा। ऐसी परिस्थिति में सब-लेटिंग का होना आवश्यक है। यह काश्तकारों के हित में और जिनके पास जमीन नहीं है उन दोनों के हित में है। इसी तरह सब-लेटिंग सब जगह चालू है। इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन्होंने कपिलदेवजी के प्रस्ताव का विरोध किया है वह वाजिब नहीं है। ऐसी सूरत में मैं उनके इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

रावत श्री शम्भूसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, मैं माननीय श्री कपिलदेवजी ने जो प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। इस प्रस्ताव के विषय में भिन्न-भिन्न चर्चायें सुनने में आई हैं। हमारे सामने केवल सब-लेटिंग का ही प्रश्न नहीं है लेकिन प्रश्न यह है कि देश का उत्पादन किस प्रकार बढ़े; इस दृष्टि से भी हमें इस प्रस्ताव पर विचार करना है और दूसरी समस्या है बेकारी की वह भी किसी प्रकार न बढ़े; इन दो समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमें इस प्रस्ताव पर विचार करना है। देश का उत्पादन अधिक बढ़े और बेकारी की समस्या का भी हल हो; इन दोनों बातों को देखते हुए मैं समझता हूं कि सब-लेटिंग करने से किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि सब लेटिंग करने से इसमें इमदाद मिलेगी। माननीय चेयरमेन, ऐसे अनेक किसान हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं है। जिनके पास जमीन है अगर उन जमीनों पर खेती करते हैं और वहां उनको एम्प्लॉयमेन्ट मिलता है तो जब सब-लेटिंग बन्द कर दिया जायगा तो मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति जो सब-लेटिंग द्वारा खेती करते हैं उनका खेती करने का जरिया एक दम बन्द हो जाता है। इसलिये यह कदापि सम्भव नहीं। हरेक व्यक्ति जो जमीन रखता है वह देश के उत्पादन में या कृषि उत्पादन में बहुत बड़ा सहायक है जमीन का जो मालिक है वह उस जमीन पर खर्चा अधिक लगा सकता है, उसमें इम्प्रूवमेन्ट्स कर सकता है और उसमें पर्मानेन्टली खाद भी डाल सकता है। एक व्यक्ति जिसके पास कोई साधन नहीं तो यह वैसे मान लिया जाय कि जो साधन सम्पन्न व्यक्ति है उसके बराबर वह व्यक्ति कर सकेगा जो साधन विहीन है। वह जमीन में खाद भी परमानेन्टली डाल नहीं सकेगा और उसमें इम्प्रूवमेंट्स ही कर सकेगा। मेरे पास ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं जो लोग ऑलरेडी लेन्ड होल्डर थे उनके पास जमीन थी मगर सरकम्स्टान्सेज की वजह से, साधन नहीं होने की वजह से उनके पास जमीन नहीं रही। किसी ने उनसे जमीन छीनी नहीं किन्तु वे साधन सम्पन्न नहीं थे इस वास्ते उनके पास जमीन नहीं रही।

खास प्रश्न यह है कि खेती के वास्ते जमीन मिलती रहे वह सब लेटिंग के जरिये ही हो सकता है। उसके अनुसार बराबर जमीन मिलती रहेगी और हम सब लेटिंग को बिल्कुल बन्द कर देंगे तो उनको वह जमीन नहीं मिलेगी और जो व्यक्ति साधन-सम्पन्न हैं, जो व्यक्ति इम्प्रूवमेंट

[रावत श्री शम्भूसिंह]

कर सकते हैं, अगर वे किसी वजह से जमीन को सब लेट कर देते हैं तो इसमें कोई हानि नहीं है।

इसके अलावा एक दूसरी बात भी कही गई कि कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब तक हमारे सामने फार्मिंग की कोई समस्या नहीं है और न इस वक्त देश में प्राइवेट प्रोपर्टी का आइडिया बना हुआ है। उसको मद्देनजर रख कर ही हमें चलना है। जब ऐसी आवश्यकता हो तो कोऑपरेटिव फार्मिंग का अलग कानून बनाया जा सकता है। इसके वास्ते जैसा समय हो वैसा विचार किया जा सकता है। पर जब कि प्राइवेट प्रोपर्टी का आइडिया देश में मौजूद है और अपनी प्रोपर्टी का इच्छानुसार बन्दोबस्त करने की स्वतन्त्रता है, ऐसी स्थिति में खातेदार के ऊपर ही यह सब-लेटिंग करने की रोक क्यों लगाई जावे, यह मेरी समझ में नहीं आता ?

इस वास्ते यदि सबलेटिंग पर प्रतिबन्ध लगा दिया जावेगा तो मैं समझता हूं कि इससे बजाय फायदे के नुकसान ही होगा, क्योंकि जो व्यक्ति इस वक्त सबलेटिंग लेकर फार्मिंग करते हैं उनके लिए आगे रास्ता बन्द हो जावेगा और इस तरह बहुत से व्यक्ति बेकार हो जावेंगे और इससे देश की खाद्य स्थिति पर भी असर पड़ सकने की सम्भावना है। वैसे सब टिनेन्ट है, उसे थोड़ी जमीन मिल जावे तो उसके वास्ते तो हमने पहले ही व्यवस्था कर दी है। अब वे सबलेट नहीं कर सकते यह तो कोई ठीक बात प्रतीत नहीं होती।

एक लेण्ड होल्डर है, कई ऐसे आकस्मिक कारण हो सकते हैं, जिसकी वजह से वह खुदकाश्त नहीं कर सकता, इसलिए दूसरे को फार्मिंग करने के लिए सबलेट करता है और दूसरा इस वास्ते उत्सुक है खेती करने के लिए कि इसके लिए इसके सिवाय और कोई धंधा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अगर सब-लेटिंग का प्रतिबन्धन होगा तो वह दिल लगाकर खेती करेगा और लैंड होल्डर भी सब-लेटिंग देते हुए हिचकेगा नहीं, अन्यथा यह स्थिति होगी कि आपके इस कानून की वजह से अगर किसी अनिवार्यकारण से लैण्ड होल्डर खेती न करा सका तो वह सब-लेट भी नहीं करेगा और वह जमीन बेकार, पड़ी रहेगी। इससे दोहरा नुकसान होगा। एक वह किसान जो सबलेट पर लेकर खेती करने की इच्छा रखता है बेकार हो जावेगा और दूसरी तरफ देश की खाद्य स्थिति पर असर पड़ेगा, बेकारी बढ़ेगी और उत्पादन में कमी आवेगा। यह इसका परिणाम होगा।

ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि नीम के थाने से आने वाले सदस्य ने जो प्रस्ताव रक्खा है वह उचित ही है और मन्जूर होना चाहिये।

श्री मथुरा दास माथुर—माननीय चेयरमैन, जो श्री कपिलदेव ने प्रस्ताव और तरमीम रक्खी है उसके विषय में कुछ कहने के लिये खड़ा हुवा हूं ।

यह क्लॉज़ ३५ एक बहुत ही सिद्धान्त का है । मेरी व्यक्तिगत राय सब-लेटिंग राजस्थान में या इस देश में रहे पर सिद्धान्ततः मैं सबलेटिंग के खिलाफ हूँ । यह साफ है कि आज कोई भी कांग्रेसमैन सब-लेटिंग को सिद्धान्ततः सपोर्ट नहीं कर सकता औरअगर कोई करता है तो वह सिद्धान्त से विरूद्ध कर रहाहै । (हंसी)क्योंकि कांग्रेसके इलेक्शन का मेनीफेस्टो और इसके साथ ही साथ कांग्रेस की एग्रेरियन रिपोर्ट दोनों इस सिद्धान्त को मानते हैं कि जमीन का मालिक वही है जो जमीन को बोता है और जोतता है, और अगर सिद्धान्त से हम अपने इस कानून को आंके तो मैं यह कहूंगा कि सिलेक्ट कमेटी में भी और कानून को बनाने वाले सरकार के लोगों ने भी इससिद्धान्त को सामने रक्खा था । इसलिये आज का दिन अगर कोई यह बहसकरे कि जमीनका मालिक वह नहीं जो जोतता है और बोता है और इसके बारे में जो दलीलें सदन में दी गई है वे कुछ ठीक नहीं थीं; इस बात को साबित करने के लिए कि जो सिद्धान्त माना गया है कि जमीन का मालिक वही होना चाहिये जो जमीन को बोता है और जोतता है, वही ठीक नहीं ? आज आप यू० पी० लीजिये । उन्होंने भी सब-लेटिंग नहीं रक्खी है अपने नये कानून में । आज देश के अन्दर जो विचार धारा चल रही है इस पर भी गौर करिये और इसका भी खयाल रखिये कि आज आप प्रगतिशील देशों की बात करते हैं, प्रगतिशील कानूनों की बात करते हैं तो आप अपने पड़ोस में ही देखिये एक बहुत बड़ा प्रगतिशील महान् देश है जिसको हम चीन कहते हैं । आप उसके टिनेन्सी लॉ को पढ़ लीजिये । इसमें भी आप पावेंगे कि कहीं सबले-टिंग की गुंजाइश नहीं है । मैंने उसे देखा है इसलिये कह रहा हूं । आप भी उसे देखें । वह एक पुस्तक के रूप में है और केवल तीन रूपये में मिलती है ।

इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो ऐसा एक महान देश है उसमें भी इस सिद्धान्त को माना गया है कि सबले-टिंग नहीं होना चाहिये ।

इसके साथ साथ आज देश के अन्दर और अलग अलग प्रान्तों के अन्दर जो परिस्थिति है, जो विचारों का प्रवाह है और जो कांग्रेस की एग्रेरियन रिपोर्ट है उसको भी अभी डीडवाना परबतसर से आने वाले साथी ने कुछ अंशो को पढ़ने का प्रयत्न किया । तो मैं भी उसको पढ़ने से इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि देश में इस तरह की धारा, इस तरह का एक प्रवाह चल रहा है कि सबलेटिंग को डिस्करेज किया जावे ।

मैं तो यह कहूंगा कि मौजूदा कानून जो आप बना रहे हैं उसकी भी मंशा यही है । इसलिये आज यह नहीं माना जा सकता है कि जो तरमीम को रखने वाले हैं और जो कानून को बनाने वाले हैं ऐसी तरमीम के पक्ष में, सिवाय कुछ लोगों के जिनके बारे में अभी मेरे पूर्व माननीय वक्ता ने कहा, जो वेस्टेड इन्टरेस्टवाले और कोई इसके साथ नहीं है कि सब-लेटिंग को हमें बढ़ावा देना है । सब यही चाहते हैं सिवाय इन वेस्टेड इन्टेरेस्ट रखने वालों के कि इस सब-लेटिंग को डिस्करेज़ किया जाय ।

[श्री मथुरादास माथुर]

इसके माने यह हैं कि सबलेटिंग को हल्के-हल्के बन्द करना है और इसीलिये तो आज यह क्लॉज़ ३६ बनाया जा रहा है कि पांच साल से ज्यादा सबलेटिंग नहीं होना चाहिये । इसीलिये तो यह कहा जा रहा है । अगर सबलेटिंग अपने आप में एक अच्छी संस्था होती तो फिर एक्सेशन लगाने की, प्रतिबन्ध लगाने की जरूरत होगी ।

तो यह बात तो माननी पड़ेगी कि सिद्धान्त के तौर पर तो कानून को बनाने वाले और इन क्लॉज़ेज़ को रखने वाले भी मानते हैं कि सबलेटिंग नहीं होना चाहिए। अब सवाल इतना रह जाता है कि जब सिद्धान्ततः सबलेटिंग अच्छा नहीं है तो उसे इसलिये बिल्कुल न रखा जाय । तो मैं इसके विरोध में हूँ। मगर ऐसी आशा मुझे नहीं है कि सदन इसे स्वीकार न करेगा । अब प्रश्न इतना हो रह जाता है कि इसको क्या आज ही बन्द कर दिया जावे या इसका कुछ दिन तक थोड़ा प्रयोग किया जावे या कुछ रोक थाम लगाकर बन्द किया जावे धीरे धीरे ।

आज की राजस्थान की हालत को देखते हुए, जहां आज से थोड़े दिनों पहले तक कई प्रकार की फ्यूडल स्टेटें थीं, फ्युडल हुकूमतें यहां थीं और दरमियान में बड़ी बड़ी जमीनें लोगों के पास रहीं,चाहे फिर वे महाजन हों,जमींनदार हों,जागीदार हों या काश्तकार हों, कोई हों और जिन पर वे आज भी कायम हैं, हो सकता है आज वे पांच हजार से पांच सौ रह गई हों कहीं कहीं, आज जमीनें कुछ ऐसे लोगों के पास भी हैं जो स्वयं काश्तकार नहीं हैं और जो काश्तको अपना व्यवसाय नहीं समझते, फिर भी जमीनें उनके पास हैं। वे उनसे राजस्थान से दूर बैठे रह कर भी उनका मुनाफा उठाते हैं । तो आज की राजस्थान की हालत को देखते हुए हमें यह मानना पड़ेगा कि यह समस्या हमारे यहां आज भी मौजूद है । इससे इन्कार नहीं किया जा सकता । आज कोई भी सत्ता जो अपने आपको प्रगतिशील समझती है इस बात की हामी नहीं है कि बड़ी बड़ी जमीनें लोगों के पास रहें, वे आज दूसरे व्यवसाय में रहकर उन जमीनों को शिकमी काश्तकारों से काश्त करवाकर मुनाफा उठावें । आज यह चीज बर्दाश्त नहीं की जा सकती । इसमें हमारी दो रायें नहीं हो सकतीं । इसलिये माननीय चेयरमेन, इस स्थिति को हम नहीं चाहते, यह स्पष्ट है । पर आज की इस परिस्थिति को देखते हुए हमें कुछ ऐसा रास्ता भी निकालना है कि यह धीरे धीरे बन्द भी हो जाय और इसके लिए ही क्लॉज़ ३६ है। कपिलदेवजी ने क्लॉज़ ३५ और ३६, दोनों में नोटिस दिया है । इसमें यह कहा है कि कोई भी लैण्ड होल्डर या खातेदार टिनेन्ट उस जमीन को सबलेट कर सकता है, एक दफे में एक समय के लिए पांच साल के लिए, इससे ज्यादा नहीं । इसके बाद एक साल के लिए या दो साल के लिये या दो साल तक उसको उसे खुदकाश्त करना पड़ेगा । इसलिये हम यह तो मानते हैं कि जमीन का मालिक तो वही है मगर फिलहाल हम इतने ही वातावरण में इन हकीकतों में प्रवेश कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है क्योंकि अगर एक

[श्री मथुरा दास माथुर]

दम बन्द करदें तो यह प्रेक्टिकल रास्ता नहीं रह जावेगा, इससे बेकारी बढ़ भी सकती है। आज के दिन हमारे यहां कई शिकमी लोग मौजूद हैं जो इस तरह से किसी की जमीन ले-देकर अपना गुजर-बसर करते हैं। तो अगर इसको कतई रोक दिया गया तो ये बेकार हो जावेंगे। आखिर हमने सीलिंग मुकर्रर करने का सोचा है। इससे कुछ जमीन निकल आवेगी और इसके बाद तब तक इन शिकमी काश्तकारों को जो तब तक इस कानून का फायदा न उठा सकेंगे उनको कुछ जमीनें मिल सकेंगी और इस तरह से धीरे धीरे उन्हें भी राहत मिलेगी और यह सबलेटिंग की समस्या भी धीरे धीरे इस इस तरीके से हल हो जावेगी; नहीं तो अगर आप एक दम आज ही इसे बन्द करने की बात सोचेंगे तो आज जो बेकारी की समस्या अरबन एरिया में और शहरों आदि में चल रही है वह गावों में भी बहुत बढ़ जावेगी।

इसलिए अभी मौजूदा हालत को देखते हुए, हम इस फ्यूडल इकोनोमी से तब्दील होकर एक नये क्षेत्र में प्रवेश हो रहे हैं, एक नये तरह की इकॉनोमी हमारे यहाँ ली जा रही है। इसलिए फिलहाल यह महसूस करते हैं कि सबलेटिंग के राइट्स को कुछ अर्से के लिए देना चाहते हैं। मुझे यह कहना है कि ५ साल का समय रखा है तो ५ साल के बाद देश में लेन्ड रिफॉर्म्स की इस प्रकार प्रगति होने वाली है कि यह सब लेटिंग नहीं रहने वाला है। आज जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, जिनके पास खुदकाश्त के नाम से जमीनें होंगी उन्हें भी ५ साल में सेटल होने का मौका मिले। वह खुद-काश्त करे या खुद हल चला कर अपनी जिन्दगी खेती से बसर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यह एक छोटी सी बात थी, कोई अहम बात नहीं थी। फिर भी इसको ध्यान में रखागया। खुदकाश्त के लिए प्रोविजन इस क्लॉज़ में क्लॉज़ रखा है। दलील मेरी यह है कि सबलेटिंग का सिद्धान्त ठीक नहीं है। इसको हमें बन्द करना है और उसके साथ साथ बन्द करने के लिए कुछ समय लगेगा और समय लगने के लिए हमने ५ साल का समय रखा है और उसमें यह रखा है कि वह एक समय हो दे सकता है, उसके बाद में उसको २ साल तक खुद खेती करनी पड़ेगी और उन साथियों से यह कहता हूं, जिनको यह खतरा पर्पेचुअल सबलेटिंग का हो जायगा, चूंकि इस कानून में आया है। यह कानून पेर्पेचुअल नहीं है। देश के अन्दर लेन्ड रिफॉर्म्स की हाल की रफ्तार जो बढ़ रही है उसको देखते हुएहम कुछ नहींकह सकते हैं। हम को खुद को, जो ओरीजिनल बिल रखाथा उसको विद्ड्रा करना पड़ा और दूसरा बिल सिलेक्ट कमेटी के सामने आया, उसकी रिपोर्ट में यह आया और सदन में हम और चीज पास करने जा रहे हैं। आगे भविष्य में नहीं कह सकते हैं कि जिस प्रगति से लेन्ड रिफॉर्म्स बढ़ रहे हैं, सबलेटिंग का सिद्धान्त कितने दिन तक कायम रह सकता है। यह ऐसी चीज है जो कि मर चुकी है। यह ट्रान्ज़ीशनल पीरियड के लिए ५ साल के लिए रखा है, वह ५ साल का पीरियड रखा है। खुदकाश्त के लिए प्रोवीजन रखा है। इस पीरियड का मतलब यह है कि ५ साल के बाद में २ साल तक वह खुद करेगा और ७ साल के बाद में फर्स्ट एडवान्टेज कानून का उठाये। सात साल के बाद क्या हालत होने वाली है, यह आप और हम समझते हैं और ज्यादा कोई चिन्ता नहीं है। इसलिए इन लफ्जों के साथ मैं सबलेटिंग के सिद्धान्त का विरोध करते हुए साथ-साथ मौजूदा हालत में श्री कपिलदेव अग्रवाल ने जो तरमीम रखी है उसका समर्थन करता हूं।

Page No.65

श्री मानसिंह महार—मि० चेयरमेन, सर, क्लॉज़ ३६ के बारे में ······

श्री सभापति—३६ नहीं ३५।

श्री कपिल देव—क्लॉज़ ३५ पर ही करिये, जो कुछ करना है।

श्री मानसिंह महार—क्लॉज ३५ के बारे में सदन से यह निवेदन करना है कि हमारे नीम के थाने से तशरीफ लाये हुए मित्र ने इसके ऊपर जो तरमीम रखी है वह बहुत ही वाजिब है। जो बात इसके अन्दर है वह यह है कि जो ओरीजिनल क्लॉज़ ३५ है उसके ऊपर यह एमेन्डमेंट एक इम्प्रूवमेन्ट है और इसको देखते हुए कि यह क्लॉज़ एक ऐसा क्लाज़ है कि जो सबलेटिंग को डिस्करेज करता है। कुछ मित्रों का ऐसा विचार है कि इस क्लॉज़ से सबलेटिंग को प्रोत्साहन मिलेगा, किन्तु वास्तविकता यह है कि इस अमेंडमेंट से सबलेटिंग की बहुत रोक-थाम हो जाती है।

इसमें देखा जाय तो जब हम क्लॉज़ ३६ को जोड़ लेते हैं और जब हम इसके एमेन्डमेंट को देखते हैं तो हमको यह मालूम होता है कि ओरीजिनल क्लोज़ में जो बात है। जो सिलेक्ट कमेटी ने पास की है वह यह है कि कम से कम ५ वर्ष के लिए कोई भी सबलेट कर सकता है। उन्होने इस चीज को खत्म किया है।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष पदासीन)

उनका कहना यह है कि जो समय ५ वर्ष का रखा गया है वह कई बार मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपने अमेंडमेंट में इस चीज को खत्म करके यह कहा है कि कोई भी खुदकाश्त होल्डर या टिनेन्ट अगर अपनी जमीन को सबलेट करना चाहता है तो उसको वह ५ वर्ष के लिए कर सकता है। ५ वर्ष के बाद में उसके ऊपर यह पाबन्दी लगा दी गई है कि वह जब तक उस जमीन पर २ वर्ष के लिए खुदकाश्त न कर ले तब तक उसको सब लेट नहीं कर सकता है। तो यह कहना कि ओरीजिनल क्लॉज़ प्रगतिशील था और यह क्लॉज़ ऊल्टा दकियानूसी है, तो मैं इसे सरासर गलत मानता हूं। मैं यह समझता हूं कि इस सदन के प्रत्येक व्यक्ति की यह राय है कि सबलेटिंग को डिस्करेज किया जाय·······

श्री वेदपाल त्यागी—आप अपनी राय बता दीजिये।

श्री मानसिंह महार—आपकी नहीं हो सकती है क्योंकि कोटा की तरफ जमीनें ज्यादा हैं; तो मुमकिन है कि आपको एलॉट हो सके, किन्तु हमारे यहां पर जहां जमीनों की कमी है, जहां कि लेन्ड पर प्रेशर बहुत ज्यादा है वहां पर यह बात जरूरी है कि सबलेटिंग को जितना हो सके डिस्करेज किया जाय ताकि शिकमी काश्तकार जो लोग हैं उनको खातेदारी हक मिल सकें। जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, ५०० मील पर बैठे हुए हैं, कोई कलकत्ता बैठा हुआ है, कोई बम्बई बैठा हुआ है, जो

[श्री मानसिंह महार]

कोई ऐसे लोग हैं जो कि यहां राजस्थान की राजधानी, जयपुर, में बैठे हुए हैं और उनके नाम से हजारों के हजारों बीघा के फार्म हैं और वे उन जमीनों को साल दर साल सबलेट करते रहते हैं, उनके सबलेटिंग के काम पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न हो और अगर ओरीजिनल क्लॉज़ को जो कि सिलेक्ट कमेटी ने पास किया है उसको हम पास कर देंगे तो अन्त में तो मैं यह समझता हूं कि उनके अख्त्यारात के अन्दर चार चांद लगायेंगे न कि किसी प्रकार की रोक लगायेंगे, क्योंकि ५ वर्ष जब रख लिये, ५ वर्ष से कम सबलेट नहीं कर सकता है तो ५ वर्ष के लिए तो बीमारी तो हटी।······

श्री वेदपाल त्यागी—अब नहीं है, वह बदल दी गई है।

श्री कपिलदेव—बोलने दीजिये, ठीक है। ३५-३६ कनेक्टेड हैं।

श्री मानसिंह महार—तो शायद वह एक मित्र की समझ में गलत है। वह यह समझते हैं लेकिन जो गलत चीज है वह मैं कह रहा हूं (हंसी)। मैं यह कहता हूँ कि जो क्लॉज़ ३६ पर एमेंडमेंट नीम के थाने से आने वाले दोस्त ने रखा है और जिनका उसके अन्दर यह प्रस्ताव है कि

"No Khatedar tenant or a morgagee shall sublet the whole or any part".

श्री जवानसिंह—श्री उपाध्यक्ष महोदय, ओन ए प्वाइन्ट ऑफ आर्डर, सर, कोई भी एमेंडमेंट जो अभी तक सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ है, उस तरफ कम से कम सदन का ध्यान आकर्षित नहीं किया जा सकता है। ऐसे रूल्स हैं और ऐसी परम्परा है।

श्री मानसिंह महार—ठीक है साहब। उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री वेदपाल त्यागी—जो कनेक्टेड हैं उन पर विचार किया जा सकता है।

श्री मानसिंह महार—क्लॉज़ ३५ और ३६ कनेक्टेड हैं इसलिए मैं जो रेफरेन्स दे रहा हूं वह एक वाजिब चीज है लेकिन मेरे मित्र जो सिरोही की तरफ से तशरीफ लाये हैं उनकी मंशा इसके लिए नहीं है कि मैं इस बारे में कुछ कहूं। तो मैं इसको वाजिब समझता हूं कि क्लॉज़ ३५ में जो अमेंडमेंट करने की मंशा है वह यह है कि सब लेटिंग को डिस्करेज किया जाय और मैं यह समझता हूं कि मेरे मित्रों द्वारा जो अमेंडमेंट रखा गया है उसका मूल सिद्धान्त यह है कि सब लेटिंग को हर तरह से डिस्करेज करना चाहिये। इसलिए यदि उनकी यह धारणा है कि इससे सब लेटिंग को प्रोत्साहन मिलेगा तो मैं कहूंगा कि यह गलत है। क्लॉज ३५ को एज़ इट इज़ पास करेंगे तो राजस्थान में सब लेटिंग को धक्का पहुंचेगा और जो फायदा उठाते हैं वे उतना नहीं उठा सकेंगे जितना कि अमेंडट से उठा सकेंगे।

श्री ईश्वरीसिंह—नीम के थाने से आये हुए सदस्य ने जो प्रस्ताव रखियो है उसको मैं विरोध करूं हूं क्योंकि काश्तकार जो हैं विणांने साल में ८ महीना खेती को काम करनो पड़े है। जिणरी जमीन है वे सिर्फ २ साल के लिये जमीन काश्तकार ने दे राखी है तो दो साल खेती करने में तो काश्तकार ने घाटो ही रेवेलो। इण सूं तो देनगी करे तो अच्छा। आज देनगी को १ रु० एक आदमी ने कम से कम मिले है। अगर घर का ४ आदमी है तो वे रोज ४ रु० देनगी सूं कमा सके है और वे काश्तकारी में ध्यान नहीं देवेला। अगर इण तरेरो थोडी सी भूल करोला तो काश्तकार रे घर का सब आदमी बिना मौत मर जावेला। जो लोग काश्तकारी रो काम करे है उणां ने काश्तकारी में बड़ो भारी जोर पड़े हैं। वे खून को पसीनों करके पैदावार कर सके है तो यदि खून को पसीनों करके पैदावार करे और वो पैदावार खातेदार ले जावे और वे किसान गाबा फाड घरे आजावे तो इण तरह रे कानून री जरूरत नहीं है क्योंकि अगर कानून से यह होवे कि आज नहीं निपजियो तो कोई बात नहीं अगले साल निपजेलो और अगले साल नहीं निपजियो तो तीसरे साल निपजेलो, जद फायदो हो सकेला। अगर काश्तकार यह समझे कि या जमीन हमारी है मने कोई बेदखल नहीं कर सकेला तो कोई बात नहीं; लेकिन ऐसे कानून से पार नहीं पड़ेली जो या केवे कि २ साल या ५ साल बाद जमीन छुडादी जायली। ईं सूं तो सामन्तशाही को कानून ही अच्छो थो। सामन्तशाही में आ बात तो थी कि, २ साल या ५ साल कोई काश्तकार किणी जमीन पर काश्त करलेतो तो वो काश्तकार मानियो जावतो लेकिन अब यदि जमीन पड़ी रेवे और काश्त नहीं की जा सके तो २ साल तक वा जमीन पड़ी नहीं रह सके। नये कानून रे माफक वा जमीन पड़ी नहीं रह सके और बाकी सब लेटिंग को दरजो ले लेवे और फिर काढ निकाले तो ऐसे कानून की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने शर्म आनी चाहिये। आप बातों तो ये करो हो कि काश्तकारों को फायदो मिलेगो लेकिन बात उलटी करो, आ ठीक नहीं है। सोचता तो आ हा कि सैकडों वर्षों से सामंतशाही में रहता आवता हा। अब सोचा हां कि अब इण रो पिंड छुटेलो और जमीन किसानरो होवेलो। जितनों लगान काश्तकरों से लेवणों मुकर्रर सरकार करेली उतनो देने के बाद किसान सुख सूं रह सकेलो लेकिन आप जो कानून बना रया हो उण सूं किसानां रा हक छीनणा चाहो हो, इण सूं न तो आप रो भलो होवेलो और न किसानां रो भलो होवेलो। इण वास्ते मैं इण रो विरोध करूं हूं।

श्री किशनलाल शाह—माननीय उपाध्यक्ष, सब-लेटिंग के बारे में अब तक जो चर्चा हुई उससे एक बात स्पष्ट हो गई कि "लैंड टू दि टिलर्स" के सिद्धान्त को मानना है। ट्रेजरी बैंन्चेज़ में इस बिल के जो संचालन करने वाले हैं मन्त्री महोदय, उन्होंने इस सदन के सामने और सदन के बाहर इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि लैंड टू दि टिलर्स का फोरमुला स्वीकार है और सरकार का कदम इस सिद्धान्त को कार्यान्वित करने की ओर अग्रसर हो रहा है। साथ ही यह भी कहा गया है कि उनका यह मौजूदा कदम सब लेटिंग की भावना को डिस्करेज करने की तरफ है; इसके दो अर्थ होंगे। एक तो यह कि टाइमली कुछ समय के लिये सब लेटिंग रखा जा रहा है और सब लेटिंग का उसूल यह स्पष्टत: बताता है कि फिलहाल किसी भी समय के लिये कहिये: जैसा कहा गया है कि यह विधेयक कोई स्थायी नहीं है, अस्थायी है, ट्रान्ज़ीशनल है, परिवर्तनशील है और समय पर संशोधन किया जा सकता है और संशोधन किये जावेंगे। तो इससे यह स्पष्ट है कि उस समय के लिये जब तक कि इसको

श्री किशनलाल शाह]

बदलने का समय नहीं आवे तब तक के लिये काश्तकार और सरकार के बीच में एक दलाल की स्थिति कायम रखी जाती है। इसके अलावा अब यह प्रश्न उठता है कि इस स्थिति से क्या सब-टिनेन्ट्स की भावना समाप्त हो जायगी या उससे काश्तकारों को नुक्सान होगा ? तो फिर सोचना पड़ेगा कि दोनों में से किसको तरजीह दी जाय। आज तक की चर्चा से स्पष्ट है कि सब-लेटिंग के विरूद्ध जन-वाणी अधिक प्रबल है और अधिक महत्वपूर्ण है, बनिस्पत इसके जो कि मूल धारा में है। विचार धारा संशोधित धारा के पक्ष में व्यक्त की गई।

अब जिस तरह के कानून की तजवीज की गई है उसमें यह है कि बीच में २ साल के पीरियड में वापिस रिवर्शन की बात कही गई है। इससे यह धारणा हो सकती है उन काश्त करनेवालों को, यह मैं बताना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस २ साल में इसका रिवर्शन एक्च्युली नहीं है और केवल कागजी कार्यवाही होकर रह जायगी। जैसा जमीन के बारे में दृष्टिकोण बना हुआ है खींचातानी का और यह मान लिया जाय कि यह नहीं होगा तो जब खातेदार टिनेन्ट या खुद काश्त होल्डर २ साल के पीरियड में अपना कब्जा जमीन पर करेगा तो जमीन जोतने वाला सब-टिनेन्ट कहां जायगा ? वह आउट ऑफ पजेशन होगा क्योंकि जब वह आउट ऑफ पजेशन होगा और दूसरे टिनेन्ट के लिये उसको इजेक्टमेंट करना होगा तब वह किसके पास जायगा और उस सब टिनेन्ट का क्या होगा, इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। हो सकता है कि यह संभव हो कि कोई २ साल के बाद जायगा और कोई ५ साल के बाद जायगा और एक की जगह दूसरे को सब लेट करने की जरूरत पड़ेगी तो इधर-उधर जमीन ट्रान्सफर हो जायगी, लेकिन यह बात अनिश्चित है और इससे धीरे धीरे बेकारी बढ़नेवाली है। इससे एक बात और होगी। वह यह कि सब-लेटिंग करने वाला कहेगा मैं तो ५ साल के लिये सबलेट नहीं करूंगा और कम के लिये करूंगा और काश्तकार को जो कि बिना जमीन के है उसको जमीन चाहिये तो ऐसी हालत में डिमांड और सप्लाई सवाल आयगा; तो कौन कह सकता है कि वे लोग कानून नहीं तोड़ेंगे और जो सबलेटिंग का हक मिलने वाला है उसको नहीं तोड़ेंगे और दूसरे कानूनों को नहीं तोड़ेंगे। क्या गारन्टी है ऐसीपरिस्थिति आने पर ?

तो इस तरह से आप ही यह होगा और अगर यह नहीं हुआ तो सब-टिनेन्ट को वहां से हटा कर एक हाली के रूप में या मजदूर के रूप में काम ले लिया जायगा। तो उस व्यक्ति को मान्यता दे दी जाती है। तो उस व्यक्ति को आगे तक कामयाब रखने के लिए कानून में लूप होल्स हैं। वह कह सकता है कि सब-टिनेन्ट मजदूरों की श्रेणी में है, वह मजदूर हमारे लिए चाहिये और इसके बाद यह दूसरे तौर से भी उसूलन गलत है कि एक व्यक्ति के लिये ७ जगह हक रख दिया जाता है, वह सर्विस भी कर सकता है, दूसरी जगह रह कर अपना और काम, बिजनेस या और कोई दूसरा धन्धा भी कर सकता है और इसके रोब में शोषण भी कर सकता है और दूसरा तबका जो कि सबसे ज्यादा गरीब और दबा हुआ है, उससे कहें कि और थोड़े दिनों के लिये ठहरना। ऐसे

[श्री किशनलाल शाह]

आदमियों का एक हद तक भाग्य निश्चित करना उसूलन गलत है। इसके लिए यह दलील देना कि इस तरह से यह डिस्करेज होगा यह गलत है; मैं इसे नहीं मानता। बीच में एजेन्ट रखना जरूरी है, मैं इस दलील को नहीं मानता। मैं तो यह मानता हूं कि यह और भी ज्यादा भयंकर होगा और उनको गिरायेगा। इसलिये हमारा मतभेद इसमें है। इसके बाद यह भी मानता हूं कि सब लेटिंग हमें नहीं रखना है, यह जो तरीका अपनाया गया है और इस विधेयक में जो सबलेटिंग का "To carry on the objective" यह जो तरीका अपनाया गया है वह गलत है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने आंकड़ों को इर्द गिर्द की मशीनरी, और वातावरण के अनुसार बनाया है, पर वास्तविकता बिल्कुल इसके विपरीत है। मैं इसके विरोध में मत देता हूं और कहता हूं कि आगे जाकर जो कॉम्पलिकेशन्स खड़े हो जायगे उनके बारे में अभी से ही निश्चित कर देना चाहिये। अगर इसके लिये कांग्रेस हाई कमान्ड को मूव करने की आवश्यकता पड़े तो इसके लिये भी हमें मूव करना चाहिये। जो कुछ हमें बनाना है, निश्चित तरीका अपनाना है उसे अभी से मजबूती के साथ बना लेना है, स्ट्रोंग पोलिसी के साथ बना लेना है न कि ढिलाई के साथ।

राजस्थान में जागीरदारी प्रोब्लम को सोल्व करने में बड़ी बड़ी समस्याओं को पोस्टपोन करके इसके लिए समय खर्च किया गया है। अगर इस तरह ढिलाई के साथ करेंगे तो उनके दिमाग बढ़ेंगे और सोचेंगे कि इन समस्याओं को आगे बढ़ाया जाय। यह समस्या पक गई, है यह फोड़ा पक गया है, यह आगे की स्थिति में नीचे के तबकों को ऊपर नहीं आने देता, उनको मन्दिर में नहीं जाने देना, नाई उनकी हजामत नहीं बनाये; ऐसे तबकों को इसी मजबूरी हालत में रहने देना ठीक नहीं है।

इस समस्या का तुरन्त हल नहीं किया गया तो फिर कहे देता हूं, जैसा कि मैंने कई दफा इस सदन में कहा है कि इसका परिणाम भयंकर होगा और जिस दृष्टिकोण को लेकर इस विधेयक का सहयोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं वह घातक सिद्ध होगा।

श्री त्रिवेणीश्याम शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष......

श्री उपाध्यक्ष—आप ३५ पर बोल रहे हैं? ३५ तो जनरल विचारों की है, उस पर ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है।

श्री त्रिवेणीश्याम शर्मा—३५ और ३६ करीब करीब इन्टर कनेक्टेड हैं, मैं इन दोनों पर बोलना चाहता हूं।

यह जो वाद-विवाद चल रहा है वह सबलेटिंग के सिद्धान्त पर है। विरोध भी किया जाता है और समर्थन भी किया जाता है। लेकिन विरोधता यों किया जाता है कि जमीनों की शायद कमी

[श्री त्रिवेणीश्याम शर्मा]

महसूस की जाती है और यह भी सोचा जाता है कि दूसरों के रोजगार के जरिये नहीं रहेंगे, जमीनों के मालिक बहुत से बने बैठे हैं, किसी के पास ५ हजार बीघा जमीन है तो किसी के पास १० हजार बीघा जमीन है और वे लोग कोई दूसरी ही जगह बैठे हुये उस जमीन को सबलेट करते हैं और सरकार और काश्तकारों के बीच में दलाल बनकर नाजायज फायदा उठाते हैं, इसलिए विरोध किया जाता है।

सबलेटिंग का समर्थन भी किया जाता है और इसकी दलीलें दी जाती है। दरअसल असली सिद्धान्त यह है कि जमीन उसी के पास रहे जो उसको काश्त करता है, जो उसको जोतता है; वह उसके कब्जे में रहे।

इस सिद्धान्त को लेते हुये सबलेटिंग का चाहे समर्थन किया जाय, चाहे विरोध किया जाय, पर विरोध या समर्थन करने से पहले यह देखना जरूरी हो जायगा कि आया यह सही दवा भी हैं उस मर्जकी जिसके लिए कि हम आयन्दा सोच रहे हैं ? इसके लिए हमें सबलेटिंग के और इस बिल के जो दूसरे प्रोविजन्स हैं उनको एक साथ देखते हुए चलना पड़ेगा। हमने पिछले क्लॉजेज़ में यह भी रखा हैं कि खातेदारी किस तरह से एक्वायर की जाय। खातेदारी एक्वायर करने के लिए कोई भी टिनेन्ट या सब-टिनेन्ट सब डिवीजनल ऑफिसर के पास जाकर दरख्वास्त करके जिस ज़मीन पर वह खेती करता है उस जमीन के मालिक के खिलाफ खातेदारी के हकूक हासिल कर सकता है। तो इस तरह से सबलेटिंग का तरीका जो हैं वह इस दृष्टि से ठीक है कि जिन लोगों के पास १० हजार बीघा जमीन है उसमें से टिनेन्ट्स और सब टिनेन्ट्स इस तरह से प्रार्थना-पत्र देकर लेते रहें और उन लैन्ड होल्डर्स के पास जमीन कम होती जाय। अगर यह सब लेटिंग का तरीका नहीं रखेंगे तो उनकी जमीन वैसी की वैसी उनके पास बनी रहेगी। सब लेटिंग का तरीका रहने से वे सब लेट करेंगे तो खेती करने वाले, उस जमीन को जोतने वाले उस जमीन पर खातेदारी राइट्स हासिल कर सकेंगे और इस तरह उनके पास जो ५-५ हजार, दस-दस हजार बीघा जमीनें हैं वे उतनी न रहकर कम होती जायगी और जितना नाजायज फायदा लैन्ड होल्डर और होल्डर ऑफ खुदकाश्त आज उठाते हैं उतना नहीं उठा सकेंगे। तो इस तरह से वह जो मर्ज है इसका सबलेटिंग इलाज भी हो सकता है।

दूसरी दलील यह दी जाती है कि दलाल फायदा उठाते हैं परन्तु जो दूसरा तरीका हमने रखा है, सीलिंग का प्रोविजन रखा है कि इतनी जमीन से ज्यादा नहीं रख सकता और इससे वह जमीन कम होती जाती हैं तो सब-लेटिंग के खिलाफ यह जो दलील दी जाती है कि दलाल इतना फायदा उठाते हैं यह ठीक नहीं है। क्योंकि सब लेटिंग ही कोई खास इलाज़ इस मर्ज का नहीं है जिस मर्ज का हम इलाज करने जा रहे हैं। मैं तो यह कहूँगा कि सब-लेटिंग फ्री होना चाहिये और सब-लेटिंग पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिये। जब आपने यहां पर प्रोविजन रखा है कि दो या चार साल के बाद कोई भी जमीन को मुतवातिर काश्त करता रहा हैं और अगर वह मुतवातिर जमीन पर

[श्री त्रिवेणीश्याम शर्मा]

काश्त करता रहा है तो उसको खातेदारी राइट्स, चाहे वह सब-टिनेन्ट भी हो, मिल जावेंगे। जब आपने जैसा प्रोविजन रखा है तो ऐसे प्रोविजन रखने के बाद मैं तो यह कहूंगा कि सबलेटिंग के विरोध करने की बात नहीं रहती। अब रही यह बात कि सबलेटिंग कांग्रेस के सिद्धान्तों के खिलाफ है; तो मैं यह कहूंगा कि यह बात कहना गलत है। कांग्रेस का सिद्धान्त इतना ही है कि जमीन काश्तकार के पास रहे और उस सिद्धान्त का मैं समर्थन करता हूं। इसके लिए यही तरीका ठीक देखा गया है। मैं इसका विरोध करता हूं और यह निवेदन करता हूँ कि सब-लेटिंग फ्री होना चाहिये और इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिये।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, इस वक्त इस सदन में दो तरह की विचार धारा चल रही है और तीसरी विचारधारा और हमारे सामने आ गई। एक विचारधारा तो यह है कि सब लेटिंग को बिल्कुल रोक दिया जावे और दूसरी विचारधारा यह है कि सब लेटिंग पर किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं किया जावे और जितना चाहे उतने समय के लिए सब लेटिंग करने दिया जावे और तीसरी विचारधारा यह है कि सब लेटिंग की इजाजत दी जावे, लेकिन अन्डर सर्टेन रेस्ट्रिक्शन्स दी जानी चाहिये। इन तीनों विचारधाराओं में से देखना यह है कि सिद्धान्ततः कौनसी बात होनी चाहिए और व्यवहारिक कौनसी बात हो सकती है। आज जब हम इस सिद्धान्त को मानते हैं कि जमीन के मालिक वही हों जो उस जमीन को काश्त करता है तो स्वतः इसका मतलब यही निकलता है कि सब लेटिंग को हमें बन्द करना है, लेकिन इसके साथ हमें देखना यह है कि क्या यह व्यवहारिक है। क्या जिस स्थिति में राजस्थान है वहां इस प्रकार के सब लेटिंग को हम बिल्कुल बन्द कर सकते है? अगर हम बन्द करते हैं तो क्या वह चीज़ चल सकती है और अगर कर दिया तो इसका असर लोगों पर क्या होगा? हम यह मानते हैं कि परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि जिनमें एक टीनेन्ट अपनी जमीन को खुद काश्त नहीं कर सकता है। हो सकता है कि उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई हो और इस वजह से खुदकाश्त नहीं कर सकता या ऐसी परिस्थिति हो कि जहां समय समय पर अकाल पड़ रहा हो या उसका बैल मर गया हो या और कोई दूसरी परिस्थिति पैदा हो गई हो जिसके कारण वह खुदकाश्त नहीं कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई काश्तकार आ जावे तो उसको क्या करना होगा और उसको क्या करना चाहिए। हमें सोचना यह होगा कि एक तरफ तो हमारे सामने यह है कि कोई अपनी जमीन को पड़त नहीं रख सकता और दूसरी तरफ अर्थ के अभाव से या बैल के अभाव से वह खेती नहीं कर सकता है उसको वह जमीन पड़त रखनी पड़ेगी। मगर यह दूसरी तरफ पाबन्दी है कि कोई पड़त नहीं रख सकता। अब वह दूसरे को भी नहीं बता सकता, अगर यह कानून रहा तो जब सीलिंग मुकर्रर हो चुकी है तो वह उसके माफिक ज्यादा जमीन नहीं रख सकेगा और लगान भी ज्यादा नहीं ले सकेगा। आपको दोनों में कौनसी स्थिति पसन्द होगी।

मैं आपको एक माइनर की मिसाल देता हूँ। एक शख्स माइनर है। एक शख्स के खाते में जमीन है वह मर गया और उसके पीछे तीन साल का लड़का है। क्या वह तीन साल का

[श्री श्यामलाल गोयल]

लड़का खुदकाश्त कर सकता है, क्या उसमें इतनी अक्ल है ? अगर आप सब लेटिंग की इजाजत नहीं देंगे और प्रतिबन्ध लगा देते हैं तो उसके साथ घोर अन्याय होगा। आप उन शख्स को ले लीजिये, जो पागल है या इसी तरह से कोई बेवा है या जो शख्स मिल्ट्री में सर्विस करता है वह कैसे खुदकाश्त कर सकता है ? इसलिए मैं यह कहूंगा कि किसी भी कानून को पास करते वक्त हमें यह देखना होगा कि जो कानून हम लागू कर रहे हैं उसका असर यह तो नहीं होगा कि जिससे जमीन बहुत पड़त पड़ी रहने लग जावेगी अथवा इसका और भी कोई दूसरा खतरा है। इसका और भी दूसरा खतरा है इसको मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ।

आज वास्तविक स्थिति यह है कि बहुत से लोग-बाग जमीन को शिकमी काश्तकार के तौर पर काश्त करते हैं और आपने इस प्रकार का प्रोविजन रखा है कि जिस रोज यह प्रोविजन फोर्स में आ जावेगा उसी दिन सब-टिनेन्ट या टिनेन्ट ओफ खुदकाश्त जो होंगे उनको खातेदारी राइट्स एक्वायर हो सकेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ प्रतिबन्ध हैं और वे राइट्स उनको कम्पेन्सेशन देने की स्थिति में हासिल हो सकते हैं। जो लोग कम्पेन्सेशन नहीं दे सकते वे खातेदार नहीं बन सकेंगे और बहुत से लोग ऐसे भी रह जावेंगे जो कम्पेन्सेशन नहीं दे सकेंगे और इसके अलावा आयन्दा भी कई प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। अगर आप सब टिनेन्ट को नहीं रखेंगे और सब लेटिंग को रोकेंगे तो मैं यह कहूंगा कि आप लेन्ड लेस लेबरर को बढ़ावा देंगे। आप एक ऐसी क्लास पैदा करेंगे जिनकी स्थिति लैंन्डलेस लेबरर की सी हो जावेगी और जो लोग अभी सब लेटिंग करते हैं उनको लेन्डलेस लेबर की तरह रहना पड़ेगा। मैं यह मानता हूं कि सब टिनेन्ट की Position लेन्डलेस लेबरर से ज्यादा अच्छी है और उन पर कोई प्रतिबन्ध लगा दिये जावें तो हमें टोलरेट करना पड़ेगा। इसको देखते हुए जो कुछ हम क्लॉजेज़ पास कर चुके हैं उनकी तरफ देखें तो हमको मानना पड़ेगा कि हम सब लेटिंग की इजाजत देना चाहते हैं। अभी जो क्लॉजेज़ हम जमीन के मुतल्लिक और सेल के मुतल्लिक पास कर चुके हैं; कुछ मोर्टगेज के मुतल्लिक पास कर चुके हैं और कुछ पास किया है उनमें सीलिंग की कैद रखी है। यह हमने कभी नहीं रखा है कि हर तरह के ट्रान्सफर मान्य नहीं हैं।

अगर उसके पास कोई जरिया ऐसा नहीं रहता हो कि जिससे वह खुदकाश्त कर सके और आप उसको सब लेटिंग की इजाजत नहीं देते हैं तो आप उसको मजबूर करते हैं कि वह जमीन को बेचे या किसी के यहां रहन रखे। आप यह स्थिति लाना चाहते हैं तो मैं यह कहूंगा कि आपको इस प्रकार की स्थिति किसी भी हालत में नहीं लानी चाहिए। अगर किसी की टेम्परेरी हालत खराब हो गई है तो आप उसको यह मजबूर करें कि वह उनको रहन रख दे या बेचे, यह ठीक नहीं होगा। इससे ज्यादा अच्छा यह होगा कि आप उसको यह इजाजत दे दें कि वह कुछ प्रतिबन्ध के साथ उसको काम में ला सकता है। आप क्लॉज़ ३६ में जो संशोधन पेश हुआ है उसे देख लें। इसलिए मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस स्थिति में हमें सब लेटिंग को इजाजत दे देनी

Page No.73

[श्री श्यामलाल गोयल]

चाहिए। एक और दूसरी शक्ल है जिसकी वजह से सब लेटिंग की आज जरूरत है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हम जो इजेक्टमेंट के प्रोविजन को पास करने जा रहे हैं, किसी शख्स में रेन्ट बाकी है उसको पर्टीकुलर केस में इजेक्ट किया जा सकता है। एक प्रोविजन ऐसा है कि एक व्यक्ति में दो साल का रेन्ट बाकी है, उसको नोटिस दिया जावेगा और उसके बाद उसको जमीन से इजेक्ट किया जा सकता है। यह प्रोविजन है उसकी मौजूदगी में अगर किसी काश्तकार की हालत खराब हो जाती है और वह दो वर्ष का लगान अदा नहीं कर सकता है तो उस सूरत में क्या होगा कि उस टिनेन्ट को उस जमीन से इजेक्ट होना पड़ेगा। तो क्या हम यह पास करें कि जो मजबूरी की वजह से लगान नहीं दे सकता है और काश्त नहीं कर सकता है वह बेदखल कर दिया जावे ? तो ऐसी स्थिति में किसी प्रतिबन्ध के साथ यह जमीन किसी दूसरे को सब लेट कर दी जावे। इसलिए मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो चीज व्यवहारिक हो वह की जानी चाहिए और कुछ प्रतिबन्ध के साथ सब लेटिंग की इजाजत दी जावे।

यह एतराज कहिये, या सजेशन कहिये, माननीय विरोधी दलके नेता की ओर से आये थे और वह इस अमेंडमेंट के सिलसिले में थे। आपका सजेशन यह था कि :

"Right to sub-let.-A tenant may sub-let the whole or any part of his holding under such restrictions as are imposed by this Act; Provided that no such sub-letting shall in any way relieve the tenant of any of his liabilities to his landholder"

उनका फरमाना था कि यहां पर "Provided that-" जहां है:

"no such letting or sub-leting shall in any way relieve the tenant of any of his liabilities to his landholder" ऐसा हो जाना चाहिए। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि 'letting' शब्द के बढ़ाने की जरूरत नहीं। कारण इसका यह है कि होल्डर ऑफ खुदकाश्त जो टिनेंट होगा उसकी लायबिलीटी किसके प्रति होगी ? उनका आपस में सीधा कनेक्शन है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं रहती है। तीनों पार्टीज़ हो जावेगी। टिनेन्ट किसी दूसरे का होगा।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—Have you followed it ?

कुं श्री जसवन्तसिंह—Yes, Yes, I am quite following it.

श्री श्यामलाल गोयल—जहां तक टिनेन्ट का सवाल है टिनेन्ट को जमीन मिलती है सरकार से और अगर जमीन को वह सब-लेट करता है तो सरकार अपनी जिम्मेदारी सब टिनेन्ट पर

Page No.74

[श्री श्यामलाल गोयल]

ट्रान्सफर नहीं कर सकती है। सरकार तो यह चाहेगी कि जिसको हमने जमीन बतायी है चाहे वह दूसरों से काश्त कराये वह जिम्मेदार हमारे रेन्ट का रहेगा।

एक खुदकाश्त होल्डर अपनी जमीन को जो उसकी है दूसरों को बताता है, उसका राइट है। दूसरों की उसमें जिम्मेदारी का सवाल नहीं है। आपस में एग्रीमेंट है इसलिए letting शब्द के बढ़ाने की जरूरत नही है। इन शब्दों के साथ जो अमेंडमेंट माननीय कपिलदेवजी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ।

श्री घीसीसिंह—क्लॉज़ ३५ में जो अमेंडमेंट आया है उस पर सदन में कई ओर से अपनी अपनी विचारधाराएं रखी गई हैं और वे विचारधाराएं मेरे ख्याल से ज्यादातर किताबी ज्ञान के जरिये से यहां रखी गई हैं, जिनका कि विशेष किताबों का ज्ञान है। किसान पतिका ज्ञान मेरे ख्याल से उनको कम रहा है। मैं एक किसान होते हुए, एक किसान पति को जानते हुए, किसानों की हालत को जानते हुए अपने विचार मैं सदन के सामने रखता हूं। एक विचारधारा है कि काश्तकारों को पट्टे की इजाजत दी जाय और एक विचारधारा है कि न दी जाय। तो मेरे ख्याल से पांच साल के लिए इजाजत देना किसी प्रकार से ठीक नहीं है। ज्यादातर क्या कहते हैं कि काश्तकार के बैल मर गये, सामान नहीं हैं इसलिए पट्टा देने का अधिकार होना चाहिए। बैल मर जाने से और आदमी मर जाने से जो किसान, किसान पति पर अपना जीवन निर्वाह करता है वह अपनी जमीन किसी को पट्टे पर नहीं दे सकता है। वह तो हर हालत में काश्त करने की सोचता है। किसी तरह से गवर्नमेंट की सहायता से या बैंक की सहायता से, तकावी की सहायता से कर्ज लेकर अपने खेत को चला सकता है। इसलिए उसकी जमीन को पांच साल के लिए पट्टे पर देने की हालत किसी प्रकार नहीं आ सकती है। ऐसी मुसीबत उस पर आ सकती है कि पांच साल पर अपनी जमीन को पट्टे पर दे दे तो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए उसके पास दूसरे साधन नहीं रह जाते हैं। इससे होगा क्या? जहां कि एजेन्टों के द्वारा खेती कराने की इजाजत दे देते हैं उन्हीं लोगों के लिए, मुनाफाखोरों के लिए वह एक जरीया बन जायगा। मुनाफाखोरों के लिए तो यह एक जरिया बन जायगा और अब हमने पांच साल के लिए शिकमी को पट्टे पर जमीन देने के अधिकार दे दिये तो फिर उसके बाद भी उन काश्तकारों के जीवन निर्वाह का क्या आधार रहेगा? वे अपने गुजर बसर के लिए क्या आसरा टटोलेंगे? पांच साल तक तो खेती पर न रहा और पांच साल के बाद जीवन निर्वाह कैसे करेगा? तो सब टिनेन्ट्स का जीवन खतरे में पड़ जायगा। दो एक साल खुद काश्त करके फिर पांच साल के लिए पट्टे पर दे दें इसमें भी कई युक्तियां चल सकती हैं और मुनाफा खोरी कर सकते हैं। इससे तो कठिनाइयां बढ़ जायंगी और सब टिनेन्ट को कोई फायदा नहीं होगा। अगर पांच साल के पट्टे की इजाजत जो दी जा रही है वह नहीं दी जायगी। तो जिसके पास जमीन ज्यादा है और पट्टे पर देता है तो शिकमी को खातेदारी राइट्स प्राप्त हो जावेंगे। इसलिए पांच साल की पट्टे की इजाजत नहीं देना चाहिये यह मेरा मतलब है।

राज श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३५ पर जो श्री कपिलदेवजी का अमेंडमेंट है उसके बाबत यह बहस चल रही है। यह क्लॉज़ ३५ एक प्रिन्सिपल को डील करता है, एक सिद्धान्त को लिये हुए है कि सबलेटिंग होना चाहिये या नहीं। इस स्टेज पर कहा जाता है और बहुत सारे बोले कि सबलेटिंग नहीं होना चाहिये। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे कह रहे हैं कि सबलेटिंग नहीं होना चाहिए और वे उसका विरोध करते हैं। अगर हमारे बिल को देखा जाय तो उसके अन्दर चेप्टर आठ डिटरमिनेशन एन्ड मोडिफिकेशन ऑफ रेन्ट को डील करता है। उससे साफ जाहिर है कि जो राइट इस बिल में हम कायम करने जा रहे हैं वह लैंड होल्डर और सब टिनेंट के बीच कायम कर रहे हैं। प्रिन्सिपल्स तो हम एक्सेप्ट कर चुके हैं और अब समय सदन का बृथा नष्ट करके लम्बी-चौड़ी बहस की जाती है, कि सबलेटिंग नहीं होना चाहिए, यह बात समझ में नहीं आती है।

डीडवाना से आने वाले महोदय ने कांग्रेस एग्रीकल्चर कमीशन की किताब से कुछ बातें इस सदन के सामने जाहिर कीं और उसमें उन्होंने बताया कि "लैंड फॉर दी टिलर्स"। यह सिद्धान्त उन्होंने उसमें बताया कि सब लेटिंग नहीं होना चाहिये लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वे एक सीढ़ी छोड़ कर रुक गये हैं, आगे नहीं बढ़े हैं। देखा जाय तो मालूम होगा कि कांग्रेस एग्रीकल्चर कमीशन ने जो सिद्धान्त कायम किये हैं वे वास्तव में उससे बहुत दूर थे। कांग्रेस एग्रीकल्चर कमीशन ने यह सिद्धान्त कायम किया है कि काश्तकार हिन्दुस्तान में कोऑपरेटिव बेसिस पर होना चाहिए और को-ऑपरेटिव फार्मिंग होनी चाहिए। तो उसको छोड़ कर सबलेटिंग की बात जाहिर कर रहे हैं, यह अफसोस की बात है। मैं समय ज्यादा नहीं लेना चाहता और खाली इतना अर्ज करूंगा कि जो सिद्धान्त क्लॉज़ ३५ के लिए श्री कपिलदेवजी ने रखा है वह हाउस के स्वीकार करने योग्य है क्योंकि कितने ही क्लॉज़ेज हमने पास किये हैं उनमें हमने वह सिद्धान्त माना है।

श्री श्रीभानसिंह—On a point of explanation, Sir, do you think that sub-letting and co-operative farming go together?

(विराम)

The Hon'ble Member who supprted this amendment said that it envisaged co-operative farming and also sub-letting. I am asking whether co-operative farming anb sub-letting go together or they are antagonistic?

श्री हिम्मत सिंह अटरू—The canot go together. they are opposite to each other. But we are not moving on that line.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—Not opposite. One can accommodate the other.

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्षजी, टिनेन्सी बिल को क्लॉज़ ३५ पर अभी जो सदन में चर्चा चल रहा है उस सम्बन्ध में निवेदन करूं कि ३५ वां क्लॉज़ इस बात की इजाजत देता है कि एक खातेदार किसान और एक खुदकाश्त होल्डर अपनी जमीन को कुछ अर्से के लिये किन सूरतों में अपनी जमीन को काश्त करने के लिये दे सकता है । इस सदन में जो चर्चायें चली हैं ऐसा मालूम पड़ता है सिद्धान्ततया यहां एक मत ऐसा है जो यह कहता है कि सब-लेटिंग का होना बिल्कुल गलत है और कुछ सदस्यों का मानना है कि अभी जो मौजूदा हालत है और जिस तरीके से जो रद्दोबदल हम हमारे मुल्क में ला रहे हैं उसकी व्यवहारिकता को देखते हुए यह उसूल कुछ सूरतों में चालू रहे तो हमें उस व्यवस्था को लाने में मदद ही मिलेगी । उसमें हमें इससे किसी प्रकार का रोड़ा नहीं अटकेगा । मैं इस उसूल को कि किसानों को सब-लेटिंग करना बिल्कुल वाजिब नहीं या उनको सब-लेटिंग नहीं करने देना चाहिये, इसके खिलाफ हूं । अभी जिस तरीके से खेती हमारे मुल्क में हो रही है उस हिसाब को देखते हुए मैं मानता हूँ कि किन्हीं मौकों पर किस २ तरीके से काश्त करने वाले किसान को मजबूरन सब-लेटिंग करना पड़ता है । वे वेस्टेड इन्टरेस्ट के लोग या जिनको आप प्रिविलेज क्लास के नाम से पुकारते हैं, वे नहीं हैं । मैं यह बताऊंगा कि कुछ काश्त करने के तरीके ऐसे हैं जिनसे एक मामूली किसान जिसकी आमदनी का जरिया केवल काश्त है, और केवल वही नहीं बल्कि उसके आश्रित तमाम आदमी उसमें लगे रहते हैं, उस जमीनकी काश्तके लिये जुते रहते हैं, फिर भी वह काश्तकार दूसरे शिकमियों से मदद लिये बिना अपनी खेती में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता ।

मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके लिये हमें सबलेटिंग की आवश्यकता पड़ती है । हमारे प्रान्त में कुछ इलाके ऐसे हैं, माननीय उपाध्यक्ष, जहां खेती कूओं के जरिये होती है और जो कूए बने हुए हैं, उनकी गहराई २०० फीट से लेकर ३०० फीट तक की और ऐसे कुओं पर एक आदमी का कब्जा है वह उसके खाते में मंडा हुआ है, अगर वह अकेला उस कूए से काश्त करने चले तो यह उसके लिये बिल्कुल असम्भव हो जाता है । किसानों की ऐसी हालत नहीं कि वह उसके लिये और खर्चा उठा सके । कई दफा तो ऐसा देखने में आता है कि घर के सारे आदमी मिल कर भी उस कुए से फायदा उठा नहीं सकते । तो मजबूरी सूरत में दो तीन दूसरे किसानों से शिकमी काश्तकारों को बुलाना पड़ता है, उनको कहना पड़ता है कि तुम भी आओ, दो बैलों की जोड़ी मेरी और दो तुम्हारी; इस तरह से चार जोड़ी हो जायंगी तो पानी आसानी से निकल सकेगा और जमीन में आसानी से काश्त हो जायगी । वे तय कर लेते हैं कानून के मुताबिक । जिस जमीन पर वे काश्त करते हैं उसका छठा बांटा वे उसको देंगे । अगर नकद में जो कुछ पैदा होगा उसका ड्योढ़ा मुकर्रर है या दुगुना है तो वह दुगुना उसको दे देगा । इसलिये इस सब-लेटिंग की बोनाफाइडी जरूरत समझते हैं । अगर दूसरे किसानों को कुछ नहीं देते हैं तो उसका भी कुछ काम नहीं चल सकता । ऐसी सूरत में जैसा कि हम सब-लेटिंग की जरूरत समझते हैं इससे न कोई किसी का शोषण ही कर सकेगा और न वे कोई ऐसे आदमी होंगे जो महलों में बैठे रहेंगे या कोई दूर बैठे रहेंगे । यह तो एक एमर्जेन्सी है । ऐसा मौका सावण फसल में तो नहीं आता, किन्तु उन्हालू फसल में शिकमियों को मदद लेना जरूरी

[श्री नाथूराम मिर्धा]

हो जाता है । ऐसी सूरत में शिकमी काश्तकारों के लिये एकदम रास्ता बन्द कर दें ये लोग, इस तरह के नहीं है ये तो वे लोग हैं जो रातदिन मेहनत करते हैं । उनकी माली हालत ऐसी नहीं है कि वे इतने बड़े आदमी गिने जांय जिनको हम एक ही झटके के साथ कह दें कि इसको खत्म करने की आवश्यकता है । काश्त करने के ऐसे इलाके हैं राजस्थान में जहां पानी बहुत गहरा है और कूओं से खेती होती है । वहां शिकमी काश्तकारों की गरज करके काश्त करना जरूरी होता है; उन पर एकदम बोन्ड लगा देना बहुत बेजा बात है । इसके साथ साथ शिकमी काश्तकार के लिये जो आपको डर है कि इससे बहुत से आदमी बैठे हुए शोषण करेंगे, दूर बैठे हुए खेतियां करवायेंगे और अपनी जमीन से नाजायज फायदा उठायेंगे, इसलिये इन शिकमियों को एक दम खत्म कर देना चाहिये, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसी बातों की रोकथाम के करने के लिये जितने भी प्रिकॉन्शन्स और जितनी भी बातें जरूरी हो सकती हैं और जितने भी प्रिकॉशन्स हम ले सकते थे हमने इस बिल में विभिन्न क्लॉजेज़ के जरिये लेने की कोशिश की है और आगे भी इस प्रकार के कानून के लिये लगातार सोचा जा रहा है । शिकमी काश्तकार की कार्यवाही के जरिये शोषण होता है । उसके कार्यवाही को रोकने का इस कानून में प्रयत्न किया है और प्रोवीजन रखे भी हैं । शिकमी काश्तकार से क्या लगान लिया जायगा या जो रेन्ट लिया जाता है वह डेढ़े और दुगुने के बीच में हो सकता है और अगर वह लेन्ड रेवेन्यू के रूप में डेढ़ से चार-गुना तक हो सकता है, यह हमने पाबन्दी लगाई है क्लॉजेज़ ६४ और ६५ में । इसके साथ साथ इस शोषण को और इन शिकमी काश्तकारों को आगे पांच साल तक उस जमीन पर काश्त करने के लिये मिल सकती है, इसके लिये भी आगे के क्लॉज़ में भी कपिलदेवजी ने एमेन्डमेंट रखा है; वह इसी ध्यान से रखा है ।

श्री घीसीसिंह—जो शोषण हो रहा है उसकी कमी करने की कोशिश क्या कर रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा—(अपना भाषण जारी रखते हुए) शोषण को बिल्कुल मिटाने में डिफिकल्टी आ सकती है, मैं जिस बारे में जिक्र कर रहा हूं वह इलाका भी राजस्थान का है। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वे अपने इलाके की बात कह रहे होंगे । उनको सारे राजस्थान को दृष्टिगत रखते हुए देखना चाहिये । मैं तथ्यों के आधार पर बातें सदन के सामने रख रहा हूं ।

इसके बाद में आगे हमें यह डर है कि इससे लोग बड़े बड़े होल्डिंग्ज़ ले लेंगे और हमेशा के लिये शोषण की प्रथा को चालू रखेंगे सब टिनेन्सी के जरिये । इस चीज में बड़े बड़े होल्डिंग किस हद तक रख सकते हैं उसे इकोनोमिक होल्डिंग के रूप में रख सकते हैं । जो स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग हम मिलकर रखना चाहते हैं, वह सामाजिक क्रान्ति के जरिये हो सकता है । इस चीज का लिमिटेशन करने के लिये यह भी सोचा है । हम कानून द्वारा बड़े बड़े होल्डिंग्ज़ रखना चाहते हैं या नहीं, इस बारे में एक सिलिंग कमेटी राजस्थान सरकार ने मुकर्रर की है जो अलग अलग इलाकों का दौरा

[श्री नाथूराम मिर्धा]

करके अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट के सामने पेश करेगी। तो फिर बड़े बड़े होल्डिंग्ज़ रखकर बाहर बैठे हुए सब-लेटिंग करते रहेंगे, यह बातें आगे पार पड़ने वाली नहीं दिखतीं।

इस वास्ते मौजूदा स्थिति में मीडियम क्लास के लोग अपना किसी तरह से गुज़र-बसर कर सकें और कुछ गुजारे लायक रास्ता मिल सके, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जहां तक सम्भव हो सकता था इस सब-लेटिंग पर रोक लगाते हुए इस समस्या को हल किया गया है। मौजूदा हालत को देखते हुए मेरे ख्याल से जो व्यवस्था इस क्लॉज़ द्वारा की गई है यह काफी उचित है। आगे चलकर समाज न बदल जावे यह बात अलग है, पर इस वक्त जो स्थिति है उसमें यह हल ठीक ही नजर आता है।

श्री वेदपाल त्यागी—क्लॉज़ ३५ पर विचार करते हुए कई प्रकार की विचारधाराएं इस सदन के समक्ष आईं। कुछ सदस्यों ने इस बात का घोर विरोध किया कि सबलेटिंग की प्रथा को अब कायम नहीं रखना चाहिये क्योंकि जमीन उन्हीं के कब्जे में रहनी चाहिये जो जमीन को स्वयं काश्त करता है। यह वह सिद्धान्त है जिसको कांग्रेस ने माना है, यह वह सिद्धान्त है जिसको जितने भी प्रगतिशील तत्व हैं वे सब मानते हैं और इस सिद्धान्त के आधार पर वे आज आगे बढ़ रहे हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं; यह समय की पुकार है और इसको आज हम भी नहीं रोक सकते।

पर आज हमें जिन दौरों में से होकर गुजरना पड़ रहा है उनसे आंखें भी बन्द नहीं कर सकते और इसके लिए हमें व्यवहारिक दृष्टिकोण अपने सामने रखना पड़ेगा। इसलिये मैं कहूंगा कि राजस्थान की आज वह स्थिति नहीं है जहां सब-लेटिंग को, इस सब-लेटिंग की प्रथा को बिल्कुल उड़ा दिया जावे। लेकिन जिस प्रकार सबलेटिंग की प्रथा को आज इस अमेन्डमेंट के द्वारा हमारे कानून में प्रतिपादित किया जा रहा है उससे मुझे कुछ मतभेद अवश्य है।

ओरिजिनल बिल में जो क्लॉज़ था उसको और इसको अगर देखा जावे तो इसमें कुछ भेद मिलेगा और वह भेद यह है कि खुदकाश्त होल्डर को इसमें इन्ट्रोड्यूस किया गया है। मैं समझता हूं कि आगे की व्यवस्था को देखते हुए खुदकाश्त होल्डर को तो इसमें इन्ट्रोड्यूस करने में एतराज नहीं, पर जो प्रोविज़ो सैकंड हमारे ओरिजिनल क्लॉज़ में था उस प्रोविज़ो सैकंड को इस में से उड़ा दिया गया है। जहां तक क्लॉज़ ३५ का सम्बन्ध है अगर यह प्रोविज़ो उड़ा भी दिया जावे तब इसका मतलब यह निकलता है कि सबलेटिंग का अधिकार उसको दे रहे हैं, सब टीनेन्ट को नहीं दे रहे हैं। पर यहां पर खास तौर पर सब टीनेन्ट को और टीनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को इन अधिकारों से वंचित किया गया है। पर क्लॉज़ २६ का जो अमेन्डमेन्ट आ रहा है उसमें सब क्लॉज़ (४) में यह है कि:

"No sub-tenant or tenant of Khudkasht shall sublet the whole or any part of his holding except in circumstances mentioned in Section 37."

[श्री वेदपाल त्यागी]

इसका मतलब यह है कि हम सब टिनेन्ट और खुदकाश्त के टिनेन्ट को भी यह सबलेटिंग का राइट दे रहे हैं उन सूरतों में जैसा कि ३७ में हमने बताया है ।

ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि इस प्रथा को आप इन्डाइरेक्ट वे में प्रोत्साहन देना चाहते हैं और यह वह तरीका होगा जो आप सब टिनेन्ट की सब-टिनेन्ट बनाने का अधिकार देना चाहते हैं। खुदकाश्त के टिनेन्ट को भी आप अधिकार देना चाहते हैं कि वह भी अपनी होल्डिंग को लीज़ आउट कर सकता है जो क्लॉज़ ३७ में बताया गया है ।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वे यह जो प्रोविज़ो (२) ओरिजिनल में है उसको इसमें एंड करें वरना इस सिद्धान्त को जब हम व्यहारिक दृष्टिकोण से रखने को तैयार हैं तो हम इसको इतना आगे ले जाने को तैयार होते जा रहे हैं कि इसकी तरफ शायद अमेन्डमेन्ट को मूव करने वालों का भी ध्यान न गया हो । फिर इसका मतलब यह निकलता है कि खुदकाश्त के टिनेन्ट को भी सबलेटिंग का अधिकार दे रहे हैं । इसलिये में निवेदन करूंगा कि जहां और बातों पर प्रकाश डाला गया है वहां इस बात पर भी ध्यान आप रक्खें कि इसको इतना रेस्ट्रिक्ट कर दिया जावे कि सिवाय खातेदार टिनेन्ट और खुदकाश्त होल्डर के और किसी को सबलेटिंग का अधिकार न हो ।

श्री **गोपीलाल यादव**—माननीय उपाध्यक्षजी, इस सब-लेटिंग पर पहले चर्चा करते समय भी मैंने कहा था कि हम जिन लोगों को फायदा पहुँचाना चाहते हैं वह फायदा न उनको पहुँच रहा है और न समाज का क्या हमें ढांचा बनाना है उसको हम ठीक तरह से सोच रहे हैं ।

सब-लेटिंग पर प्रतिबन्ध लगाने का मतलब मैं तो एक ही समझता हूँ और वह यह है कि जागीरदारों, राजा-महाराजाओं और मालदारों को मदद करना और गरीब लैण्डलैस किसान को बरबाद कर देना और उनके लिए भूमि लेने का जो एक मात्र साधन हो सकता है उसको भी उनसे छीन लेना । आज हमारा देश बदकिस्मत होता, अगर सौ साल पहले यह कानून बन गया होता ; तो आज के खातेदार मजदूर होते क्योंकि जमीनें जिनके पास थीं वे अपनी काश्त मजदूरों के जरिये से कराते और काश्तकार को जो मौरुसी हक मिल गये बारह-पंद्रह या दस–बीस साल काश्त करने के या किसी तरह के, वे किसी को नहीं मिलते । आज हम वही करने जा रहे हैं । जिस जिस के पास जमीन हाथ आ गई वह उसकी रहेगी, वह गरीब को नहीं मिलेगी, लैण्डलैस को नहीं मिलेगी । जब आप यह प्रतिबन्ध लगा देते हैं कि आप सबलैट इन सूरतों के सिवाय नहीं कर सकते तो फिर कौन करेगा ? कोई नहीं करेगा केवल वही करेगा जिसके पास ज्यादा जमीन है , जिसके पास कमी है, जो भूखा है, वह तो करेगा नहीं ।

अब आप प्रतिबन्ध लगाते हैं कि सबलैट मत करो तो इसका मतलब क्या है ? आप एक हताक्षर से उन बड़े लोगों के लिए कोर्ट ऑफ वार्ड्स का इन्तजाम करते हैं, उनके लिए जो राजा हैं,

[श्री गोपीलाल यादव]

महाराजा हैं, जागीरदार हैं बड़े बड़े जमीनों के मालिक हैं, बहुत से मिनिस्टरों के लिए भी आप कर रहे हैं जिनके पास मुमकिन है बड़े बड़े फार्म हों। आप सोच रहे हैं कि अगर सबलैट कर दी जमीन गरीब को तो हाथ से जमीन वह गई तो इस कानून की आड़ में आप धोखे से यह जमीन सबलैट कर रहे हैं जिससे आपके स्वामित्व पर आंच न आवे। तो इस तरह से उस जमीन को हिफाजत करने के लिए उन बड़े बड़े लोगों के लिए गरीबों की नाम की आड़ लेकर आप इस सब लेटिंग को रख रहे हैं यहां पर, ताकि जिस किसी सेठ-साहूकार या राजा-महाराजा या जागीरदार या मन्त्री के पास जमीन है बहुत बड़ी बड़ी वह उसी के पास रह जावे; मालदार सरकारी मुलाजिमों के पास रह जावे और जो बड़े बड़े धनिक लोग हैं उनके पास रह जावे।

तो मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप महरबानी करके इस जाल को ध्यान से देखें। यह कैसा जाल बिछाया जा रहा है। इसके विपरीत स्थिति यह है कि बिना प्रतिबन्ध के खुली सबलैटिंग करने से, खुली सबलैटिंग से जमीन मालदार के पास नहीं जाती। जागीरदारों के पास और इन बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों और राजा-महाराजा और मन्त्रियों के पास नहीं जाती, बल्कि गरीबों केपास जाती है। सवाल यह रह जाता है कि इस बिल के लिए जो संशोधन रखा गया है उससे कोई अन्तर आता है। मैं निवेदन करता हूं कि संशोधन को रखने का तरीका दूसरा है जिसको हम आगे काम में ले रहे हैं कि हमने दुगुना लगान कर दिया, सवा गुना कर दिया या रखा ही नहीं। तो इसके मानी हैं कि खुदकाश्त होल्डर के पास जमीन है वह नॉमीनल या बगैर लगान पर काश्तकार के पास चली गई तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको पास करने से पहले हजार दफे सोचें और सबलैटिंग पर कोई प्रतिबन्ध न लगावें। मैंने कुछ संशोधन भी भेजे हैं, पता नहीं शायद किसी लिस्ट में छपे हों। सबलैटिंग के क्लॉज को हटा दिया जावे। सबलैटिंग की छूट दी जावे, बल्कि इसको प्रोत्साहन दिया जावे कि जितना कोई कर सकता है करे। जिससे गरीबों के पास जमीनें आवें और उनको रोजगार मिल सके। तो इस सारी परिस्थिति को देखते हुए मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि सबलैटिंग पर प्रतिबन्ध बिलकुल न लगाया जावे।

श्री घीसीसिंह—वह तो लौटकर फिर उनके पास ही आ जावेगी। वह तो फिर धीरे-धीरे बेकार हो जावेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय उपाध्यक्षजी, इस क्लॉज पर पहले भी काफी चर्चा हुई थी और आज भी काफी चर्चा हुई। सबलैटिंग को एलाऊ किया जाय या नहीं किया जाय और इसके जरिये समाज का कितना शोषण होगा, किसका हित और किसका अहित होगा, इस संबंध में काफी चर्चायें की गई।

मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान सबसे पहले इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमने पर्सनल कल्टिवेशन की एक व्याख्या स्वीकार की, जिसके अनुसार एक आदमी मजदूरों के जरिये खेत

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

करवा सकता हैं और वह पर्सनल कल्टीवेशन कहलायेगी। अब ज्यादातर सोचा यह जाता है कि जब विरोध किया जाता है, सबलेटिंग का तो सबलेटिंग इसलिए एलाऊ नहीं करना चाहिये कि बड़े बड़े जागीरदार और पैसे वाले दूसरों को सबलेट करके ज्यादा फायदा उठायेंगे और उससे शोषण होगा। माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा सोचना इसके कुछ विपरीत सा है। मेरी यह मान्यता है कि जो बड़े बड़े लेन्ड होल्डर्स हैं या जिनके पास काफी पैसा है वह जैसा कि हमने इसमें एक सबटिनेन्ट से ज्यादा से ज्यादा कितना रेन्ट लिया जा सकता है उसके लिए यह तय किया है कि रेन्ट से, जो कि केश में तय किया हुआ है, डबल नहीं लिया जा सकता है, और प्रोड्यूस में जहां कि केश रेन्ट नहीं है, १।६ से ज्यादा नहीं लिया जा सकता और यह डबल भी मेग्जीमम इस कानून के अन्दर एलाऊ कर रहे हैं जिसको कि अलग-अलग एरियाज़ की कन्डीशन्स को देखते हुए फिक्स करेंगे जो कि डबल से कम हो सकता है लेकिन डबल से ज्यादा नहीं हो सकता है तो मार्जिन ऑफ प्रोफिट सबटिनेन्सी में कितना रह जाता है कि एक लगान तो उस खातेदार को या जिसको हम लेन्ड होल्डर या खुदकाश्त होल्डर कहें और जो कि कल से खातेदार होकर सरकार को लगान देगा तो एक गुना लगान निश्चित तौर से चला जाता है। अब मारजिन रहता है सवाये से दुगने तक का। सबटिनेन्ट खातेदार होता है तो वह लगान वह भी देता तो मार्जिन ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? चाही जमीन है जिसका १०) रू०, ६) रू० या १२ रू० कहीं फिक्स हो गया, लेकिन आम तौर से ७ या ८ रू० समझा जाय तो चाही जमीन पर ज्यादा से ज़्यादा ७) रू० एक आदमी से मिल सकता है। उसके बाद सबटिनेन्सी करने का प्रश्न होगा। आज जिस आदमी के विरोध में ज्यादा कहा जाता है और दलीलें काफी दी जाती हैं कि जिसके पास पैसा है वह आदमी पैसे के जरिये से शोषण करेगा, यह दलील दी जाती है वह मेरी समझ में नहीं आती है और इसलिए नहीं आती है कि जिसके पास पैसा है वह नौकर रख कर दूसरों के जरिये खेती करवाये। वह ७) रू, ५) रू, या १०)के लिए अपनी जमीन सबलेट नहीं करेगा। उसको सबलेट करने से कोई लाभ नहीं होगा उसे जमीन के अन्दर, जिस जमीन के अन्दर मजदूर से काम करवा कर वह १०० रू० या २०) रू० कमा सकता है तो ५) या ७) रूपये के लिए सबलेट करना संभव नहीं होगा। यह सबलेटिंग की संभावना कहाँ कहां होगी? जिस आदमी के पास साधन कम है वह सबलेट किये बिना खुद जमीन में सारी की सारी इन्वेस्ट करके वह जमीन पर काश्त नहीं कर सकता है। ऐसे ही आदमीयों के सामने परिस्थितियां या और भी कोई कारण हो सकते हैं कि ऐन मौके पर वह कहीं बहार चला गया या बीमार होगया या और कोई परिस्थिति पैदा हो गई कि जिसकी वजह से वह काश्त नहीं कर सकता है तो वह सबलेट करेगा। तो सबलेटिंग आम तौर से हिन्दुस्तान में मौजूदा हालत को देखते हुए और इसी कानून के निर्णयों को देखते हुए, जो कोई भी सबलेटिंग पहले से करते रहे हैं उस जमीन में दूसरों को खातेदारी राइट्स दे दें मैं तो इस बात से ५ पर्सेन्ट इत्तिफाक नहीं कर सकता हूं। आगे से लोगबाग चाहें जिस क्लॉज़ को लेकर कहें कि सबलेटिंग ज्यादा करने वाले हैं तो इससे मिनिमम सबलेटिंग हो सकता है वह भी परिस्थितियों से हो सकता है। वह मजबूरी की हालत में सबलेटिंग करेगा वर्ना वह सबलेटिंग नही करेगा।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

दूसरी यह संभावना हो सकती है कि सबलेटिंग ऐसे व्यक्ति भी करेंगे जिनके पास बहुत जमीन है, एक हजार या दो हजार बीघा जमीन जो अब तक जागीरदार रहे उन्होंने अपने नाम दर्ज कर ली उसमें उन्हें कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना पडा। वह यह सोचें कि ५), ७) के हिसाब से साल भर में ५ या सात हजार रुपये मिले तो वह एडवान्टेजस चीज है। तो उसको भी रेस्ट्रिक्ट करने लिए सीलिंग की बात चल रही है। सीलिंग फिक्स होगा। जब सीलिंग फिक्स कर दिया जाता है, जमीन लिमिटेड एक आदमी के पास रख दी जाती है, तो यह असंभव बात है कि एक आदमी खेती किये बिना अपनी जीविका को चला सके खुद को खेती करनी पडेगी। जो कन्डीशन्स हम पैदा कर रहे हैं उनसे सिवाय मजबूरी को हालत में कोई भी सबलेटिंग नहीं करेगा।

दूसरी बात यह कहें कि हमारे सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय मित्र ने पिछले सदन के अन्दर एक दलील दी थी और उसका मेरे दिमाग पर काफी असर भी हुआ है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर सबलेटिंग को मना करते हैं कतई तो परिणाम यह होगा कि हम यह कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में एक तरफ इन्वेस्टर रहेंगे और दूसरी तरफ मजदूर रहेंगे। उसके बीच का कोई नहीं रहेगा। तो लेन्डलेस लेबर की पोजीशन से सबलेट जिसको किया जाय उस सबटिनेन्ट की पोजीशन, मैं समझता हूँ, कहीं ज्यादा अच्छी है। तो उस लेबर की पोजीशन के अन्दर उसको एक लिमिटेड रकम जो कुछ देना होगी वह दे दें, उसके सिवाय ज्यादा मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर वह सबटिनेन्ट रहता है तो एक निश्चित रकम जो कि तय की जाती है कानून में उससे ज्यादा देने का सवाल नहीं रहता है। मेजोरिटी ऑफ प्रोफिट जो उस जमीन का होता है वह सबटिनेन्ट के पास रहने वाला है। सबलेटिंग एलाउ करते हैं रेस्ट्रिक्शन के साथ। उसके पश्चात् चीज ऐसी नहीं है कि सोसाइटी के अन्दर हमेशा के लिए सबलेटिंग को जारी रखें। इवोल्युशन या रिवोल्युशन एग्रेरियन के प्रोसिस से हम गुजर रहे हैं। वह प्रोसिस, माननीय उपाध्यक्षजी, इसलिए है कि हमने एक जगह यह तय किया है कि हम खातेदार बना देंगे सबटिनेन्ट को जो कि कानून के अनुसार कम्पेन्सेशन दे देता है। लेकिन उस हालत में आप कहें कि सबटिनेन्ट के नाम से चिढ़ है, नाराजगी है तो यह प्रोविजन उसमें करना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि सदन इस बात को ठीक समझेगा बजाय इसके कि यह कहें कि खातेदारी राइट्स एक्वायर करने के लिए इमीजिएटली कम्पेन्सेशन मिले। सबटिनेन्ट नहीं रखना चाहेंगे तो लेबर बन जायँ। वह पोजीशन कोई पसन्द नहीं करेगा। हम यह पसन्द करेंगे कि वह या तो खातेदार टिनेन्ट बनना चाहता है तो बन जाय। अगर खातेदार टिनेन्ट नहीं बनना चाहता है तो सबटिनेन्ट बनने की सिक्योरिटी दे दें। सबटिनेन्ट की तरफ से हमेशा गुन्जाइश रहेगी और वह उस पर काश्त करता रहेगा। कोई उसे बेदखल नहीं कर सकता है। इन चीजों के बीच हमारे सामने सिलेक्ट कमेटी में आकर जब सवाल खड़ा होता है, दूसरी तरफ जब हम यह सोचते हैं कि जो हमारे यहां के लेन्डलेस लेबर हैं और जो लेंड एवेलेबल हो, जो कुछ सीलिंग फिक्स करके एवेलेबल हो जो एनकल्टीवेटेड कल्चरेबलवेस्ट हो उन पर हमको उन्हें सेटिल करना है। हम इस क्लास को, जो लेंडलेस लेबर की क्लास है, जो सबटिनेन्ट की क्लास है, उस क्लास को हम चाहते

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

हैं कि वे सेटिल हो जायें वे जमीन के खातेदार बन जायें। उस सारे प्रोसेस को पूरा करते जायें। उस प्रोसेस से पूरा करने से पहले आॅल आॅफ एसडन यह कह दें कि सबटिनेन्सी बन्द कर दें। आगे सब टिनेन्सी एलाउ नहीं हो तो, मैं समझता हूँ कि उनके लिए कोई आॅपोर्चुनिटी नहीं छोड़ेंगे सिवाय इसके कि वह लेन्डलेस लेबर में टर्न हो जाय।

दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी आदमी हैं जो कुछ समय के लिए विशेष परिस्थितियों के कारण दूसरों को देना चाहते हैं, तो अन्नेसेसरी कानून के जरिये से रोकना चाहें तो हो सकता है क जमीन पडी रखेंगे। कुछ टाइम के लिए जमीन पडी रहती है तो अनएम्प्लायमेंट बढ़ नेशनल प्रोडक्शन फेल होता है, नेशनल पॉलिसी की पूर्ति नहीं होती है ऐसा मान कर नहीं चलते हैं। इसकी ब्यौरेवार तफतीश करके सारे इम्प्लीकेशन्स को देखते हुए हमें चलना चाहिए।

सबलेटिंग को जो खराब कहते हैं वह इसलिए ऐसा कहते हैं कि सबलेटिंग के जरिये शोषण होता है। मैं स्वयं एग्री करता हूँ कि सबटिनेन्सी के जरिये. एक्स्प्लायटेशन की गुन्जाइश नहीं हो। इसको रोकने की गुन्जाइश क्या है ?' रेन्ट जितना ज्यादा से ज्यादा वह वसूल कर सकता है वह कितना है ? एक रेन्ट जितना है या कम भी हो वह एक्जामिन करने की बात रहती है। उसको कम कर दिया जाय, यह बात समझ में आती है, लेकिन किसी खास वजह से ऐसा रखें तो मैं समझता हूं कि बहुत सिद्धांत की, किसी आर्थिक या सामाजिक आधार पर, अन्याय की कहकर हम चलें इसमें उतनी बात नहीं आती है। हम इस बात को तभी समझ सकते थे जबकि सीलिंग के बारे में नहीं करते। अभी रेक रेटिंग की बात एक माननीय सदस्य ने कही कि रेक रेटिंग में बहुत गुंजाइश दे दी गई है। कहां दी गई है ? इस क्लाॅज़ को पास करेंगे तो डबल से ज्यादा नहीं ले सकते हैं तो कहां ज्यादा रेक रेटिंग है ?

अभी यह भी कहा गया कि इस बात की गुंजायश देने से गलत तौर से उनके नाम दर्ज करेंगे, इससे ज्यादा तय किया जायगा और दर्ज कुछ और किया जायगा। यह सवाल था कि जब एक तरीके से कानून के जरिये तय हो चुका है उसका इम्प्लीमेन्टेशन तो कानून के जरिये होगा ही, लेकिन साथ ही साथ उनमें अपने अधिकारों के बारे में चेतना उत्पन्न करने का प्रश्न भी है। हम यह समझते है कि कानून के जरिये ही सब चीजों की पूर्ती होगी, यह ठीक नहीं है। जो लोग डबल के बदले में ६ गुना दे देंगे तो उसका कोई रास्ता नहीं है। जब से इस विचारधारा का देश में ज्यादा प्रचार होने लगा कुछ व्यक्तियों ने इस बात का प्रयत्न किया जो सबटिनेन्ट्स थे उनको हाली या नौकरों की तरह से लिखा-पढ़ी में दर्ज कर दिया। यह किस की गलती है, कोई कानून ऐसा नहीं कहता कि इस तरह से किया जाय। यह इसलिये होता है कि समाज में चेतना साथ ही साथ नहीं हुई है ! जहां चेतना है वहां परिस्थिति ऐसी पैदा नहीं होती। जहां रिवोल्युसन्स करना चाहते

श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

तो साथ ही साथ यह देखना होगा कि कानून के साथ साथ जनता में एक तरह की चेतना पैदा हो। कानून ऐसी चीज नहीं है कि जिसके लिये हम यह संतोष करें कि कागज में अच्छा और सुन्दर बना हुआ है और उपयोगी हैं ही। मैं इसको ठोक नहीं समझता। अच्छी से अच्छी परिस्थिति में भ यह ठीक नहीं है।

जागीरदारों को दिमाग में यह बात रखकर नहीं चलना चहिये कि काश्तकारों को जो अधिकार दिये गये हैं उनका किसी तरह से दुरूपयोग करने की कोशिश करें।

मैं सदन की जानकारी के लिये बताना चाहता है कि यू. पी. में सब टिनेन्ट्स को बंद कर दिया गया है, लेकिन क्रोप-शेअरिंग एलाउड है; यानी जिनको मजदूरों के तौर पर रखते हैं उनके साथ क्रोप-शेअरिंग कर सकते हैं। मैंने उन लोगों से और वहां के अधिकारियों से इस बारे में चच की है। वहां कुल मिलाकर सब टिनेन्ट्स का स्वरूप बन जाता है। जो मजदूर रहते हैं उनसे कहेंगे कि तुमको मजदूरी नहीं मिलेगी और पैदावार का १।३ तुमको मिलेगा और दो-तिहाई हम लेंगे। यह सब-टिनेन्ट्स से बढ़कर बात आ जाती है। इससे ज्यादा उपयोगी मैं यह समझता हूं कि मार्जिन ऑफ प्रोफिट रेक रेन्टिग पर कंट्रोल करें और मजदूरों जैसी स्थिति किसानों की नहीं करें। जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं वे सब इसमें आजाते हैं।

कोटा के माननीय सदस्य ने कहा कि जो पुराना क्लॉज़ है इसके प्रोविजो में दूसरा सब क्लॉज़ है, उस में सब टिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को हमने एलाऊ नहीं किया कि वहसब लेट कर सकते हैं। जो नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्य की ओर सेअमेंडमेंट आया है, ३६ वें क्लॉज़ पर, जो संशोधन आया है उसमें प्रोविज़ो एड किया है उससे पूर्ति हो सकती है। इस प्रकार का खुदकाश्त के बारे में अमेंडमेंट आया उस पर ऐतराज किया गया। मैं समझता हूँ कि दूसरे प्रोविजो में जो कुछ कहा गया है उन शब्दों को देखें तो जाहिर है कि टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को डिबार किया है, लेकिन खुदकाश्त होल्डर के लिये कुछ नहीं था। सारे कानून को देख सकते हैं खुदकाश्त होल्डर और खातेदार टिनेन्ट के लिये ऐसा ही है जो फेसिलिटीज़ और स्ट्रिक्शन्स इसमें हैं वे ही लेकर चलना ठीक होगा। जो पहले खुदकाश्त होल्डर थे वे आज खातेदार टिनेन्ट हो गये या इस तरह से होने वाले हैं, इसलिये इसमें बाधा न रखकर एक ही प्रकार का होना चाहिये। मैंने जैसा अर्ज किया सब लेटिंग के बारे में नीम के थाने के सदस्य ने रखा है वही उचित है और स्वीकार किया जाना चाहिये और मुझे स्वीकार है और उसको स्वीकार करने से हम कोई शोषण को तरक्की नहीं दे रहे हैं, शोषण पर कंट्रोल कर चुके हैं। इसके लिये क्लॉज़ मौजूद है। बल्कि इस व्यवस्था से किस भी समाज का अहित नहीं होने वाला है और रात-दिन जो संभावना पैदा हो सकती है उसक कानूनी रूप से स्वीकार करते हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने आगे आनेवाले क्लॉज़ेज़ की चर्चा की, लेकिन उनकी चर्चा जो उन पर आगे चल कर विचार होगा, तब करूंगा। इस समय उनको चर्चा नहीं करूंगा। जो कुछ मैंने

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

कहा है उस पर सदन गंभीरता से विचार करेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं और जो अमेंडमेंट मूव किया गया है , उसमें और मूल क्लॉज़ में कोई विशेष फर्क नहीं है, इसलिये इसको स्वीकार करेंगे।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ ३५ पर काफी वाद-विवाद हुआ ! कई सदस्यों ने सब लेटिंग के सिद्धान्त का विरोध किया और कई माननीय सदस्यों ने इसमें व्यवहारिक बातों पर सदन के सामने यह प्रस्ताव रखा कि आज के जमाने में सब-लेटिंग बड़ा आवश्यक है । कांग्रेस का मूल भूत सिद्धान्त है कि जमीन पर जो काश्त करता है उसके पास जमीन रहनी चाहिये। इसको कोई भी इन्कार नहीं कर सकता, यह सिद्धान्त बिल्कुल सही है । आज जिस सब-लेटिंग के विरोध में यह बात कही जाती है कि जमीन के ऊपर असली काश्तकारों का कब्जा नहीं रहता है, उसकी मेहनत का फल दूसरे लोग ले लेते हैं, यदि हम सब टिनेन्ट्स को परमिट करें तो यह बात सर्वथा गलत है ।

जब पर्सनल कल्टीवेशन का क्लॉज़ हमने पास किया और जो उसकी परिभाषा है वह बहुत वाइड परिभाषा है जिसमें एजेन्ट, नौकर और मैनेजर किसी की देखरेख में या मजदूरों से खेती कराई जाय तो वह भी पर्सनल कल्टीवेशन में आ जाता है । तो अब हमारे सामने सिर्फ दो में से एक बात चुनने का सवाल है कि जो आदमी जमीन पर काश्त करे उसको नौकर रखने दिया जाय या सब-टिनेन्ट रखने दिया जाय, जैसा कि मंत्रीजी ने बताया कि सब-टिनेन्ट को बहुत अधिकार हैं जब कि न कर को कोई अधिकार नहीं हैं। सब टिनेन्ट एक अर्से में जाकर उस जमीन पर अपना स्वामित्व कायम कर सकता है और खातेदार बन सकता है जब कि नौकर नौकर ही है और रहेगा । उसको एग्रीमेंट के अनुसार नौकरी मिलेगी। कानून से उस पर कोई कंट्रोल नहीं है जब कि सब टिनेन्ट कानून के मुताबिक लगान देगा और कानून का उसको प्रोटेक्शन मिलेगा । ऐसी सूरत में यह मानना पड़ेगा कि सब-टिनेन्सी लैंड लेस लेबरर से ज्यादा आवश्यक चीज है । इसलिये जो बात मूलमूत सिद्धांत की कही जाती है कि जमीनें "टिलर ओफ दि सोइल" की होनी चाहिये जो जमीन पर हल चलाता है उसी की जमीन होनी चाहिये; अगर इस सिद्धान्त को कायम रखना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं तो हमें पर्सनल कल्टीवेशन की परिभाषा को बदलना चाहिये और तरमीम रखनी चाहिये कि जो फीज़िकली हल चलाते हैं उनको पर्सनल कल्टीवेशन में समझा जायगा वरना जैसा क्लॉज़ पर्सनल कल्टीवेशन का पास किया है उसको हमें मानना पडेगा । सब टिनेन्सी अच्छी है, इसमें हमको कोई विरोध नहीं है। एककी मेहनता का दूसरे को फायदा नहीं होना चाहिये, शोषण बंद होना चाहिये। हमे यह देखना है कि सबटिनेन्सी की महनत का ज्यादा से ज्यादा फायदा उसी को हो और कम से कम उसको हो जो बगैर मेहनत के हासिल लेना चाहते है । इसके लिये हमने दफ ६६ में लगान की दर कायम कर दी है जो डेढ़ गुना से दुगना हो सकता है। जब उस पर बहस हो रही थी तो मैं मानने को तैयार हूं और उस समय भी तैयार था कि यदि आप दर में और भी कमी करे तो मुझे कोई उर्ज नहीं है क्यों कि परिस्थिति तरह तरह की हो सकती है। कई लोगों ने जिक्र किया

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

है कि मान लिजिये एक किसान के पास बैल नहीं है, वह बीमार हो सकता है, किसी वजह से मजबूर हो सकता है, ऐसी स्थिति में सिवाय इसके कोई चारा नहीं है कि वह दूसरों के पास से काश्त करावे । ऐसी सूरत में यह बात सोची जा सकती है कि वह किसान यदि मजबूरी की वजह से काश्त कराता है और सब टिनेन्ट्स मुकर्रर करता है तो उसको लगान देना पडेगा और उससे ज्यादा मुनाफा उसको नहीं मिले क्यों कि जो मजदूर काम करते थे उनके गुजारे के लिये भी तो कुछ रहना चाहिये ।

इस प्रिन्सिपल को मैं मानने के लिए माननीय उपाध्यक्ष, तैयार हूं कि इसमें और भी किसी तरीके से सीमा बांधी जा सकती है जिसे करने के बारे में माननीय सदस्य कहते हैं । जब कि क्लॉज़ ६७ पास किया गया था तो वहां वाजिब बात हो सकती थी, पर आज यह कहना कि सबलेटिंग से देश को नुकसान पहुँचता है, या सब लेटिंग आवश्यक नहीं, इससे ६० प्रतिशत किसानों को नुकसान पहुँचे, यह गलत है । जिन लोगों ने जोश में आकर भाषण दिये हैं कि सब-लेटिंग से किसानों को नुकसान पहुंचेगा, यह उनकी भूल है ।

क्लॉज़ १६ के माफिक आप खातेदारी हकूक दे रहे हैं, क्लॉज़ ३५ तो आयन्दा आनेवाले टिनेन्ट्स के लिए कह रहा है । आयन्दा किसी मजबूरी की वजह से उसके सामने ऐसी परिस्थितियां हों तो उसके सामने दो ही रास्ते हो सकते हैं, या तो नौकर की मार्फत खेती करवावे या सब टिनेंट को दे । तो सब लेटिंग का रास्ता काश्तकारों के हक में है न कि लैंड होल्डर्स के ।

तो मैं माननीय उपाध्यक्ष, आपके जरिये सदन के सामने यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जो दलीलें इसके विपक्ष में दी गई हैं, वह कोई वजह नहीं रखतीं । व्यवहारिक दृष्टि से इसका मौजूद रहना ही अच्छा है ।

मेरे एक लायक दोस्त ने जो भरतपुर जिले से आये हुए हैं कहा था कि दलाली से दो ही क्लासेज को फायदा है, एक तो उन लोगों को जो शोषण करते हैं और दूसरे उन लोगों को जो कि लिटिगेशन में इन्ट्रेस्टेड है, यानि वकीलों को ।

श्री गोपीलाल यादव—किसने कहा था ।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—इसी लिए मैंने भरतपुर जिला कहा था, भरतपुर नहीं कहा था।

मैं माननीय उपाध्यक्षजी, आपके जरिये उन माननीय सदस्य को अर्ज कर देना चाहता हूँ कि जहां तक कानून बनाने का सवाल है, लॉयर्स या जो कानून समझते हैं, उन्हीं के जिम्मे यह काम आयेगा, यह मजबूरी है, इसके लिए और कोई चारा नहीं । जो कानून नहीं समझते उनके जिम्मे यह काम नहीं आयेगा ।

श्री गोपीलाल यादव—He is a Law Graduate.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—I do not deny that.

मैं शोषण के खिलाफ हूं और माननीय सदस्य ने भी इसके पक्ष में कहा कि शोषण बन्द होना चाहिये पर आपने यह नहीं बताया कि किस तरह शोषण बन्द किया जावे, कोई कन्स्ट्रक्टिव सजेशन नहीं दिया। आपने यही कहा कि एक क्लास शोषण करती है किस तरह से इसे बन्द किया जाय इसके लिए कोई सुझाव नही बताया।

श्री श्रीभानसिंह—मैंने यह नहीं कहा था कि एक क्लॉस शोषण करती है। मैंने तो यह कहा था कि you are creating new economic landlord by these incidents.

श्री कपिलदेव—एक क्लास को राहत देने के बारे में सोचा गया है कि उनको ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष, आप बार बार घड़ी की तरफ देख रहे हैं, या तो आप कहें तो मैं १०-१५ मिनिट तक बोलूं ?

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष—आप १२ बजे तक खत्म कर दें।

श्री कपिलदेव—एग्जेक्ट १२ बजे तो मैं बोलूंगा नहीं सहाब।

श्री उपाध्यक्ष—Two minutes more. Referenes are not necessary.

श्री कपिलदेव—इसलिये अब मैं इस सिद्धान्त पर कि, सब-लेटिंग हिन्दुस्तान के लिये और राजस्थान के लिए आवश्यक है या नहीं, यह नहीं कह कर माननीय सदस्यों ने जो आपत्तियां उठाई हैं उन्हीं का जवाब देना उचित समझता हूं।

विरोधी दल के नेता ने जो अक्सप्लेनेशन चाहा था, उसे गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य ने क्लेरिफाई कर दिया है। मैं अब भी अगर वे और क्लेरिफिकेशन कराना चाहें तो करने के लिए तैयार हूं। पर क्योंकि वे कहते हैं कि वे सेटिस्फाइड हैं इसलिये मैं इस बारे में और नहीं कहना चाहता।

माननीय त्यागी जी ने एक आपत्ति उटाई है क्लॉज़ ३६ का सब क्लॉज़ (४) इस प्रकार है :—

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

"(4) No sub-tenant or tenant of Khudkasht shall sub-let the whole or any part of his holding except in circumstances mentioned section 37."

माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि पुरानी क्लॉज़ ३५ जो थी, उसी के सब क्लॉज़ को हूबहू क्लॉज़ ३६ को सब क्लॉज़ (४) बना दिया है। इसमें ये शब्द ज्यादा है: "except in ciruumstances mentioned in section 37."

तो वे दर असल बहुत वाजिब हैं और बड़े नेसेसरी हैं। इसकी वजह है कि एक सबटिनेन्ट जिसको यह क्लॉज़ १६ के मातहत खातेदारी के हकूक दे रहे हैं वह मर जाता है और क्लॉज़ ३७ में लिखी आपत्तियों के मानिक उसमें डिस्एबिलिटीज आ जाती हैं तो क्या हम उसको बेदखल कर देंगे ?

श्री वेदपाल त्यागी—But it would apply to all the sub-tenants afterwards also.

श्री कपिलदेव—तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिये, कोई एक व्यक्ति १० वर्ष से सब टिनेन्ट है तो उसे खातेदारी के हकूक देने चाहिये थे पर उस पर कोई डिस्एबिलिटी आ गई है तो ऐसी सूरत में उसे उसके अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता। उसके प्रोटेक्शन के लिये यह क्लॉज़ ३६ (४) रखी गई है, एक्सपायर्ड टर्म्स के आगे भी चलेगा। तो इसमें कोई विशेष आपत्ति नहीं और जो प्रस्ताव ३५ के लिये सदन के सामने पेश किया गया है वह स्वीकार होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३५ पर जो संशोधन श्री कपिलदेवजी ने रखा है स्वीकृत किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

इस पर एक संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर का भी है।

श्री सोहनलाल भटनागर—मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री सोहनलाल भटनागर को अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

Page No.89

[श्री अध्यक्ष]

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा दो गई

श्री सोहनलाल भटनागर—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३५, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३५, संशोधित रूप में, अंग रूप से बिल में जोड़ा गया ।

समय हो गया है, सभा की कार्यवाही कल ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

सदन की कार्यवाही १२ बज कर ४ मिनट पर, दिनांक १७-९-५४ के प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक ६ सितम्बर, १९५४

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो सम्बन्धित प्रश्नकर्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मंत्री महोदय की अनुमति है।)

प्रश्न

१८२३. (४१८/एफ. एम.) श्री रिद्धि चंद पल्लीवाल, एम. एल. ए, **डिविजन नम्बर १२९**—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) गंगापुर जीरो माईल से लालसोट जाने वाली सड़क पर ईदगाह के पास से जो नाला जाता है उस नाले का खुर्रा कितनी लागत से तैयार कराया गया है ?

(ख) क्या उस खुर्रे की हालत ठीक है ? अगर नहीं, तो क्या सरकार उसे ठीक करवाने का प्रबन्ध करेगी ?

(उत्तर अनुपलब्ध)

प्रश्न

१६८८.(५००/सी. एम.) श्रीमती यशोदा देवी, एम. एल. ए. डिविजन नंबर ८—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) ग्राम बसी जिला जयपुर के पुलिस थाने में कितना स्टाफ है ?

(ख) क्या यह सही है कि बसी थाना के स्टाफ के रहने के लिये सरकारी इमारत केवल १०×७ फीट की एक कोठडी है ?

(ग) क्या यह सही है कि सिपाहियों के रहने के लिये पर्याप्त जगह न होने के कारण वे बिना छुट्टी अपनी फेमलीज से मिलने के लिये थाना छोड कर जब जी चाहे अधिकतर जयपुर आते रहते हैं ?

(घ) क्या सरकार कोई बिल्डिंग बनाने का शीघ्र इन्तजाम करना चाहती है और यदि हां, तो कब तक ?

(ङ) अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(क) वर्तमान स्टाफ की संख्या—

१ सब इन्सपेक्टर

१ हैड कोन्सटेबल तथा १३ सिपाही हैं।

(ख) उनके रहने के लिये थाने में १ वरान्डा (Varandaha) १० ft × १६ ft तथा ऐक कमरा ८ ft × १० ft का है इसके अतिरिक्त वहां २ रसोईघर हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस थाने का भवन निर्माण पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है तथा योजना के अनुसार कार्यरूप में परिणित कर दिया जायगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १६८२ का उत्तर देखिये)

क्रम सं०	नाम गांव	क्षेत्र फल बीघा	बिस्वा
१.	डीडवाना	५६१	०
२.	गोरधनपुरा	१६४	०
३.	सरगांव	६२२	१०
४.	किशनगढ़	२०३५	०
५.	टीकावड़ा	४६४	०
६.	फरासिया	१२८	८
७.	बान्दर सिंधरी	१३३७	१०.
८.	संवतसर	५५७	०
९.	मन्डावरिया	२६४	११
१०.	सीलोरा	६४	६
११.	चीताखेरा	३१७	१
१२.	नरवर	८३८	६
१३.	बीटी	२००	०
१४.	नोहारिया	१२६	०
१५.	पलावटा	६६७	०
१६.	परिभाता	८८	०
१७.	टोंकरा	३८२	०
१८.	खेड़ा	७७	४
१९.	रघुनाथपुरा	१२	८
२०.	राठोडों की ढ़ाणी	१५	०
२१.	बुहारू	३६६	३
२२.	कुचील	५३३	०

Page No.93

१	२	३	४
२३.	बरना	८०४	११
२४.	रामपुरा	०	०
२५.	खेडा करमसोट	१८१	१०
२६.	नया गांव	२५६	०
२७.	टेहरी	४३६	६
२८.	मुन्डोलाव	३५५	१८
२६.	भिन्डानी	२६५	५
३०.	खन्डाच	३६२	०
३१.	सूरतपुरा	४४	१५
३२.	ब्रिजपुरा	०	०
३३.	कंचारिया	२०६	१०
३४.	पाटन	३४१	११
३५.	तीत्यारिया	१७३	०
३६.	गन्डलाइ	६८	०
३७.	भुवारा	२६८	१०
३८.	फालोदा	१६२	१०
३६.	चन्द्ररी	१७३	०
४०.	कोदा	१६२	०
४१.	उदपुरिया खुर्द	२२०	३
४२.	नालू	४४८	१०
४३.	कल्याणपुरा	१०६	३
४४.	तालमाल	८६	०
४५.	मुन्डोती	३५०	०
४६.	बड़ा गांव	१८१	०
४७.	मौजिथावास	१६४	११
४८.	काकेरियावास	३५३	११

१	२	३	४
४९.	गोध्याना	२५८	०
५०.	राडी	२२२	०
५१.	देमों की ढाणी	१३	१७
५२.	खातोलाई	३१२	६
५३.	चांदियावास	१०२	६
५४.	मोहनपुरा	१६३	६
५५.	पुरोहितों की ढाणी	१५६	१५
५६.	उदयपुर कलां	२०६	१०
५७.	चूरली	२१४	१०
	मीजान :	१७८४२	१६